Monday, 24 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

Preservation ... Parliament Library

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का मुद्रित संस्करण

24 जुलाई, 1967 | 2 श्रावण, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
6368	प्रश्न संख्या 1333 से पहले निम्नलिखित भी पढ़िये :

तिब्बती शरणार्थी

*1332 श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री यादव शर्मा :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री क.कृ.नायर :

श्री ना.स्व.शर्मा :

श्री राम कृष्ण गुप्त :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री म.ला.सोंधी :

श्री शिव चन्द्र झा :

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रेसठ तिब्बती विद्रोही दलों के शरणार्थियों के रूप में भारत आये थे और शरण मांगी थी;

(ख) क्या स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया था और उन्हें अभी तक शरणार्थी नहीं माना गया है;

(ग) क्या तिब्बत में चीनियों द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न कर देने के कारण निकट भविष्य में ऐसे तिब्बतियों के और लोगों के भारत में आने की संभावना है; और

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 47 सोमवार, 24 जुलाई, 1967/2 श्रावण, 1889 (शक)

No 47–Monday, July 24, 1967/Sravana 2, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1321	चीन तथा पाकिस्तान द्वारा नागा तथा मिजो लोगों को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Nagas and Mizos by China and Pakistan	6341–6342
1330	नागा सद्भावना प्रतिनिधि मंडल का चीन में जाना	Naga Goodwill mission to China ..	6342-6343
1322	पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति	Air Strength of Pakistan	6347–6351
1323	सैनिक कर्मचारियों के पेंशन के मामले	Pension Cases of Armed personnal ...	6351–6352
1325	मंत्रालयों का पुनर्गठन	Re–organisation of Ministries	6352–6353
1326	दार्जिलिंग में भूमि का अर्जन	Acquisition of land in Darjeeling	6353–6356
अल्प–सूचना प्रश्न / S. N.Q.			
33	नक्सलबाड़ी की स्थिति	Naxalabari Situation	6357–6364
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
तारांकित प्रश्न संख्या /S. Q. Nos.			
1324	अफ्रीका में हुई हलचल के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on Developments in Africa ..	6364–6365

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was agctually asked on the floor of the House by him,

ता. प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages.
1327	भारत – पाकिस्तान सीमाओं का सीमांकन	Demarcation of Indo-Pak. Boundaries	6365
1328	समुद्री जहाज के डीजल से चलने वाले इंजनों का कारखाना	Marine Diesel Engine Factory ..	6365–6366
1329	श्री बीजू पटनायक तथा श्री और श्रीमती बीरेन मित्रा को पारपत्र का दिया जाना	Issue of Passports to Shri Biju Patnaik and Shri and Shrimati Biren Mitra ...	6366–6367
1331	कोलम्बो योजना के सदस्य देश	Colombo Powers	6367–6368
1333	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	6368–6369
1334	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में नई जांच	Fresh Enquiry into the Death of Netaji Subhash Chandra Bose	6369
1336	दूसरा बांडुंग सम्मेलन	Second Bandung Conference	6370
1337	छिपे हुए नागा लोगों के साथ वार्ता	Talkes with Underground Nagas	6370–6371
1338	स्वेज नहर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की बातचीत	U. N. Talks on Suez Canal	6371
1339	पेकिंग में भारतीय दूतावास के कर्मचारी	Personnel of Indian Embassy in Peking ...	6371–6372
1340	गोआ के स्वतंत्रता सेनानी	Freedom fighters of Goa	6372
1341	इमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के साथ भेद-भाव	Discrimination against Emergency Commissioned Officers	6372–6373
1342	राजदूतों की नियुक्तियों के लिए मानदंड	Criteria for Appointments of Ambassadors	6373
1343	राज्य सरकारों की गतिविधियों के बारे में आकाशवाणी से प्रसारण	A. I. R. Coverage about State Government activities	6373–6374

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1344	बर्मा में चीन विरोधी उपद्रवों में मारे गये भारतीय	Indians killed in Anti Chinese Riots in Burma	6374
1345	आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारण के लिए संहिता	Code for Political Broadcasts on A. I. R. ...	6374
1346	जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम	Cease Fire in Jammu and Kashmir	6375
1347	भारत में इसराईली सैनिक मिशन के बारे में पाकिस्तान का मिथ्या प्रचार	Pakistan's Propaganda re: Israeli Military Mission in India	6375-6376
1348	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	6376
1349	पाकिस्तान को चीन द्वारा छोटे हथियारों का दिया जाना	Supply of Chinese Small Arms to Pakistan	6376
1350	पेकिंग रेडियो से भारत विरोधी प्रसारण	Anti Indian Radio Peking Broadcasts ..	6377
अतारांकित प्रश्न सं./U.S.Q.Nos.			
6494	सैनिक सेवा के लिए बुलाये गये सहायक वैमानिक	Auxiliary Airmen called for Active Service	6377-6378
6495	सैनिक सेवा के लिये बुलाये गये सेवा-मुक्त वैमानिक	Released Airmen called for Active Service	6378
6496	भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी राष्ट्रजनों का बसाया जाना	Settlement of Chinese Nationals on Indo-Tibet Border	6378
6497	मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय छात्रसैनिक	N. C. C. Cadets from Madhya Pradesh ..	6379
6498	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूमि	Land for Ex-servicemen in Madhya Pradesh	6379
6499	आर्टिलरी सेन्टर, नासिक रोड कैम्प में छंटनी	Retrenchment in Artillery Centre Nasik Road Camp	6379-6380
6500	भारतीय जहाज निर्माण कारखाने में बने नौसेना के जहाज	Naval Ships built at Indian Shipyards ...	6380

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
6501	विदेशी संवाददाता नागरिक	Foreign Correspondents	6380
6502	अस्पृश्यता निवारण के बारे में प्रचार	Publicity on Untouchability	6380–6381
6503	अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में आकाशवाणी से रूपक	A. I. R. Features on Untouchability... ...	6381
6504	आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा	External Services of A. I. R.	6381–6382
6505	पाकिस्तान के लिये रूसी सैनिक सामान	U. S. S. R. Military Hardware for Pakistan	6382
6506	अहमदाबाद-बड़ौदा आकाश वाणी के केन्द्र में मराठी कार्यक्रम	Marathi Programme from Ahmedabad Baroda A. I. R. Station	6382–6383
6507	आकाशवाणी पर राष्ट्र गीतों का प्रसारण	Broadcasts of National Songs on A. I. R. ...	6383
6508	हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स, बंगलौर के एयरो–तकनिशियनों द्वारा हड़ताल	Strike by Aero-Technicians of H. A. L. Bangalore ...	6383–6384
6509	चलचित्र उद्योग के लिये विशेष कोष	Special Fund for Film Industry	6384
6510	मास्कोज हैण्ड इन इण्डिया नामक पुस्तक	Book Entitled 'Moscow's Hand in India' ...	6384
6511	नेपाल का नागरिकता अधिनियम	Nepal Citizenship Act	6385
6512	विदेशों में जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी	Jawaharlal Nehru Exhibitions held in Foreign Countries ...	6385–6386
6513	जवानों की भूमि वापिस लौटाना	Restoration of lands to Jawans	6386
6514	भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा टेलीविजन का निर्माण	Manufacture of T. V. by B. E. L.	6386–6387
6515	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal	6387–6388

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.- Contd

6516	चीनियों द्वारा घुसपैठ	Chinese Intrusion ...	6388
6518	प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशकों आदि की योग्यताएं	Qualifications of Directors etc. of Defence Research Laboratories ...	6388-6389
6519	कोलार स्वर्ण–क्षेत्रों में भारत अर्थ मूवर्स फैक्टरी	Bharat Earth Movers Factory at Kolar Gold Fields ...	6389
6520	आकाशवाणी से उर्दू सामाचार समीक्षा	Urdu News Commentary by A. I. R. ...	6389–6390
6521	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा छावनी में सिविलियन एसिस्टेन्ट स्टोर कीपरों की पदावनति	Reversion of C. A. S. Ks. in C. O. D. Agra Cantt.	6390–6391
6522	सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की तुलना में किंग कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतन-क्रम	Pay-scales of King's Commissioned Officers vis-a-vis Indian Commissioned Officers in Army	6391-6394
6523	विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में किया गया व्यय	Expenditure incurred by Foreign Embassies in India	6394
6524	फारमोसा से सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural delegation from Formosa	6395
6525	आकाशवाणी के अनुसन्धान विभाग में कर्मचारी	Employees in Research Deptt. of A. I. R. ...	6395-6396
6526	दिल्ली छावनी के केन्द्रीय आयुध डिपो के कर्मचारियों का निलम्बन	Suspension of Employees of C. O. D. Delhi Cantonment	6396
6527	आर्डनेन्स फैक्टरी तथा मशीन टूल फैक्टरी, अम्बरनाथ	Ordnance and Machine Tool Factories, Ambarnath	6396-6397
6528	प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया द्वारा प्राप्त अनुदान	Grants Received by Press Institute of India	6397-6398

अता प्र. संख्या/ S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
		प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
6529	पाकिस्तान से चोरी छिपे शस्त्रों का लाया जाना	Smuggling of Arms from Pakistan	6398
6530	उत्तरी कोरिया के प्रधान मत्री के विशेष प्रतिनिधि की भारत यात्रा	Visit of Special Representative of North Korean Prime Minister	6398
6531	प्रतिरक्षा संस्थानों में रसोइये तथा भिश्ती	Cooks and Water Carriers in Defence Establishments	6399
6532	नेपाल में भारतीय सहायता मिशन तथा दूतावास में नेपाली भाषा में प्रशिक्षित व्यक्ति	Persons trained in Nepalese Language in the Indian Aid Mission and Embassy in Nepal	6399-6400
6533	एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में भारतीय वायुसेना के विमान चालकों को सेवा मुक्त किया जाना	I. A. F. Pilots released for service in Air India and I. A. C.	6400
6534	फिल्म सेंसर बोर्ड	Board of Film Censors	6401
6535	चलचित्र निर्माण ब्यूरो	Film Production Bureau	6402
6537	सिक्किम को सहायता	Aid to Sikkim	6402
6538	प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये प्रतिरक्षा अधिकारी	Defence Officers sent abroad for training ...	6402-6403
6539	मैसूर में आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी तथा स्टाफ आर्टिस्ट	S. C. and S. T. employees and Artistes in A. I. R. Stations in Mysore	6403
6540	राष्ट्रपति की कनाडा यात्रा सम्बन्धी सामाचार का प्रसारण	News Broadcasts about President's visit to Canada	6403

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6541	पोर्ट ब्लेयर में घाट का निर्माण	Construction of Wharf at Port Blair... ...	6403
6542	विदेशों से भारत लौटने के लिये बाध्य किये गये भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals forced to return from foreign countries	6404
6543	आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र का स्टुडियो कक्ष	Studio Room of A. I. R. Imphal ...	6404–6405
6544	आकाशवाणी केन्द्र, इम्फाल	A. I. R. Imphal	6405
6545	गुजरात के समुद्र तट पर नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल	Naval Training School on the Sea Coast of Gujarat	6405–6406
6546	प्रतिरक्षा कार्यों के लिए जामनगर का विकास	Development of Jamnagar for Defence purposes	6406
6547	भारतीय राजदूतों द्वारा विदेशों में नियुक्ति के दौरान सम्पत्ति की खरीद	Purchase of property by Indian Ambassadors while posted Abroad ...	6406
6549	भारतीय विदेश सेवा	Indian Foreign Service	6406–6407
6550	एम. ई. एस. में सैनिक अफसरों के तबादले	Transfer of Service Officers in MES	6407
6551	आकाशवाणी केन्द्र-कुड्डप्पा	A. I. R. Station at Cuddappa	6408
6552	आकाशवाणी केन्द्र कुड्प्पा	A. I. R. Station at Cuddappa	6408
6553	प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक अधिकारी	Civilian Officers in Defence Services... ...	6408–6409
6554	अफ्रीकी–एशियाई एकता सम्मेलन	Afro-Asian Solidarity Conference	6409-6410
6555	श्री फिजो की लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त से भेंट	Phizo's Meeting with Indian High Commissioner in London	6410
6556	पेकिंग में भारतीय दूतावास	Indian Embassy at Peking	6410

अता.प्र.संख्या/U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
6557 वैलिंगटन छावनी (नीलगिरि) में पट्टे पर दी गई प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि	Land belonging to Defence M nistry given on lease in Wellington cantonment (Nilgiri) .. — —	6410-6-11
6558 नेफा में तैनात जवानों के लिये उपहार	Gifts for Jawans deployed in NEFA ..	6411-6412
6559 हिन्दी प्रेस	Hindi Press ..	6412
6560 खान अब्दुल गफ्फार खाँ	Khan Abdul Ghaffar Khan	6413
6561 नक्सलबाड़ी में नेपाली राष्ट्रजन	Nepal-Nationals in Naxalbari — —	6413
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	6413
केरल को चावल का कोटा सप्लाई करने में भारत सरकार की कथित असफलता	Alleged failure of the Government of India to supply quota of rice to Kerala	6413
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Shusheela Gopalan ...	6413
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjeewan Ram ..	6415
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	6416
कोयला खनन उद्योग के विषय में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Report of Central Wage Board for Coal Mining Industry	6417
श्री हाथी	Shri Hathi ...	6417
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे मे	Re. Question of Privilege	6418
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967	Finance (No. 2) Bill, 1967 —	6419
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	6419
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	6419
श्री रंगा	Shri Ranga	6430
डा. गोविन्ददास	Dr. Govind Das	6431
डा. रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	6433

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.

श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	6435
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	6437
श्री जो. ना. हजारिका	Shri J. N. Hazarika	6439
श्री चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	6441
श्री दामानी	Shri S. R.Damani	6442
श्री तेन्नेटी विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanathan – ...	6444
अशोक होटल के उपभवन के निर्माण (एवं रिवाल्विंग टावर रेस्तरां आदि सहित) आधे घंटे की चर्चा	Re. Half-an-hour Discussion Construction of Annexe to Ashoka Hotels (Including a Revolving Tower, Restaurant etc.)...	6446
श्री कंवरलाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	6446
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	6448

....

लोक-सभा

LOK-SABHA

सोमवार, 24 जुलाई, 1967/ श्रावण 2, 1889 (शक)
Monday, 24 *July*, 1967/*Sravana* 2, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री हेम बरुआ : प्रश्न संख्या 1321 के साथ प्रश्न संख्या 1330 को भी ले लिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

Supply of Arms to Nagas and Mizos by China and Pakistan

+

*1321. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have sent any letters of protest to the Governments of China and Pakistan in regard to the supply of arms by them to the Nagas and Mizos; and

(b) if so, the details thereof ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां । उपद्रवी नागाओं और मीजो लोगों को हथियार और गोला-बारूद देने के बारे में भारत

सरकार ने कई बार पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है। इस बारे में पिछला विरोध-पत्र 4 जुलाई 1967 को पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह की कार्रवाइयां ताशकंद घोषणा का गम्भीर उल्लंघन हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एकदम प्रतिकूल हैं। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि गैर-कानूनी तरीके से पूर्व पाकिस्तान प्रदेश में घुसने वाले व्यक्तियों को पकड़ कर भारतीय सीमा अधिकारियों के हवाले कर दें।

नागा सद्भावना प्रतिनिधिमंडल का चीन में जाना

\+

***1330. श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में श्री फिजो के कथनानुसार हुए नागाओं ने हाल में एक "सद्भावना प्रतिनिधिमंडल" पेकिंग भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस सद्भावना प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप क्या था; और

(ग) क्या नागाओं का यह कृत्य नागा लोगों के साथ सैनिक कार्यवाही बन्द करने के लिये किये गये वर्तमान समझौते के विरुद्ध नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को यह मालूम है कि छिपे हुए नागाओं के कम-से-कम तीन दल हथियार और गोला-बारूद लेने के लिए और छापामार लड़ाई का सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बर्मा होते हुए चीन गए हैं। यह समझा जाता है कि फीजो इन दलों का उल्लेख "सद्भावना मिशन" के रूप में कर रहे हैं।

(ग) जी हां। भारत में लाने के लिए गोला-बारूद लेने के उद्देश्य से हमारी सीमा पर छिपे हुए नागाओं का इस तरह चोरी-छिपे आना-जाना लड़ाई बन्द रखने के समझौते का उल्लंघन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now stated that Government had sent several letters of protest to the Government of Pakistan and the last letter was sent on 4th July. Something regarding China has also been asked in the original question. Whether any letters of protest has also been sent to China; if not, the reasons therefor, and whether any reply to our protest notes has been received from Pakistan Government ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे विरोध पत्र के उत्तर में पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है कि वह नागाओं को प्रशिक्षण देने में सहायता कर रहा है और उनको शस्त्र दे रहा है। इसके विपरीत उसने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय सुरक्षा दल इन नागाओं को पाकिस्तानी क्षेत्र में भेज रहा है और वे लोग उनके लिये वहां कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। जहां तक चीन को भेजे गये विरोध पत्र का सम्बन्ध है, हमें पता है कि उसने पहले भेजे गये विरोध पत्र का क्या किया है, अतः हमने चीन को कोई विरोध पत्र नहीं भेजा हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the types of arms and ammunitions supplied by China and Pakistan to these Naga hostiles and whether some ammunition has been captured out of that ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरे लिये यह बताना कठिन है कि पाकिस्तान ने नागाओं को क्या-क्या शस्त्रास्त्र दिये हैं। उसने उन शस्त्रों पर से निशान और यहां तक कि नम्बर भी होशियारी के साथ मिटा दिये हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि ये शस्त्र पाकिस्तान से आये हैं या नहीं और आयात किये गये शस्त्रों का ब्यौरा देना भी कठिन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister has not told whether some arms have been captured. He is of the view that these arms and ammunitions are supplied by Pakistan. If investigation is made with regard to markings etc. on these arms, Government can say with confidence that these are Chinese or Pakistani weapons. Why is the Government delaying this mat er.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमें कुछ शस्त्र प्राप्त हुए हैं। उन पर से निशानों को होशियारी के साथ हटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been a subject of discussion in the Parliament for the last few years that China and Pakistan were not only supplying arms and ammunitions to Naga and Mizo hostiles, but they were imparting training to them in China and Pakistan. I want to know whether there is some weakness in our Border Intelligence Department or there is slackness in checking on our borders ? I want to know why import of these arms has not been stopped even after making efforts for so many years and what is the reason that training is still being imparted ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का उत्तर कई बार सभा में दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में हमारे सुरक्षा दल के लिये सबसे कठिन समस्या घने जंगलों की है। जब वह गुप्त रूप से बने हुए पाकिस्तान को जाने वाले राज्यों में छोटे-छोटे समूह में जाते हैं तो उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है। यही मुख्य कारण है। हमारी ओर से कोई कमजोरी और निगरानी में किसी प्रकार की भी ढील नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Hon. Minister has told that he had sent a letter of protest to Pakistan and not to China. It means that there is no use of sending a letter of protest to China. Their attitude towards India is that of an enemy. Today, the situation is that China and Pakistan are not only helping hostiles in Nagaland, Mizo Hills and Naxalbari, but they are very active in Minicoy islands and Assam also.

Should I hope that taking this problem as a regular problem Government would take steps to seal the whole border connected with Pakistan ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस घुसपैठ को रोका जा सके। परन्तु जैसा मैंने पहले बताया है इसको रोकना बहुत कठिन है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में विद्रोही नागाओं का एक सैनिक दल पेकिंग गया था जो अब चीन के इस आश्वासन के बाद वापिस नागालैंड आ गया है कि यदि नागा विद्रोही भारत सरकार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह करेंगे तो चीन सरकार

उनको बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्र सप्लाई करने के अतिरिक्त गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिये सलाहकार भी वहां भेजेगी। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छिपे हुए नागा नेताओं से यह कहेगी कि वह अपनी संघीय सरकार को समाप्त करें और शस्त्र और शस्त्रास्त्र लेकर घूमना और चीन और पाकिस्तान से सम्पर्क स्थापित करना बन्द करें। क्या प्रधान मंत्री उन छिपे हुए नागाओं के नेताओं से यह कहेंगी कि यदि वे अपनी संघीय सरकार समाप्त नहीं करते और युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते रहेंगे, जिसका कि माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है, तो नागा समस्या पर उन छिपे हुए नेताओं से बातचीत करके राजनीतिक समझौता करने के लिये सरकार तैयार नहीं है। क्या हमें इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया जा सकता है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह तथ्य है कि नागा विद्रोहियों में से कुछ लोगों ने चीन के प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है और नागाओं का एक समूह प्रशिक्षण या शस्त्र और बारूद प्राप्त करने के लिये शायद चीन गया है।

श्री हेम बरूआ : एक सैनिक दल वहां गया था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमें उसकी जानकारी नहीं है। वास्तव में हमें केवल इस बात की सूचना मिली है कि पहली बार 150 व्यक्ति और दूसरी बार 27 और तीसरी बार 90 व्यक्ति चीन गये थे।

श्री नाथ पाई : यह तो केवल वह संख्या है जिसकी उन्हें जानकारी है इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग हो सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है वह सैनिक दल नहीं था लेकिन कुछ नागा प्रशिक्षण और चीन से सम्पर्क स्थापित करने के विचार से चीन गये थे कि शायद बाद में विद्रोह होने पर चीन उनकी सहायता कर सके, परन्तु वह सैनिक दल नहीं था।

श्री हेम बरूआ : श्री फिजो ने इसे सैनिक दल की संज्ञा दी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक छिपे हुए नागाओं से बातचीत करने का सम्बन्ध है, छिपे नागाओं में से अधिकतर लोग इन उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। लेकिन, चूंकि, नागाओं के नेता, जो सरकार से विचार विमर्श कर रहे हैं, वे इन लोगों की नीति का समर्थन नहीं करते और क्योंकि नागालैंड के अधिकतर लोग इस सम्बन्ध में हमारे पक्ष में है कि वह इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल चाहते हैं। अतः मेरे विचार से छिपे नागाओं से की जाने वाली वर्षा को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है।

श्री हेम बरूआ : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन छिपे नागा नेताओं को यह कहेगी कि वे अपनी संघीय सरकार को समाप्त करें और चीन और पाकिस्तान से अपने गठबन्धन तोड़ दें और यदि वे ऐसा नहीं करते तो क्या प्रधान मंत्री उनको यह बतायेगी कि वह ऐसे लोगों से, जो लगातार युद्ध विराम समझौते

का उल्लंघन करते रहते हैं और चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों से सम्पर्क स्थापित करते रहते हैं, शान्तिवार्ता या नागा लोगों की समस्या के सम्बन्ध में राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं है। मैं प्रधान मंत्री से इस प्रकार का आश्वासन चाहता हूँ।

श्री नाथ पाई : क्या उन्होंने कार्यकारिणी समिति में यह कहा था कि वह बातचीत नहीं करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ठीक नहीं कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम श्री हेम बरुआ के विचारों से सहमत न हो। हम इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर यहां कहा है कि इन मामलों पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहने का कोई लाभ नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि नागाओं के पास भी डिवीजन हैं।

श्री हेम बरुआ : इसको इतना महत्व मत दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसको महत्व नहीं दे रही हूं। वे वास्तविक डिवीजन हैं, तथाकथित डिवीजन नहीं हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि इन नागाओं को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण चीन द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या नागा और मिजो समस्या को हल करने की दीर्घकालीन बातचीत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक नहीं होगी ? प्रधान मंत्री ने इसका उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से ही दिया है। हमारा विचार यह है कि दीर्घकालीन विचार विमर्श के कारण ही नागाओं ने यह अजीब कार्यवाही की है और इससे देश में विध्वंस कार्यवाहियों की भी सम्भावना है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क हैं। हमें आशा है कि विचार विमर्श से समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान हो जायेगा।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि इस महीने की 14 तारीख की अर्धरात्रि को सुरक्षा दल के 10 सशस्त्र सैनिक एक मिजो व्यापारी के घर में घुस गये थे और उन्होंने उससे धन मांगा था और गोली मार कर हत्या कर दी थीं और सेना की एक बन्दूक वहां छोड़ गये थे जो कि उसके भाई द्वारा पकड़ी गई है ? क्या यह सच है कि इन सैनिकों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि वे इस व्यापारी के घर में चोरी छिपे चीन और पाकिस्तान से लाये गये शस्त्रों की खोज में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गये थे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे इस घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री स्वैल : क्या वह इस सम्बन्ध में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे और जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। हम सरकार से यह आशा नहीं करते कि वे ऐसे विषयों से अन-भिज्ञ रहें।

श्री रा० कृ० सिंह : माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान भारत की एकता को समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है । यदि ऐसा है तो हम पूर्वी पाकिस्तान और पख्तूनिस्तान के स्वतन्त्रता आन्दोलन को भारत में प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ? क्या भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान और पख्तूनिस्तान को स्वतन्त्र कराने के लिये संगठन बनाने के गैर-सरकारी विचारों को स्वीकार करेगी क्योंकि वे आज पाकिस्तानी तानाशाही के चंगुल में फंसे हुए हैं ? क्या सरकार पाकिस्तान के साथ 'जैसे को तैसा' अर्थात् 'शठे शाठ्यं' वाली नीति अपनायेगी क्योंकि पाकिस्तान के साथ केवल यही नीति उपयोगी सिद्ध हो सकती है ?

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether Government have started negotiations with hostile Nagas and whether after having known that there is a group of hostile Nagas, it would go on discussing with these hostile Nagas ?

Shri Surendra Pal Singh : I have used the word 'underground Nagas' and I do not know beyond that.

श्री शशि रंजन : क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि नागाओं और मिजो के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों में "रैड गार्ड" भी चीन और पाकिस्तान से शस्त्रास्त्र प्राप्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री शशि रंजन : नागाओं और मिज़ो द्वारा विदेशी साधनों से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने का एक और मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर दे दें तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री शशि रंजन : मैं एसे वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ जबकि इन 'रैड गार्डों' को चीन और पाकिस्तान से बिना लाइसेंस शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri George Fernandes : Will the hon. Minister give details of the news published in the newspapers that there were rumours that Lal Danga, the leader of the Mizo hostiles has been killed. Shri B. C. Kariappa, the commissioner of that area has also in a statement, said that it might be possible that he might have died. Whether Government have any information about his death or otherwise ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : In reply to Shri Shastri's question, the hon. Minister told that it was a hilly terrain and they could not stop them. Will the Government accept our suggestion that it should adopt the same method of instigation as adopted by the enemy ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है ।

श्री समर गुह : केवल पाकिस्तान और चीन को बहुत से विरोध पत्र भेजने से काम नहीं चलेगा अपितु पाकिस्तानी हथियारों को आने से रोकने के लिये सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये। पाकिस्तान के चित्रागोंग पहाड़ी क्षेत्र में कुछ मिजो लोग रहते हैं और सब शस्त्रास्त्र चोरी छिपे उसी रास्ते से आ रहे हैं। मेरे विचार से प्रतिरक्षा मंत्री को यह विदित है कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के मिजो क्षेत्र से लोग निष्कासन के बाद त्रिपुरा में बस गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। यदि त्रिपुरा में रहने वाले चकमा लोग पाकिस्तान से लगे हुए सीमा क्षेत्र से लगे मिजो जिले में बस जाते हैं तो चोरी छिपे शस्त्रास्त्र ले जाने में रूकावट हो जायेगी। क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सुझाव कार्यवाही के लिये दिया गया है। इस पर विचार किया जायेगा।

पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति

+

***1322.** **श्री मधु लिमये :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री नि रं० लास्कर :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना की शक्ति बढ़ाकर सितम्बर, 1965 से पहले के बराबर कर ली है ;

(ख) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को आधुनिकतम लड़ाकू विमानों का एक नया स्काडर्न दिया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में अपने वायु सैनिक ईरान, जोर्डन तथा अमरीका में प्रशिक्षण के लिये भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान की वायुसेना की शक्ति अब उससे भी अधिक है जितनी सितम्बर 1965 से पहले थी।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि अमरीका ने पाकिस्तान को एक नया दस्ता दिया है या पाकिस्तानी वायु सैनिक सितम्बर 1965 के बाद भी अमरीका में प्रशिक्षण पा रहे हैं। हां समय-समय पर ऐसे समाचार मिले हैं कि पाकिस्तान ने सैनिक मामले में ईरान, सऊदी अरब और टर्की जैसे देशों से नये सम्बन्ध जोड़े हैं जो पारस्परिक सहायता के लिये जोड़े गये हैं और इनके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को ठोस लाभ होगा।

(घ) सरकार पाकिस्तान की सैनिक तैयारी और उससे होने वाले खतरे के प्रति पूर्णतः सजग है। ऐसे सम्भावित खतरे से निबटने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Israel Arab war shows that whenever a sudden air attack is made on such an area where there are no means of communications, the aggressor reaps the heavy fruits of aggression. May I now whether our Government have learnt a lesson from it and have made preparations accordingly ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे विशेषज्ञ अचानक वायु आक्रमण की समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरुक हैं और इस पहलू पर गम्भीर रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे पर्याप्त उपाय कर लिये हैं जिनसे यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government is aware of report that Pakistan has allowed America to have military base in its territory and Pakistan got a considerable amount for it, whether the base will be utilized for getting planes from NATO countries like Iran, Turky and Saudi Arabia and whether the money thus received will be utilized for purchasing planes from America ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने भी यह समाचार देखा था कि पाकिस्तान सरकार ने अमरीका को इस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। परन्तु यह बात कई वर्ष पहले की है। पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में एक निरीक्षण चौकी थी जिस पर अमरीकी लोग रहते थे। दूसरे, अमरीका द्वारा दिया गया धन खबर में बहुत अधिक बताया गया है।

श्री हेम बरुआ : दस हजार लाख डालर।

Shri George Fernandes : Have the Government got any information other than what was published in reports ?

Shri Madhu Limaye : Did you get a report from your Embassy ?

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज, आप अपनी बारी पर पूछिये। आपको भी अवसर मिलेगा।

Shri Madhu Limaye : Such answers arouse the passions of the Members. What is the utility of our spying department, whether it is under the military or Ministry of Home Affairs, if the Minister has not more information other than the newspaper reports ?

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार हम सभी ने देखा है। आपने पूछा है कि क्या उनके पास कोई अधिक जानकारी है। यदि यह मान भी लिया जाये कि उनके पास और भी जानकारी है तो मैं नहीं जानता कि वे किस हद तक आपको यह जानकारी दे सकेंगे। फिर भी हम उनका उत्तर सुनें।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री मधु लिमये ने यह बात कही है कि पाकिस्तान ने कुछ देशों के साथ सहयोग किया, जिनसे उसे सैनिक सामान तथा विमान आदि मिल सकते हैं। यह विषय विचारणीय है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान ने ईरान के माध्यम से पश्चिमी जर्मनी से

कुछ विमान खरीदे थे। वे चाहे पश्चिमी जर्मनी में ही क्यों न हों, कभी न कभी पाकिस्तान उन्हें प्राप्त कर ही लेगा। जहां तक श्री फर्नान्डीज के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके दल के नेता ने उस विषय पर एक पृथक प्रश्न पूछा है जिसका मैं अलग से उत्तर दूंगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, hon. Minister should not have replied in this way. The Government have got the spying department and the grants are granted to it for the purpose.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्यों की इच्छा समझता हूं। अब वह जानकारी प्राप्त करना चाहते है फिर जानकारी का सूत्र जानना चाहेंगे। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य मुझे इसके लिए बाध्य न करें।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister can say that he has information but it is not in public interest to disclose it.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम केवल जानकारी पूछते हैं उसका सूत्र नहीं। तथा जानकारी हमें मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि भारत पाक संघर्ष के दौरान यह पता चला था कि अमरीका ने पाकिस्तान के सरगोधा नामक स्थान पर यू–2 विमानों के लिये एक हवाई अड्डा बनाया था ? क्या यह अड्डा अभी तक चालू है ? क्या अमरीका से भारत ने इस सम्बन्ध में विरोध किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात तो सच है कि पाकिस्तान 'सन्टो' और 'सीटो' का सदस्य है। पाकिस्तान ने अमरीका से बहुत अधिक सैनिक सामग्री अमरीका-पाकिस्तान पारस्परिक समझौते के अधीन प्राप्त की है। इस विषय पर अमरीका सरकार से समय समय पर चर्चा की जाती रही है। जहां तक सरगोधा में यू—2 हवाई अड्डा होने की बात है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri George Fernandes : Is it a fact that this new base will be utilized as abase from where the espionage activities will be conducted in India Ceylon and other neighbouring countries ? May I know whether the Government have contacted the U. S. Government in this respect. Secondly may I know the details about the I. A. F. officers who were arrested in connection with the spying activities done by Pakistan High Commission and U. S. Military ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में जासूसी कार्यवाहियां की जा रही हैं। वस इस पर एक अरब डालर खर्च करता है या कोई अन्य राशि खर्च करता, इसका बहुत बड़ा महत्त्व नहीं है। जहां तक वायु सेना के अधिकारियों का पाकिस्तान के दूतावास से सम्पर्क का सम्बन्ध है, उस बारे में गृह-मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

Shri Yashpal Singh : Pakistan is getting help and aircrafts from China and America both. May I know whether India has also friends which are giving military help to India ?

Shri Swaran Singh : First and biggest thig is that we are trying to depend on ourselves. Aircrafts are being manufactured in our own country and they are being used by our Air Force Moreover, we are receiving aircrafts from other sources also.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : पश्चिमी एशिया में हुए वर्तमान संघर्ष से यह स्पष्ट हो गया है कि इजराइल ने पहले 2½ घंटे में ही अपनी रडार व्यवस्था और मेगनेटिक बमों से अरब देशों की कमर तोड़ दी थी। इसी प्रकार का सैनिक साज-सामान अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारतीय सेना इस खतरे का किस हद तक मुकाबला कर सकती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम भारतीय प्रतिरक्षा क्षमता को निरन्तर आंकते रहते हैं।

Shri Balraj Madhok : Reports are continously appearing in the newspapers that Pakistan has received some squadrons of MIG aircrafts and simultaneously Pakistan is making efforts to receive military aid from Russia, and the latter is now helpful to the former than ever before. It has also appeared in the news that Pakistan was constructing a new air base at Skardu, which may prove dangerous to Srinagar. May I know whether these news are correct and if so, what counter measures are being taken by our Government ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि चीन ने पाकिस्तान को 19 मिग विमान दिये हैं। यह कोई गुप्त बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी परेड में चीनी टैंकों और विमानों का प्रदर्शन किया था। जहां तक पाकिस्तान द्वारा रूस से सैनिक सामान लेने का प्रश्न है, इस बारे में हमें कोई प्रमाणित सूचना नहीं मिली है। साथ ही यह भी सच है कि पाकिस्तान स्कर्दू में वायु सेना सम्बन्धी तैयारियों में सुधार कर रहा है। हम स्थिति से अवगत हैं और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति जागरुक हैं तथा प्रतिकारात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं।

Shri K. N. Tiwary : May I know the air strength of Pakistan and also the number and types of the sofisiticated air fighter which it has got ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह संक्षेप में नहीं बताया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति सितम्बर 1965 के मुकाबले अधिक हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की वायु सेना में यह वृद्धि चीन द्वारा दिये गये 19 मिग विमानों के कारण हुई है या उसने किसी अन्य स्रोतों से इतने विमान प्राप्त किये हैं जिससे न केवल उसका संघर्ष में हुआ नुकसान पूरा हुआ है बल्कि उसकी वायु सैन्य शक्ति में वृद्धि हो गई है ? यदि ऐसे स्रोत हैं तो उनके स्रोत कौन से हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें मैंने उन 90 विमानों का हिसाब लगाया है जो कि प्रत्यक्षतः ईरान द्वारा जर्मनी से प्राप्त किए गए थे, परन्तु बाद में विमान पाकिस्तान आ गये। इनमें से कुछ विमान वास्तव में पाकिस्तान में हैं। यदि उनमें से कुछ पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो वे जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को उपलब्ध हो जायेंगे। मैं इस धारणा को लेकर चल रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने अमरीका को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि पाकिस्तान दी गई भारी सैनिक सहायता चीन को प्राप्त हो जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है। अमरीका स्वयं ही उन बातों को अच्छी तरह समझता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें जानकारी मिली है कि सितम्बर, 1965 तक पाकिस्तान को 170 करोड़ डालरों के अमरीकी उपकरण दिये जा चुके हैं। पाकिस्तान को दिये गये अमरीकी सैनिक सामान के मूल्य के सम्बंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने 1965 तक की जो संख्या दी है, मैं समझता हूं कि वह सही है। इससे बाद की जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri Abdul Gani Dar : What is the number of those Air Force officers against whom enquiry is being conducted by the Home Ministry and what preventive steps are being taken in this regard ? In view of the fact that America is establishings its bases there. Chines are giving assistance to it and Asian countries are having a soft corner for it, What steps have been contemplated repel the apprehended aggression ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें बड़ी चिंता है कि हमारे देश के नागरिक एक छोटी सी रकम के लिए इतने गिर सकते हैं। यह एक जांच का विषय है और मैं इस मामले में जाना नहीं चाहता। सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिये हमने कई एक कदम उठाये हैं।

सैनिक कर्मचारियों के पेंशन के मामले

*1323. + **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों के पेंशन के मामले तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो पेंशन के मामले शीघ्रतापूर्वक तैयार कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सामान्यतः, सैनिक कर्मचारियों के पेंशन के मामलों के तैयार किये जाने में असाधारण विलम्ब नहीं होता है।

(ख) सभी अधिकारियों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे पेंशन देने के मामलों में जहां तक संभव हो देर न होने दें। देर के विशिष्ट मामलों में जांच की जाती है और उपचारीय उपाय किए जाते हैं।

श्री राम किशन गुप्त : पेंशन के मामलों को तैयार करने में कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय लगता है ?

श्री ब० रा० भगत : नियम तो यह है कि पेंशन के सभी मामले सेवानिवृत्ति की तिथि से दो मास पूर्व तैयार हो जाने चाहिये। परन्तु कुछ मामलों में किन्हीं कारण वश अधिक

समय लग जाता है। पिछले नमूने के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 20 प्रतिशत मामले सेवानिवृति की तारीख से पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं।

श्री राम किशन गुप्त : कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं?

श्री ब० रा० भगत : 31 मार्च 1966 की गणना के अनुसार 3000 मामलों में से केवल 9 प्रतिशत अनिर्णीत पड़े थे।

Shrimati Jayaben Shah : May I know if there are any pending cases, relating to Jawans and Officers who fell martyrs during the Indo-Pak conflict, in which even the amount admissible under the rules has not been paid, if so, the number thereof and the time by which they will be disposed of ?

Shri B. R Bhagat : We had framed a liberal scheme especially for them. We took special care of all those cases.

Reorganisation of Ministries

+
***1325. Sidheswar Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration at present to re-organise the Ministries ; and

(b) if so, the manner in which and the time by which it is likely to be done ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sidheswar Prasad : Since the delay in the submission of the Administrative Reforms Commissions, Report is causing great anxiety and missunderstanding among the Ministers and Ministries, have Government tried to ascertain the causes of delay from the Commission and if so. What is the response of the Commission ?

Dr. Surojini Mahishi : There is no misunderstanding. Efforts are being made to expedite the submission of the Report.

Shri Sidheswar Prasad : Is there any proposal to effect a cut in expenditure by way reducing the strength of Ministers as it will have good effect upon the conditions prevailing in the country ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Whether it will have good effect or bad effect, it is a matter of opinion.

श्री नाथपाई : क्या प्रधान मन्त्री का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि वह मंत्रिमण्डल में कुछ परिवर्तन करना चाहती हैं और उसे बड़ा करना चाहती हैं और ऐसा करने के लिए संसद के सत्र के समाप्त होने के बाद का समय उपयुक्त होगा?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बता दिया है "नहीं"।

Shri Nath Pai : This has repeatedly been reported in the press. How far are these reports correct ?

Shrimati Indira Gandhi : All of you must be knowing the source of information of pressmen.

Shri Balraj Madhok : They are given from your side.

Shrimati Indira Gandhi : We do not give any information. But what we have to do, cannot be announced in Parliament.

श्री पें० वेंकटसुब्बया : क्या सरकार ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय को, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, दो भागों में विभक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

कुछ माननीय सदस्य : मन्त्री को बांटने ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन्, मुझे यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई कि वह मन्त्री को दो भागों में विभक्त करना चाहते थे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि राज्य मन्त्रियों और उप मन्त्रियों ने उनसे शिकायत की है कि उनको वरिष्ठ मन्त्रियों द्वारा पर्याप्त काम नहीं दिया जाता है, यदि हां, तो उनको व्यस्त रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कुण्डू।

श्री स० कुण्डू ; क्या प्रधान मन्त्री ने किसी ऐसे सूत्र पर विचार किया है कि प्रत्येक वर्ष मन्त्री परिषद् में 1 : 4 के अनुपात से युवक लिये जायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक सुझाव है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is there any proposal to add a new Deputy Minister to the Cabinet ?

Shrimati Indira Gandhi : This question was just now asked. I said..........

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दार्जिलिंग में भूमि का अर्जन

\+

***1326. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने दार्जिलिंग जिले के सिलिगुड़ी सब-डिवीजन में बागडोगरा, खपरैल तथा अथराखाई क्षेत्रों में वर्ष 1963 से हजारों एकड़ भूमि जो अधिकांशतः धान वाली भूमि अर्जित कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि अर्जित भूमि के लिये अभी तक प्रतिकर नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिकर कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) उल्लिखित क्षेत्रों में कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है। इसलिये भूमि का अर्जन का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, 1963 से लगभग 5,663 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और इस भूमि में से लगभग 1,500 एकड़ भूमि धान वाली भूमि है।

(ख) और (ग) सिविल प्राधिकारियों ने अब तक 15.38 लाख रुपये प्रारम्भिक मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के किराये के रूप में दिये हैं। मूल्यांकन, अपेक्षित मंजूरी का समर्थन और शेष राशि का भुगतान, जो देय है करने की तारीख निकट ही है और ऐसी आशा की जाती है कि वह आगामी कुछ महीनों में पूरा कर दिया जायेगा।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : चाहे भूमि का अर्जन किया गया हो या अधिग्रहण, सच्चाई तो यह है कि धान वाली बहुत सी भूमि तथा उर्वर भूमि सेना ने ले ली हैं और वह कई वर्षों से बेकार पड़ी है हालांकि देश में अनाज की स्थिति बहुत विकट है। क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि क्या उसने इतनी विशाल और उर्वर भूमि का अनाज उगाने के लिये उपयोग करने के हेतु कोई योजना बनाने के लिये विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : भूमि का अर्जन केवल तभी किया जाता है जब ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक होता है। यह सही है कि कुछ भूमि बेकार पड़ी है अथवा परियोजनायें पूरी नहीं हो रही हैं। माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि यह क्षेत्र सेवा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं इस मामले पर विचार करूंगा। प्रायः प्रथा यह है कि वे किसानों को भूमि किराये पर दे देते हैं यदि वह उस मौसम वह तुरन्त उपयोग में नहीं लाई जाती है। यदि ऐसा करना सम्भव हुआ तो मैं अवश्य करूंगा।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : पहले उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया था कि भूमि का अर्जन नहीं अधिग्रहण किया गया है। दूसरे उत्तर में उन्होंने 'अर्जन' शब्द का प्रयोग किया है। चाहे कुछ भी हो, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसानों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि वे इस शर्त पर भी भूमि पर खेती करने को तैयार हैं कि जब सरकार को आवश्यकता हुई तो वे फसल काट लेंगे और यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इन दो शब्दों 'अर्जन' और 'अधिग्रहण', जिनका यहां प्रयोग किया गया है, का सम्बन्ध है उनमें कुछ अन्तर है। जब आप सीधे भूमि खरीद लेते हैं तो यह कहा जाता है कि यह अर्जित कर ली गई है और जब आप अल्पकालीन प्रयोजन के लिये भूमि ले लेते हैं और फसल अथवा अन्य चीजों के लिये किराया अथवा मुआवजा देते हैं तो यह भूमि का अधिग्रहण किया गया समझा जाना चाहिये। हमने इस भूमि का अधिग्रहण किया है न कि अर्जन। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यदि बहुत आवश्यकता हो तो खड़ी

फसल समेत भूमि को लिया जा सकता है परन्तु हमें उसके लिये मुआवजा देना पड़ेगा। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि यदि अनाज का उत्पादन करने के लिये भूमि प्रयोग में लाई जा सकेगी तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा।

डा० रानेन सेन : इस प्रश्न का सम्बन्ध दार्जिलिंग और सिलिगुड़ी क्षेत्र की धान वाली भूमि से है। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विशेषकर प्रतिरक्षा मन्त्रालय को अन्य क्षेत्रों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि जोती जाने वाली भूमि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन गत बीस वर्षों से हैं हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका है, उदाहरणार्थ पानागढ़ और अन्य क्षेत्रों में हजारों एकड़ धान वाली भूमि पर खेती नहीं की गई है और यदि हां, तो क्या ऐसी भूमि किसानों को दी जायेगी ताकि इससे कुछ हद तक खाद्य समस्या हल हो सके? क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय को अन्य क्षेत्रों से ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं अथवा नहीं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ब० रा० भगत : यह सही है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय में देश के विभिन्न भागों में सैनिक कार्यों के लिये भूमि अर्जित की हुई है तथा कुछ भूमि उसके पास कई वर्षों से है और हमें उसके बारे में कई अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। परन्तु हम इन मामलों की निरन्तर जांच करते रहते हैं तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाती है कि क्या विभिन्न सेना परियोजनाओं आदि का भविष्य में विकास करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी अथवा नहीं तथा इस समीक्षा के बाद यदि हम समझते हैं कि भूमि की आवश्यकता नहीं है तो उसे वापिस दे दिया जाता है अन्यथा उसे रखा जाता है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि बहुत सी छावनियों में विशेषकर सिकन्दराबाद रेसकोर्स और कलकत्ता में उन क्षेत्रों को, जिन्हें कई वर्षों से खेल के मैदान के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और जो अब भी खेल के मैदान के रूप में प्रयोग की जा सकती है, मकान बनाने के लिए लिया जा रहा हैं और यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार करेगी ताकि छावनियों में जहां मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है, खेल के मैदानों को न छेड़ा जाये

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की आदत बेचारे किसानों को भूमि का मुआवजा देने के मामले में देर लगाने की प्रक्रिया अपनाने की तो नहीं है चाहे भूमि का अर्जन किया गया हो अथवा अधिग्रहण। ऐसा कई बार आसाम में हुआ है। मुझे इस बारे में भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री को भी लिखने का अवसर मिला था। एक ऐसा मामला है जिसमें भूमि चीन के आक्रमण से पहले अर्जित की गई थी परन्तु अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। देर से भुगतान करने की प्रक्रिया अपनाये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि राज्य सरकारों को सरकार की ओर से मुआवजा देने के लिए भूमि का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार अथवा प्रतिरक्षा मन्त्रालय भूमि का सीधा मूल्यांकन नहीं करती है और वे इन निर्धन लोगों को तुरन्त मुआवजा नहीं देते हैं?

श्री ब० रा० भगत : भूमि का मूल्य प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। इसका निर्धारण स्थानीय प्रधिकारियों द्वारा, विशेषकर जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। यदि कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया जायेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री हेम बरुआ : ऐसे बहुत से मामले हैं।

श्री ब० रा० भगत : परन्तु एक बार जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मूल्य निर्धारण किए जाने पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। यदि मूल्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उन्हें मुआवजा कैसे दिया जा सकता है ?

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि यदि कोई ऐसा मामला है तो वह उस पर विचार करने को तैयार हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ............

अध्यक्ष महोयय : वह मानीय मन्त्री को लिख कर दे सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं गोहाटी के निकट बोजहार हवाई अड्डे के लिए अर्जित की गई भूमि का उदाहरण दे सकता हूं जिस मामले में अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि चूंकि राज्य सरकार मूल्यांकन करती हैं इसलिए देरी हो जाती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वयं मूल्यांकन कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिव नारायण को बुला लिया है।

Shri Sheo Narain : May I know from the hon. Defence Minister as to what objection he has got to return the vacant land to the cultivators especially when they have not been paid compensation so that they may use the same for agricultural purpose at a time when there is shortage of foodgrains in the country.

Shri B. R. Bhagat : That land will be utilised.

Shri Sheo Narain : When the Government has not paid the compensation.

Sbri B. R. Bhagat : Compensation is also paid

Shri Sheo Narain : The answer is not clear. Clear answer should come.

Shri B. R. Bhagat : He has asked why the vacant land is not returned. In this connection I want to submit that the land which is acquired by the Government for military purposes or any other purpose is not utilised immediately. Therefore to say that the land is vacant or useless is not correct.

Naxalbari Situation

+
*33 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghubir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether he had recently held any talks regarding the Naxalbari situation with the Chief Minister of West **Bengal;**

(b) whether the internal security of the State also came up for discussion in any form at the said meeting with a view to stabilise the situation in the State; and

(c) if so, the outcome therof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The discussions related to the measures necessary to restore normal conditions in certain areas of the Siliguri sub-division. The Central Government hope that the situation would improve as result of measures being taken now by the police in that area.

Shri Prakash Vir Shastri : The Chief Minister of West Bengal, Shri Ajay-Mookherjee has stated in a conference while giving answer to some question that no order has been given to arrest the left communist leader, Shri Kannu Sanyal, so may I know whether it is a fact that apart from him other big leaders of this party such as okhar Mazumdar and Jangal Santhal etc. have also not been arrested because the Weest Bengal Government have given secret instructions to Police not to arrest the leaders. May I know whether it is also a fact that the persons who are mainly responsible for creating riotous conditions in this area of West Bangal are running this movement secretly from Siliguri or Nepal ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुख्य मंत्री के साथ बातचीत करने से मैं यह अंदाजा लगा सका हूं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। यह बात स्वाभाविक ही है कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत नहीं की थी। किन्तु जो जानकारी मुझे उनसे मिली उससे मुझे पता चलता है कि इसमें जिस किसी का भी बड़ा हो अथवा छोटा हाथ होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether this thing has come to light from the discussion which had taken place between the Chief Minister and the Prime Minister tha than Chief Minister of West Bengal wants to take a firm decision on certain questions but is unable to take because there is difference of opinion in his Cabinet ? May I know the reaction of the Government of India in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह प्रश्न मेरी प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है। मुख्य मंत्री के साथ जो मेरी बातचीत हुई उससे मैंने यह अंदाजा नहीं लगाया था और न ही उन्होंने मुझे ऐसा संकेत दिया था।

Shri Raghubir Singh Shastri : May I know whether Government have received a report that the Chinese of East Nepal have established a ontact with terrorist leaders and this is one of the reasons for the increase of activities of terrorist leaders ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक विचारधारा का सम्बन्ध है हमें मालूम है कि वे सामूहिक रूप से हिंसात्मक कार्यवाही करना चाहते हैं। निश्चय ही यह विचारधारा चीनी विचारधारा से कुछ मिलती जुलती है। यह दिखाने के लिये मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि उसमें किसी चीनी लोगों का सीधा हाथ है।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि क्या नक्सलबाड़ी से सम्बन्धित लोगों की सहायता करने के लिये नेपाल की सीमा पर कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है।

Shri Atam Das : Whether some reports were received where some Parkistani nationals or soldiers were involved for creating disturbances in Naxalbari, if so, the details thereof ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणित जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उस विशिष्ट क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि पश्चिम बंगाल की गुफिया शाखा राजनैतिक मामलों के समाचार देने के लिये काम नहीं कर रही है। क्या माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे और बतायेंगे कि क्या उन्हें ऐसी स्थिति का पता है और यदि हां, तो वह केन्द्रीय खुफिया विभाग की शाखा को इस काम के लिये कितना सुदृढ़ करने को तैयार है ? इसलिये मैं यह जानना चहूंगा कि

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार की प्रशासन व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे पास उनकी संख्या आदि के पूरे आंकड़े नहीं है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे आंकड़ों का पता लगाने के लिये अपने साधन हैं। हम इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और हम स्थिति भी अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। परन्तु मैं एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं। उस स्थिति का सही सही मूल्यांकन बताना मेरा कर्तव्य है। नक्सलबाड़ी की स्थिति गत 10 अथवा 15 दिनों से सुधरी है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक खुफिया शाखा के संचालन का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार अपनी खुफिया व्यवस्था के माध्यम से स्थिति का हमेशा पता लगा सकती है और लगाती रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether this thing has also come up for discussion at the meeting between the hon. Home Minister and the Chief Minister of West Bengal as to What steps are being taken by the Government of West Bengal to improve the economic and agrarian condition of that place and whether they have

sought the advice of the Government of India in this connection and if so, what advice has been given by the Government ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुख्य मंत्री के पास मेरी जो बातचीत हुई वह नक्सबाड़ी की स्थिति के विशिष्ट प्रश्नों के बारे में थी। मैंने उनके साथ महत्वपूर्ण विस्तृत मामलों के बारे में बातचीत नहीं की थी। मैंने उनके साथ उन सुझावों के बारे में बातचीत की थी जो हमने उन्हें दिये हैं या उस प्रतिक्रिया के बारे में जो हमने इस मामले को निपटाने के लिए समाचार पत्रों में दिये गये निर्णयों के पश्चात् अपनाई थी हमने केवल नक्सबाड़ी और तत्सम्बन्धी उपायों के बारे में ही बातचीत की थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना, जिसमें शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत नक्सलबाड़ी क्षेत्र में तीरकमान रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उस क्षेत्र में लागू कर दी गई है तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है कि वह उस अधिसूचना को लागू करने को तैयार नहीं है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी, नहीं। मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ऐसा पत्र नही आया है जिसमें यह कहा गया है कि वह उस आदेश को लागू करने को तैयार नहीं है परन्तु मुझे सूचना मिली है कि पश्चिम बगाल सरकार ने भारी मात्रा में तीर कमान जब्त कर रही है। इससे यह पता चलता है कि वह आदेश लागू किया जा रहा है।

Shri Balraj Madhok : May I know whether the attention of Government has been drawn to the statement which was submitted by the leaders of various political parties after their tour of Naxalbari and in which they have stated, which has also been published in the newspapers that the problem there is not an agrarian problem as most of the leaders of this movement are rich persons some of whom are the owners of hundred Bighas of lands while others have two hundred bighas of land to their credit and the persons who have been beaten or looted are poor persons. Hence it is not an agrarion problem. Theyask for money for the party and take the defaulters to task.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि इस मामले पर अपने विचार बता चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम पुनः पूरी चर्चा करने लग गये हैं।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में उस क्षेत्र के उन लोगों की तस्वीरें दी हुई थी जिन्हें शरारत करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वे पूर्णतया साधारण व्यक्ति है। अतः मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सारी शरारत आरम्भ की थी अथवा कुछ कोई अन्य लोग हैं जिन्हें अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निस्सन्देह कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण लोग भी हैं जिन्हें पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके तीरकमान उठाना और रखना वर्जित कर दिया है। क्या केन्द्रीय सरकार ने उस क्षेत्र के ज्योतेदारों द्वारा शस्त्र रखने और उठाने पर भी प्रतिबन्ध लगाने के लिये विचार किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वहां के ज्योतेदार बन्दूकें उठाये फिरते हैं तो इसका कारण यह है कि उनके पास लाइसेंस होता है। यदि पश्चिम बगाल चाहे तो उन्हे रद्द कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक तरफा बात है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में बन्दूकें उठाने के बारे में भी आदेश हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि सिलिगुड़ी में पुरुलिया वन के अच्छी तरह खोजे जाने के बाद भी कानू सान्याल और उसके साथ गिरफ्तार नहीं किये जा सके और पुलिस को विश्वास है कि वह अपने 200 साथियों तथा शस्त्रों के साथ और जगत सन्ताल, अन्य नेता अपने 100 साथियों और शस्त्रों के साथ सीमा में घुस आए लगते हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि जहां तक शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धी उपायों का सम्बन्ध है नक्सलबाड़ी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। क्या उन्हें पता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार तथा मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति के सभी पुलिस उपायों को स्वीकृति दी थी और लगभग 500 व्यक्ति पकड़े गये थे और न्यायालयों के समक्ष पेश किये गये थे। कुछ वनों तथा जंगलों को जहां उनके असली नेताओं के छिपे होने का अनुमान है घेर लिया गया है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ? क्या उन्हें सन्तोष है कि जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार तथा पुलिस का सम्बन्ध है वे स्थिति पर काबू पाने के लिये सभी संभव उपाय कर रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुलिस की कार्यवाही का पहला चरण उन नेताओं को जो वास्तव में इस आन्दोलन को बढ़ावा, रास्ता तथा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, पृथक करना था। इसमें कुछ सफलता मिल रही है। परन्तु अभी हमें उसके परिणामों को देखना है। जैसा मैंने कहा किसी राज्य को मेरे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि वहां पर स्थिति में सुधार हुआ है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या गृह मन्त्री पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री से बातचीत के समय इस निर्णय पर पहुंचे कि नक्सलबाड़ी की घटनाओं में चीनियों का भी हाथ था और यदि हां तो क्या सरकार को सन्तोष है कि ऐसे व्यक्तियों का खात्मा हो और किसी अन्य राज्य में नक्सलबाड़ी जैसी स्थिति पैदा न हो ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सम्भव है कि उन्हें माओ के विचारों से प्रोत्साहन मिला हो। मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में चीनियों का इसमें हाथ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम मन्त्री महोदय के ध्यान दो दिन पहले पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल कोयला खान क्षेत्र में सुरक्षा के अभाव के लिये उत्तरदायी एक बड़ा कारण यह है कि कुछ खान मालिक अपने गुन्डे रखते हैं और श्रमिकों को तंग करते हैं ? यदि राज्य सरकार शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इन जिद्दी खान मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है तथा उन्हें कड़ा दण्ड देती है तो क्या मन्त्री महोदय राज्य सरकार की इस कार्यवाही का समर्थन करेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने मुख्य मन्त्री का वक्तव्य नहीं देखा है इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

डा० पें० बेंकटा सुब्बया : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र के एक विधायक श्री लिमये के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनकी वामपंथी साम्यवादी नेता से बात-चीत हुई थी और उन्होंने बताया कि दिसम्बर में सारे भारत में नक्सलबाड़ी जैसी स्थिति उत्पन्न की जायेगी ? यदि ऐसी बात है तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने यह वक्तव्य नहीं देखा है।

श्री नाथपाई : मैंने "हिन्दुस्तान टाइम्स" में ऐसे चित्र देखे हैं जिनमें व्यक्तियों को अर्ध नंगे, जिनकी आखों में आंसू तथा डर बैठा हुआ था, हथकड़ी पहनाए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों का क्या फायदा है और ऐसे चित्र क्यों प्रकाशित किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इन चित्रों के लिये उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : नक्सलबाड़ी ने इस स्थिति के लिये जो व्यक्ति उत्तर-दायी हैं उनमें से एक एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन है और प्रेस समाचारों में इसे खूब महत्ता दी गई है जो इस आशय के हैं कि नक्सलबाड़ी में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का एक उद्देश्य यह देखना है कि पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल दोनों को चीनी प्रभाव के अन्तर्गत लाया जाये। क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इन घटनाओं के पीछे काफी उद्देश्य हो सकते हैं। अभी जो बताया गया है वह भी एक उद्देश्य है। परन्तु मैं इन बातों की पुष्टि कैसे कर सकता हूँ ?

Shri George Fernandes : We have heard from responsible persons that in the police contingent that has been dispatched there, some persons belonging to a eartain party have also been sent in police uniforms. We have also heard the rumour that the C. I.A. people also have a hand in the present situation in Naxalbarl. May I know whether Government have ascertained the truth through thier own agency for the purpose ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछना होगा। मुझे इसका पता नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Has the hon. Minister suggertsed some such steps to the State Government so as to improve the situation in Naxalbari further ? In what way do the Government want to keep a watch on the situation there ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुख्य मन्त्री के साथ मेरी जो बातचीत हुई थी उसमें हमने उन्हें कुछ सुझाव दिये थे और उस बातचीत से मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुख्य मन्त्री को हमारे सुझाव मंजूर थे। मेरी राय में पुलिस उनके विचारों के अनुसार कार्यवाही कर रही है और उसके कुछ परिणाम भी निकल रहे हैं।

Shri Tulshidas Jadhav : Have Government done anything or no to solve the basic problem behind the sitution in Naxalbari ? Have Government mind to this applied their mind to this problem.

Shri Y. B. Chavan : Yes, it is always done.

Shri B. S. Sharma : The hon. Minister has said that within 10 days the situation in Naxalbari has improved. I was there on 18th & 20th and can categorically say that the people there are still in terror and do not go out of their homes to work in their fields and according to the statement of the District Commissioner of Darjeeling about 70 percentage lands have not been sown as yet and the police are not providing them protection for going to their fields. According to the District Commissioner, this would amount to a loss of Rs. 5 crores worth of foodgrains Therefore, I want to know what steps Government have taken to bring about normalcy there so that people there can resume their farming operations without any terror ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि मैं क्या कदम उठा रहा हूं क्योंकि ये कदम पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक हो सकता है। स्थिति में सुधार से मेरा अभिप्राय यह है कि पहले की तुलना में स्थिति कुछ सुधर गई है। पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में अपने शिविर स्थापित कर रही है। मुझे आशा है कि पुलिस की उपस्थिति से उनका भय कुछ कम हो जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या गृह मन्त्री का ध्यान पश्चिमी बंगाल के श्रम मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वे लोकतन्त्र और संविधान की दोहरी सीमाओं के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और वे निर्वाचन के आधार पर सत्तारूढ़ हुए हैं, निर्वाचन कोई क्रांति नहीं है और यदि समाज को बदलना हैं तो उसे क्रान्ति से ही बदला जा सकता है। क्या सरकार को यह विश्वास हो गया है कि राज्य के कुछ मन्त्री भी पश्चिम बंगाल में स आन्दोलन के पीछे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री चं० चु० देसाई : मुझे श्री पाटौदिया से जो हाल ही में नक्सलबाड़ी होकर आए हैं पता चला है कि जहां तक बड़े नेताओं का सम्बन्ध है, पुलिस की कार्यवाही कारगर सिद्ध हुई है परन्तु समाज विरोधी जत्थों के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो देहात में सक्रिय है। क्या पुलिस कार्यवाही तब तक जारी रखी जायेगी जब तक इन सब चीजों का सफाया नहीं हो जाता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वास्तव में पुलिस कार्यवाही का उद्देश्य ही यही है। मैं आशा करता हूं कि वे उसी तरह काम करते रहेंगे जैसा कि माननीय सदस्य को सुझाव दिया है।

Shri Madhu Limaye : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the statements issued by the leaders of Marxist Communs and published in the Marxist Communist papers wherein they have stated that the people behind the revolt in Naxalbari are agents of C. I. A. ? I also want to say that the question put by Shri Nathpai has not been answered. He had asked whether the hon. Minister would instruct the State Government to handle the operations in Naxalbari with sympathy for human being and with a concern for human values.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे विश्वास है कि पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान इस प्रश्न तथा श्री नाथपाई के प्रश्न की ओर दिलाया जायेगा। मुझे विश्वास है कि इन्सानियत तथा मानवता का उन्हें पूरा ख्याल है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not replied the first part of my question. He has his own intelligence. Has he got any information about that ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा। परन्तु हमें ऐसे आरोप लगाने के बारे में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I have not made any allegations,

Shri Y. B. Chavan : Not the hon. Member, but they.

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिम बंगाल पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल ने हाल ही में नक्सलबाड़ी का दौरा किया था तथा उन्होंने जोतेदारों के विरुद्ध इस आन्दोलन के तथाकथित भूमिगत नेताओं के साथ बातचीत की थी। उस समय उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि नक्सलबाड़ी में अब स्थिति बिल्कुल ठीक है और अन्य देशों से कोई शस्त्रास्त्र नहीं आए हैं। क्या मन्त्री महोदय ने यह वक्तव्य देखा है? यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बारे में कुछ प्रेस विज्ञप्तियां देखी हैं। मुझे सीधे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: मैं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया नहीं बता सकता।

श्री क० नारायण राव : कुछ समय बाद इस स्थिति पर काबू पा लिया जायेगा। परन्तु बुनियादी बात यह है कि संविधान के अधीन हमने भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता बनाए रखने की शपथ ली है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोग भारत की अखण्डता के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। क्या इसे दृष्टि में रखते हुए सरकार ऐसे राजनैतिक दलों पर पाबन्दी करने के बारे में विचार कर रही है जिनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय किसी राजनैतिक दल पर पाबन्दी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री समर गुह : नक्सलबाड़ी की समस्या कृषि की बजाय राजनीति से अधिक सम्बन्ध रखती है। क्योंकि तथ्यों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो गया है कि इस आन्दोलन के 80 प्रतिशत नेताओं के पास उस क्षेत्र के बहुत से जोतेदारों से अधिक भूमि है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इसके पीछे राजनीति है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले से ही अपनी राय दे चुका हूँ कि इसका कृषि की बजाय राजनीति से अधिक सम्बन्ध है ।

Shri Ram Charan : Unless and until land reforms are made more reasonable and the disparity between the rich and the poor and the landowner and the landless is not narrowed down, Naxalbari can be repeated eleswhere also in our country.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सरकार का तथा मेरे दल का हमेशा ही भूमि सुधारों में विश्वास रहा है । मैं चाहता हूं कि वे भूमि सुधारों को लागू करें । भूनि सुधारों को लागू करने के बारे में किसी ने आपत्ति नहीं की ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बीस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने भूमि सुधारों को लागू क्यों नहीं किया ? अब हम कोई जादू नहीं कर सकते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीका में हुई हलचल के बारे में विचार गोष्ठी

*1324 **श्री ना० स्वा० शर्मा** : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :
श्री गोपाल साबू : **श्री शारदानन्द** :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका में हाल में हुई हलचल के बारे में अप्रैल, 1967 में दिल्ली में हुई विचारगोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों में अफ्रीका सम्बन्धी हमारी नीति का पुनर्निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अफ्रीका देशों के साथ भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान के व्यापार सम्बन्ध अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो अफ्रीकी देशों के साथ सभी क्षेत्रों में हमारे सम्बन्ध बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल की अफ्रीका संगोष्ठी में अफ्रीकी देशों और भारत के बीच सम्बन्धों के विषय पर कई लेख प्रस्तुत किए गए थे । यह मत स्थिर किया गया कि हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को रुचि का बड़ा क्षेत्र समझा जाना चाहिये । हमारी समूची नीति के ढांचे में हमें कुछ चुने हुए ऐसे अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों सहित विशेष और निकट के सम्बन्ध विकसित करने की कोशिश करनी चाहिये, जिन्हें हम राजनीतिक तथा अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर यह समझते हैं कि वे

सम्भवतः हमारी जैसी नीतियों का अनुसरण करने वाले हैं। आर्थिक आयोजना और विकास में भारत का विविध अनुभव इन अफ्रीकी देशों के उपयोग के लिए दिया जा सकता है।

(ख) जहां तक संतुलन का सवाल है भारत अफ्रीका के स्वतन्त्र देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में चीन और पाकिस्तान, दोनों से काफी आगे है।

(ग) भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध बनाये रखने और उन्हें समुन्नत करने के महत्व को अच्छी तरह समझती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ संभव है, हम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विश्व के महत्वपूर्ण मसलों पर अफ्रीकी रुख की पूरी तरह जानकारी रखते हैं और अधिकांश नव-स्वाधीन अफ्रीकी राज्यों के निश्चय का आमतौर से समर्थन करते हैं। आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारी नीति यथा संभव पूरे तौर पर इन देशों के साथ सहयोग करने की है।

भारत-पाकिस्तान सीमाओं का सीमांकन

*1327. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सीमाओं के सीमांकन के कार्य में पाकिस्तानी अधिकारी सहयोग दे रहे हैं;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या यह प्रगति संतोषजनक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में सीमा के रेखांकन की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1154/67**] पश्चिमी क्षेत्र के रेखांकन के बारे में कोई समस्या नहीं है। जहां तक पूर्वी क्षेत्र का प्रश्न है, प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती लेकिन कई अपरिहार्य कार्यविधि सम्बन्धी मतभेदों के कारण देरी हुई है।

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों के भू अभिलेख निदेशक की समय-समय पर मीटिंगें होती रहती है और मतभेदों को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि रेखांकन का कार्य जल्दी पूरा किया जा सके।

समुद्री जहाज के डीजल से चलने वाले इंजनों का कारखाना

*1328. **श्री क० नारायण राव :** क्या प्रति **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति ने समुद्री जहाज के डीजल से चलने वाले इंजनों के कारखाने के स्थापना स्थान के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने के लिये संभावित स्थापना स्थान के रूप में आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम पर भी विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या किसी स्थान की अन्तिम रूप से सिफारिश की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) समुद्री जहाजों के डीजल से चलने वाले इंजिनों के कारखाने के स्थापन-स्थान के बारे में सरकार ने मैसर्स मैन इन्जिनियर्स के एक दल द्वारा दी गई शिफारिशों पर विचार करने बाद निर्णय किया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) विभिन्न बातों पर विचार करने और विभिन्न स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैसर्स मैन इन्जीनियर्स के दल ने कारखाने की स्थापना के लिये स्थानों की निम्नलिखित क्रम में सिफारिश की है :

(एक) रांची

(दो) विशाखापतनम

(तीन) मद्रास

(चार) कोचीन

(ङ) सरकार ने यह निर्णय किया है कि कारखाना रांची में स्थापित किया जाये ।

श्री बीजू पटनायक तथा श्री और श्रीमती बीरेन मित्रा के पारपत्र का दिया जाना

***1329. श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री बीजू पटनायक को कैसा तथा कितनी अवधि के लिये पारपत्र जारी किया गया है और उन्हें कितने देशों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है और वे कितने समय तक यात्रा पर रहेंगे ;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की है अथवा पक्की गारन्टी ली है कि आवश्यकता पड़ने पर श्री बीजू पटनायक अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिये भारत लौट आए ।

(ग) क्या यह सच है कि श्री तथा श्रीमती बीरेन मित्रा को भी श्री और श्रीमती बीजू पटनायक जैसे ही पारपत्र दिये गये हैं ।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायोचित्त कानूनी कार्यवाही से इन व्यक्तियों के बच निकलने की सम्भावना महसूस करती है ; और

(ङ) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्री बिजोयानन्द पटनायक के पास साधारण पासपोर्ट हैं जो 27 अक्तूबर 1969 तक वैध है। यह पासपोर्ट राष्ट्रमण्डल देशों के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका, इराक, ईरान, लबनान, सऊदी अरब, इण्डोनेशिया, वर्मा, थाइलेंड, पिलीपीन्स, जापान, उत्तर अफीका, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संग और तुर्की समेत लेकिन पुर्तगाल को छोड़कर यूरोप के सभी देशों के लिए पृष्ठांकित है।

(ख) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में पासपोर्ट लेने वाले व्यक्ति से भारत वापस आने की गारन्टी की व्यवस्था नहीं है।

लेकिन, वह न्यायालय, जिसमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही हो; अगर चाहे तो संबद्ध व्यक्ति के भारत से रवाना होने के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। भारत सरकार को इस तरह का कोई आदेश मिला है न इस बारे में बताया गया है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(च) और (ङ) सरकार को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है कि ये दो व्यक्ति कानून की वैद्य कार्रवाई से बचने के लिए देश से भाग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे विदेश चले जाएं और समन अथवा वारंट मिलने पर अदालत में मुकद्दमे की पैरवी करने के लिये भारत न लौटे तो कानून के अर्न्गत उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

कोलम्बो योजना के सदस्य देश

***1331. श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के सदस्य देशों की, जिनके आश्वासन पर भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध विराम मान लिया था, हाल में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में हुए विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या कोलम्बो योजना के सदस्य देशों द्वारा दिए गए सुझावों की क्रियान्विति की गई है; और

(घ) कोलम्बो योजना के सदस्य देशों के प्रस्तावों के बारे में चीन अथवा चीन की सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जहां तक सरकार को जानकारी है कोलम्बो प्रस्तावों पर चीन सरकार के नकारात्मक और हठधर्मी के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*1333. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री हेमराज :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्मदास :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवराव पाटिल :
श्री क० मि० मधुकर।
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 6 और 7 जुलाई, 1967 को दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने भाग लिया था ; और

(ग) उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया था और क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जिन मुख्य मंत्रियों या उनके साथियों ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लिया था उनके नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये। संख्या एल० टी०—1155/67**]

(ग) 1967-68 के लिये कृषि उत्पादन कार्यक्रम पर मुख्य रूप से चर्चा करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा सम्मेलन बुलाया गया था। 7 जुलाई को मुख्य मंत्रियों की खाद्य सम्बन्धी स्थायी समिति बुलाई गई थी, जिसमें उन मुख्य मंत्रियों को भी बुलाया गया था जो सदस्य नहीं थे।

सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों के साथ, महंगाई भत्ते सम्बन्धी गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन, परिवार नियोजन कार्यक्रम और नियोजन की व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी विचार विनिमय किया गया था।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री और मुख्य मन्त्रियों के बीच जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई वे एक विवरण में दिये गये हैं जिसे सभापटल पर रख दिया गया हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1156/67**]

गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं किया गया था। आयोग की सिफारिशों के वित्तीय तथा अन्य आशयों पर विचार विनिमय किया गया था। इसी प्रकार से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों सम्बन्धी तीन प्रस्तावों पर विचार विनिमय किया गया था, अर्थात् लड़के और लड़कियों के विवाद के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना, गर्भपात सम्बन्धी कानूनों का उदार बनाया जाना, और तीन बच्चों के पश्चात् अनिवार्य बन्धीकरण।

नियोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर मुख्य मंत्रियों के साथ जो चर्चा हुई थी उसका उल्लेख पहले ही 17 जुलाई को लोक सभा में इस विषय पर दिये गये प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में कर दिया गया है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में नई जांच

*1334. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री समर गुह :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री नी० श्रीकान्त नायर :
श्री मोलहू प्रसाद :
डा० कर्णी सिंह :
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 3 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में बनी जांच समिति कभी भी ताइवान नहीं गई थी, जहां कि एक विमान-दुर्घटना में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु हुई बताई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला था कि नेताजी की मृत्यु वास्तव में 1945 में हुई एक विमान दुर्घटना में हुई थी ;

(ग) क्या सरकार का विचार अब सारे मामले को फिर से आरम्भ करके ताईवान सरकार के सहयोग से नये सिरे से जांच करवाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह समिति जिस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची थी, कि नेताजी 1945 की एक विमान दुर्घटना में वास्तव में मर गए थे, वह बहुत लम्बा है और इसलिए यहां बताना सम्भव नहीं। शाह नवाज समिति की रिपोर्ट में इसे देखा जा सकता है जो कि पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार आश्वस्त हैं कि अब और जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि शाह नवाज समिति की रिपोर्ट निर्णायक है।

दूसरा बांडुग सम्मेलन

***1336. श्री मरण्डी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर, 1967 को अल्जीरिया में दूसरा बांडुंग सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा अथवा नहीं ;

(घ) इसमें किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ; और

(ङ) क्या भारत संयुक्त अरब गणराज्य पर इसराइल के हमले का प्रश्न इस सम्मेलन में उठायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन 17 विकासशील देशों की एक बैंठक 10 अक्तूबर 1967 से अल्जीयर्स में होने वाली है।

(ख) 17 विकासशील देशों की इस बैठक का भारत ने सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

(ग) जी हां।

(घ) इस बैठक के प्रमुख उद्देश्य ये हैं : नई दिल्ली में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में विचारार्थ विषयों पर विकासशील देशों की स्थिति में एकरूपता लाना, इस सम्मेलन के लिए आवश्यक बुनियादी नीतियों की रूप रेखा तैयार करना, 'सत्रह' की एकता की पुनः पुष्टि करना और विकासशील देशों की सम्मिलित घोषणा में—जो कि 1964 में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के फाइनल एक्ट में दी गई है—निहित आधारभूत उद्देश्यों में इन विकासशील देशों के दृढ समर्थन की पुनर्पुष्टि करना।

(ङ) जी नहीं; इस बैठक में प्रमुख रूप से आर्थिक मामलों पर ही विचार किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।

छिपे हुए नागा लोगों के साथ वार्ता

***1337. श्री बलराज मधोक :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि छिपे हुए विद्रोही नागाओं के साथ अनिश्चित काल तक वार्ता जारी न रखी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह छिपे हुए विद्रोही नागा लोगों के साथ हो रही वार्ता में श्री फिजो को सम्मिलित करने के विरुद्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके सुझाव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नागालैंड के मुख्य मंत्री 5 से 10 जुलाई 1967 तक के दिल्ली के दौरे पर आए थे और उस बीच विदेश मंत्री से मिले थे। उनके साथ जो बातचीत हुई उसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि ये असल में गोपनीय किस्म की हैं।

(ख) और (ग) 10 जुलाई 1967 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरक प्रश्नों के दौरान यह मामला उठाया गया था। सदन को यह आश्वासन दिलाया गया था कि 'सरकार नागालैंड राज्य की सरकार की सलाह के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी।

स्वेज नहर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की बातचीत

*1338. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वेज नहर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की बातचीत के असफल हो जाने की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) संयुक्तराष्ट्र ने खास तौर से स्वेज नहर के मामले पर कार्यवाही नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और बाद में महासभा के आपाती अधिवेशन में पश्चिम एशिया के संकट का समाधान खोजने पर विचार किया गया है। इस दिशा में विश्व संगठन की कोशिशों का अभी संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है।

(ख) जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से ही भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर जोरों से यह कोशिश करती रही है कि मध्य पूर्व के देशों के सामने जो समस्या है उसे संतोषजनक रीति से तय करने की दिशा में यह बहुत जरूरी है कि फौजें हटाई जायं क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा करने से स्वेज नहर को खोला जा सकेगा।

पकिंग में भारतीय दूतावास के कर्मचारी

*1339. **वेदव्रत बरुआ :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री दे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० दीपा :
श्री म० माझी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों तथा उनके परिवारों को भारत वापस लाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) यह फैसला किया गया है कि पीकिंग-स्थित राजदूतावास के भारतीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को छोटे-छोटे दलों में वापस ले आया जाय ; तदनुसार एक अधिकारी के परिवार के दो सदस्य 6 जुलाई को भारत वापस आ गए हैं तथा 14 और लोग इस महीने के खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे ।

गोआ से स्वतन्त्रता सेनानी

*1340. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : वैदेशिक-कार्य मंत्री गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों को रिहाई के बारे में 22 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में यदि कोई और कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुर्तगाल ने श्री मोहन रानाडे की माता जी को वीसा देने से मना कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो मित्र देशों के माध्यमें से यह वीसा दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) स्वतंत्रता के इन सेनानियों को छुड़ाने के बारे में कोई नई बात नहीं हुई है और मित्र देशों के सद्‌भाव से उन्हें छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है । पुर्तगाल की सरकार ने पहले श्री रानाडे की माता को उनसे पुर्तगाल में मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था । मैक्सिको की सरकार ने, जो पुर्तगाल में हमारे हितों की देखभाल कर रही है, हमें सूचना दी है कि पुर्तगाल की सरकार अब मिलने की अनुमति देगी ।

इमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के साथ भेदभाव

*1341. **श्री मधु लिमये** : **श्री राम सेवक यादव** :
श्री राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में विशेष तथा अन्य प्रशिक्षण क्रमों के लिये अधिकारियों को चुनने तथा विभिन्न यूनिटों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने आदि के मामले में इमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध तथा नियमित कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के पक्ष में बड़े पमाने पर किये जा रहे भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ।

कुछ प्रशिक्षण क्रमों को छोड़कर, जिनमें अधिक पैसा और समय लगता है, इन अधिकारियों का चयन नियमित अधिकारियों की तरह ही होता है । वास्तव में वर्तमान स्थिति उनके लिये अधिक लाभकर है । इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवा इस समय अधिक से अधिक 4 वर्ष है और सामान्य शर्तों के अन्तर्गत नियमित अधिकारियों द्वारा भी 5 वर्ष की सेवा अपेक्षित है । फिर भी अगस्त 1965 से. इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अधिक अवसर देने के लिये रजमेंट की सेवा की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर-दी गई है ।

राजदूतों की नियुक्तियों के लिए मानदंड

***1342. श्री ना० स्वा० शर्मा :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड के सम्बन्ध में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में लिये गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में मिशन प्रमुखों की नियुक्ति सरकार अनुभव और योग्यता के आधार पर करती है । दूसरे व्यवसायों की तरह राजनय में भी इस तरह की नियुक्तियों के लिए प्रमुख रूप से अगर उपयुक्त व्यावसायिक व्यक्ति मिल जाए तो वे ही चुने जाते हैं, हालांकि सरकार, यदि चाहे तो, किसी विशेष राजनयिक कार्य के लिए अन्य वर्गों के व्यक्तियों में से किसी सार्वजनिक व्यक्ति को भी चुन सकती है, जैसा कि स्वतन्त्रता के बाद से किया जा रहा है ।

A. I. R. Coverage about State Governments Activities

***1343. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri D. N. Deb :
Shri D. Amat :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the activities of the non-Congress Governments are not given due place in the broadcasting of A. I. R. while the activities of the Congress Governments are broadcast prominently ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard in future ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K, Shah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

बर्मा में चीन विरोधी उपद्रवों में मारे गये भारतीय

***1344. श्री हेम बरुआ :**
श्री श्रीधरन :
श्री फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बर्मा में हुए चीन-विरोधी उपद्रवों में कुछ भारतीय मारे गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Code for Political Broadcasts on A. I. R.

***1345. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atma Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Virendra Kumar Shah :
Shri D. N. Patodia :
Shri Bedabrata Barua :
Shri N. K. Sanghi :
Shri Srichand Goel :
Shri Y. A. Prasad :
Shri D. N. Deb :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri D. Amat :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether any discussion has been held with the Chief Ministers of States in regard to the Code for political broadcasts on the A. I. R.

(b) if so, the main points discussed ; and

(c) the result thereof and the time by which a final decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) Discussions have been held with all Chief Minister except the Chief Ministers of Bihar, Madras, Jammu aud Kashmir and Orissa in regard to Code of Conduct for Broadcasts from AIR. Important conventions and directions together with the items to be included in the proposed code were discussed. It will be premature at this stage to disclose the contents of the talks at this stage. Instead of facilitating it may create difficulties. As soon as they are finalised the entire information will be placed before the House. It is ex-pected that it would not take long to finalise the code.

जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम

*1346. **श्री बलराज मधोक :**
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री सूरज भान :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा की नाकेबन्दी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) युद्ध विराम रेखा के अपनी ओर के क्षेत्र के बचाव के लिए और अनधिकृत रूप से आने और जाने को रोकने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा युद्धविराम रेखा की निगरानी की जाती है ।

भारत में इसराईली सैनिक मिशन के बारे में पाकिस्तान का मिथ्या प्रचार

*1347. **श्री मरंडी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान टाइम ने एक समाचार प्रकाशित किया है कि दिल्ली में इसराईली सैनिक विमानों आदि के फालतू पुर्जों की खरीद के लिये बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध इस झूठे प्रचार का खण्डन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सरकार को 1 जुलाई 1967 के 'पाकिस्तान टाइम्स' में छपी इस खबर को देखकर बड़ा अफसोस हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इसराईल के एक सैनिक मिशन ने विमान आदि के पुर्जे खरीदने के लिए दिल्ली में बातचीत की है । रक्षा मन्त्रालय के एक अधिकारी प्रवक्ता ने इस निन्दनीय समाचार का खण्डन करते हुए इसे 'निराधार और मनगढ़न्त' कहा है । इस्लमाबाद-स्थित हमारे हाई कमीशन ने इस मनगढ़न्त समाचार के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है । इस खबर के अलावा भी, पाकिस्तान अरब इसराईल संघर्ष के बारे में भारत के रवैये को बराबर गलत रूप में प्रचारित करता रहा है । नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस खबर को अपने एक समाचार बुलैटिन में छापकर नई निल्ली-स्थित

सारे विदेशी मिशनों में भिजवाया जिनमें अरब–देशों के मिशन भी शामिल हैं। इस तरह के मद्दे प्रचार के खिलाफ पाकिस्तान के हाई कमीशन से विरोध प्रकट किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया के संकट पर अपनी नीति को पर्याप्त रूप से प्रचारित करने के लिए और भारतीय नीति के बारे में पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक कार्रवाई की है।

तिब्बती शरणार्थी

*1348. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमाओं पर तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश से भारत की सुरक्षा को खतरा हो रहा है ;

(ख) क्या तिब्बती शरणार्थियों के रूप में बहुत से चीनी जासूस हमारी सीमाओं में प्रवेश कर गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने जासूस अभी तक गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) चीनी जासूसों के इस प्रकार आ जाने को रोकने के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ ही तिब्बतियों पर एजेंट होने का संदेह है।

(ग) इस तरह के 34 संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में हैं।

(घ) भारत आने वाले तमाम तिब्बती शरणार्थियों से पूछताछ और जांचपड़ताल की जाती है ताकि चीनी एजेंटों के प्रवेश का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।

Supply of Chines Small Arms to Pakistan

*1349. Shri Hukam Chand Kachwai : Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has recently started afresh supplying small arms to Pakistan, which can be used in guerilla warfare ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Government are aware that China has supplied to Pakisian, apart from other military hardware, complete equipment for two Infantry Divisions, besides large quantities of miscellaneous small arms. The greater part of these weapons can be used in guerilla warfare.

(b) Due note is taken of such developments in our Defence Plans.

पेकिंग रेडियो से भारत-विरोधी प्रसारण

***1350. श्री हेम बरुआ :**
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो प्रतिदिन रात्रि को भारत पर शासन करने वाले 'प्रतिक्रियावादियों' के विरुद्ध 'क्रान्तिकारी' भारतीय लोगों को सशस्त्र क्रान्ति करने के लिये संदेश प्रसारित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी इन संदेशों का प्रतिदिन रिकार्ड रखता है ; और

(ग) चीन के इस प्रचार को निष्प्रभाव करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस सम्बन्ध में समय समय पर समाचार रिपोर्टें, वार्तायें और समीक्षायें प्रसारित की जाती हैं ।

(ख) खास खास संदेशों को मानीटर किया जाता है ।

(ग) चीनियों की विस्तारवादी नियत और उनका अफ्रीका तथा एशिया के देशों में विध्वंसक भाग का पर्दाफाश करने के लिये जहां क्षेत्रीय प्रचार एककों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में वार्ताओं, गुप्त-चर्चाओं, फिल्मशो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वहां चीनियों के प्रचार को प्रेस रिलीजों और रेडियो प्रसारणों के द्वारा भी प्रतिकार किया जाता है ।

सैनिक सेवा के लिये बुलाये गये सहायक वैमानिक

6494. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में सहायक वैमानिकों को विभिन्न विभागों से सैनिक सेवा में उन्हीं पदों पर आने के लिये जिन पर वे पहले कार्य कर रहे थे बुलाया गया था ;

(ख) क्या उनके मूल विभागों को उन्हें वेतन का अन्तर देने के लिये कहा गया था क्योंकि वे अपने मूल विभागों में जो वेतन पा रहे थे वह वायुसेना द्वारा दिये जाने वाले वेतन से अधिक था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का समायोजन करने के इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां । जिन मामलों में वायु सेना का वेतन और भत्ते कम थे, उन मामलों में सिविल विभागों को वेतन का अन्तर देने के लिये कहा गया है ।

(ग) वेतन तथा भत्तों की सिविल दरों के सरक्षण के सम्बन्ध में पहले जारी किये गये आदेश स्पष्ट नहीं थे और इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के आदेश सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों

से परामर्श के पश्चात् ही 1964 में जारी किये जा सके थे और इस कारण समायोजन करने में विलम्ब हुआ है।

सैनिक सेवा के लिये बुलाये गये सेवा मुक्त वैमानिक

6495. **श्री चित्तिबाबू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो नियमित वैमानिक सेवानिवृत्त होने से पहले सेवा-भक्ति की छुट्टी पर थे उन्हें 1962 में आपात काल की स्थिति के दौरान राष्ट्र की सेवा करने के लिये वापिस बुला लिया गया था और उन वैमानिकों को जिनकी सेवामुक्ति की तिथि निकट थी सेवा में रख लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि वापिस बुलाये गये सेवा निवृत होने वाले सैनिकों को वेतन तथा भत्तों की पेशगी ली गई समूची राशि लौटाने के लिये बाध्य किया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्हें 1963 के वायुसेना आदेश संख्या 13 जिनके अनुसार नियमित सेवा की तिथि को छुट्टी में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है और इसीलिए उन्हें सेवामुक्ति की छुट्टी पुनः नहीं दी गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सेवामुक्त होने वाले वैमानिक अग्रिम वेतन और भत्तों के हकदार नहीं हैं। अत: वेतन और भत्तों की अग्रिम राशियों की बापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अधिकांश अन्तर्ग्रस्त वैमानिकों को फिर से सेवामुक्ति का अवकाश मंजूर किया गया था जब कुछ वैमानिकों के मामलों में सेवा की आवश्यकता के कारण ऐसा नही किया गया था।

Settlement of Chinese Nationals on Indo-Tibet Border

6496. **Shri Y. S. Kushwah : Shri Nihal Singh : Shri Hukam Chand Kachwal : Shri Yaspal Singh :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has settled the Chinese Nationals in about 300 miles wide strip on the Indo-Tibet border ;

(b) whether it is also a fact that Government might have to face danger any time as a result thereof ; and

(c) if so, the protective measures adopted by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government are taking measures as considered necessary in the light of the situation prevailing at the border.

N.C.C. Cadets From Madhya Pradesh

6497. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of persons from the National Cadet Corps of Madhya Pradesh so far appointed as Junior Commissioned Officers and Sergeant Major Instructors ;

(b) if so, whether they are now being discharged from these posts ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) 82 ex-NCC Under Officers/Sergeants/Corporals were appointed as Under Officer Instructors and Sergeant Major Instructors on whole-time basis in lieu of JCOs/NCOs of the Regular Army, in the National Cadet Corps Directorate, Madhya Pradesh.

(b) Yes.

(c) Their appointments had been made on a temporary basis as regular Army personnel were not available. Now that they are being made available, replacement is being undertaken.

Land For Ex-Servicemen in Madhya Pradesh

6498. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of those ex-servicemen who have been provided with land in Madhya Pradesh for agriculture purposes upto the 30th April, 1967 ;

(b) whether all the ex-servicemen who had requested for land for cultivation have been provided with land during the above period ;

(c) if not, the number of applications pending at present ; and

(d) the period for which these applications are laying pending ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B.R. Bhagat) : (a) to (d) The matter is a State subject; the requisite information has been requested from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House when received.

आर्टिलरी सेन्टर, नासिक रोड कैम्प में छंटनी

6499. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1967 को प्रधान कार्यालय, आर्टिलरी सेन्टर, नासिक रोड कैम्प में 14 लोअर डिवीजन क्लर्कों की छंटनी की गई थी ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को कोई दूसरे रोजगार दिये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार छंटनी किये इन कर्मचारियों को, जिन्हें अब भी रोजगार चाहिए, रोजगार देने के लिये प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिण कमान, पूना को निदेश देने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सम्बन्धित क्लर्कों को, जिनकी सेवा 8 और 13 मास की थी, सेना मुख्यालय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत वैकल्पिक स्थान नहीं दिये जा सके क्योंकि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं थे और अन्य फालतू क्लर्कों में उनकी वरिष्ठता नीची थी ।

(ग) ऐसा कोई निदेश नहीं दिया जा सकता । निकाले गये व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय के द्वारा फिर से नौकरी तलाश करनी होगी, रोजगार की पेशकश प्राथमिकता के विदित क्रम के अनुसार की जाती है ।

भारतीय जहाज निर्माण कारखाने में बने नौसेना के जहाज

6500. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारतीय जहाज निर्माण कारखानों में नौसेना के कितने जहाज बनाये गये हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में नौसेना के कितने जहाज बनाये जायेंगे ;

(ग) भारत को नौसेना के कितने जहाजों के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब०रा०भगत) : (क) प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय जहाज निर्माण कारखानों में 4 समुद्री जहाजों का निर्माण किया गया है ।

(ख) और (ग) विशेष जहाजों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं । आधुनिक युद्ध जहाजों के निर्माण के लिये विदेशी सहायता आवश्यक है ।

(घ) जबकि इस दिशा में प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है, यह बताना संभव नहीं है कि आत्मनिर्भरता कब प्राप्त हो जायेगी ।

विदेशी संवाददाता नागरिक

6501. श्री शिवचन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में भारत विरोधी समाचार प्रकाशित करने के कारण कितने विदेशी संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अस्पृश्यता निवारण के बारे में प्रचार

6502. श्री सिद्दय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध प्रचार-कार्य कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो अस्पृश्यता निवारण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या इस निदेशालय ने यह कार्य कुछ दिनों से बन्द कर रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) अस्पृश्यता निवारण करने की जरूरत पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने में निदेशालय के प्रचार अभियान उपयोगी पाए गए थे। परन्तु यह बताना संभव नहीं कि प्रचार प्रयत्नों का ठीक क्या प्रभाव पड़ा क्योंकि इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ग) और (घ) 1962-63 के बाद विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अस्पृश्यता निवारण के बारे में कोई प्रचार अभियान नहीं किया गया है। फरवरी, 1963 में यह महसूस किया गया था कि ऐसी अवस्था आ गई है जिसमें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं और यह काम ऐच्छिक संगठनों पर छोड़ दिया जाए।

अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में आकाशवाणी से रूपक

6503. **श्री सिद्दय्या :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में आकाशवाणी के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में वार्ताओं, नाटकों तथा गोष्ठियों की व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में प्रत्येक केन्द्र में कितनी वार्ताएं, नाटक तथा गोष्ठियां आयोजित की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1157/67]

आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा

6504: **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा में कई और विदेशी भाषाओं में प्रसारण आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या वर्तमान विदेशी भाषा प्रसारण सेवा का समय बढ़ाया जा रहा है ताकि वे और अधिक लोकप्रिय तथा प्रभावी हो सकें ; और

(ग) यदि हां, तो और किन किन विदेशी भाषाओं में प्रसारण करने का विचार है

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जब और ट्रांसमिटर उपलब्ध हो जायेंगे, विदेशों के लिए वर्तमान प्रसारण का समय बढ़ाने तथा कुछ और विदेशी भाषाओं में प्रसारण चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(ग) फिलहाल यह विचार है कि जैसे ही साधन उपलब्ध हो जायेंगे दो नई सेवाएं-एक रूसी भाषा में और दूसरी मलय में चालू कर दी जाएगी ।

पाकिस्तान के लिए रूसी सैनिक सामान

6505. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री दे० अमात :**
श्री धीरेन्द्र नाथ : **श्री म० माझी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार रूस से सैनिक सामान प्राप्त करने के लिये पुनः कोशिश कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार के इस नवीन प्रयास के बारे में रूस में तैनात भारतीय राजदूत से कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस आशय की कोई खबर नहीं मिली है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद बड़ौदा आकाशवाणी के केन्द्र में मराठी कार्यक्रम

6506. **श्रीमती तारा सप्रे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठी कार्यक्रम रिले करने के लिये अहमदाबाद-बड़ौदा (आकाशवाणी) केन्द्र ने कोई खास समय निर्धारित किया है :

(ख) क्या यह सच है कि मराठी भाषा-भाषी लेखकों, कलाकारों अथवा नाटकारों को मराठी में अपने कार्यक्रमों के लिये पूना अथवा बम्बई जाना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 5 लाख से अधिक मराठी भाषा-भाषी लोग बड़ौदा तथा अहमदाबाद में रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहमदाबाद-बड़ौदा आकाशवाणी केन्द्र से मराठी में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कुछ समय निर्धारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। 1961 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य में मराठी भाषी लोगों की जन संख्या 1,91,260 है।

(घ) जी, नहीं।

आकाशवाणी पर राष्ट्र गीतों का प्रसारण

6507. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में केन्द्रवार राष्ट्र गीतों को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है ;

(ख) आकाशवाणी के कितने केन्द्र प्रातः अपना कार्यक्रम राष्ट्र गान से आरम्भ करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी का एक केन्द्र उसी प्रकार केवल राष्ट्रीय गीतों के प्रसारण के लिये नियत करने का है जिस प्रकार रेडियो सीलोन एक केन्द्र से सभी कार्यक्रम नियमित रूप से फिल्मी गाने प्रसारित करता है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं और एकत्र की जा रही हैं। यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कोई भी केन्द्र अपना प्रातःकाल का कार्यक्रम राष्ट्र-गान (जन मन) से आरम्भ नहीं करता।

(ग) और (घ) कार्रवाई के लिए एक सुझाव है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, बंगलौर के एयरो-तकनिशिनों द्वारा हड़ताल

6508. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनांटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के लगभग 150 एयरो-तकनिशियनों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा काम बन्द कर देने से अब तक काम के कितने घण्टे का नुकसान हुआ है ;

(ग) उनकी मांगे क्या हैं ; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। हिन्दुस्तान वैमानिक लि० बंगलौर डिविजन के 150 कर्मचारियों ने, जिन्हें सांताक्रूज़ बम्बई के हवाई अड्डे पर काम करने लिये प्रतिनियुक्त किया गया था, 10-7-1967 को हथियार धर देने की हड़ताल की थी, और उसे 14-7-1967 को समाप्त किया था।

(ख) हड़ताल के कारण लगभग 4000 जन-हौरा की हानि हुई।

(ग) मांग है (बंगलौर डिविज़न) हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० के बम्बई में काम के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिए गए स्टेशन से बाहर के भत्ते की राशि में वृद्धि।

(घ) मांग हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज के विचाराधीन है।

Special Fund for Film Industry

6509. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 396 on the 3rd April, 1967 and state :

(a) whether the differences of opinion which existed between Government and the Film Industry regarding the formation of a special fund for the film industry have since been resolved ; and

(b) if so, the details of the proposed scheme ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No appreciable progress has been made so far.

Book Entitled 'Moscow's Hand in India'

6510. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri George Fernandes :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
J. H. Patel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the book 'Moscow's Hand in India' by Peter Sager ;

(b) whether Government have probed into the facts contained in the said book ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) This book has come to Government's notice. It is an unfortunate fact that books and publications of this nature, maligning certain friendly countries, have been in circulation in recent years. There is no doubt that they are distorted and propagandist in nature. The Soviet Government has categorically denounced the book in question as a tissue of lies and a propaganda to tarnish the image of the Soviet Union in India.

नेपाल का नागरिकता अधिनियम

6511. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार अपने नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत नियमों आदि में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर जिससे भारतीय उद्‌भव के बहुत नेपालियों को लाभ होगा, विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल में हमारे राजदूत ने इस सम्बन्ध में उस सरकार से कोई विचार विमर्श किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इसका सम्बन्ध नेपाल में रहने वाले नेपाली राष्ट्रिकों से है। इसलिए बुनियादी तौर पर भारत सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक अत्यधिक मित्र पड़ौसी देश के अन्दरूनी मामलों पर टिप्पणी करना नहीं चाहती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Jawaharlal Nehru Exhibitions Held in Foreign Countries

6512. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred, year-wise, on the Jawaharlal Nehru Exhibitions in foreign countries ;

(b) the names of the countries where the exhibition was held and the number of visitors who have seen these exhibitions ;

(c) the amount of foreign exchange incurred on these exhibitions ;

(d) whether it is a fact that no budgetary provision was made for these exhibitions in the first year ; and

(e) if so, the source from which this expenditure was incurred ?

The Deputy Mi ister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a)

	Rs.
1964-65	9,98,290,00
1965-66	10,00,745.00
1966-67	10,07,976.00

(b)

Nrme of countries	Number of Visitors	
New York	1,00,000	Approx.
Washington	5,00,000	,,
Los Angeles	85,000	,,
London	25,000	,,
Moscow	50,000	,,

Nairobi	70,000	,,
Kampala	30,000	,,
Dar-es-Salaam	60,000	,,
Mauritius	60,000	,,
Addis Ababa	55,000	,,
Cairo	35,000	,,
Beirut	9,550	,,
Paris	15,000	,,

(c) **Foreign Exchange**
Rs. 18,64,672.00

(d) Yes, Sir. No budget provision on this account was made in the original estimates in October/November, 1963, as the decision to hold the Nehru Exhibition was taken only in September, 1964.

(e) The expenditure was subsequently met through re-appropriation from the general savings from the budget of this Ministry for the year 1964-65.

Restoration of Lands to Jawans

6513. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the nature of assistance given by Government in the matter of restoration of lands to those Jawans whose lands were misappropriated by other people during the war with China in 1962 ;

(b) whether it is a fact that the lands of some jawans and officers have been restored to them in Jaipur so far :

(c) the number of those jawans whose lands have been taken away by other people ; and

(d) the action taken by Government to get the lands restored to them and the number of jawans whose lands have been restored ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (d) The Government of Rajasthan has been requested to furnish the required information which will be laid on the Table of the House, when received.

Manufacture of TV By B. E. L.

6514. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 57 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether there is a proposal under consideration of Government to implement the proposal of Messrs Bharat Electronics Ltd. for setting up a television studio and for manufacturing components of transmitters ;

(b) if so, when the work will be taken up; and

(c) the extent of assistance which will be extended by Government to the Company ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b) There is no proposal from Messrs Bharat Electronics Ltd. to set up a television studio. They have however, sent proposals for setting up manufacturing capacity for production of television transmission and studio equipments, which are still under consideration.

(c) The extent of assistance required to be extended by Government is not clear at this stage and will depend on our financial resources.

नेपाल को सहायता

6515. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नेपाल की विकास परियोजनाओं के लिये कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) इस सहायता का उपयोग किन किन परियोजनाओं के लिये किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नेपाल के साथ हमारे आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यानी 1964-65 से 1966-67 तक कुल मिलाकर कोई 21.4 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली कुछ प्रमुख प्रायोजनाओं और दूसरी योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. सोनाली पोखरा सड़क।
2. पूर्व पश्चिम राजमार्ग।
3. कोसी क्षेत्र की सड़कें।
4. चत्र नहर प्रायोजना।
5. त्रिशूली पन-बिजली प्रायोजना।
6. हवाई अड्डे।
7. काठमांडू जल संभरण योजना।
8. औद्योगिक बस्ती।
9. छोटी सिंचाई।
10. बड़ा डाकखाना।
11. बागवानी पुल।
12. भू-गर्भ सर्वेक्षण।
13. सर्वेक्षण और त्रिभुजीकरण।
14. राष्ट्रीय अभिलेखागार।

15. पुरातत्व सर्वेक्षण ।
16. इंजीनियरिंग स्कूल ।
17. त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
18. त्रिचंद कालिज :
19. त्रिभुवन आदर्श विद्यालय ।
20. बागवानी ।
21. पशु-चिकित्सा ।
22. वन-विज्ञान ।
23. तकनीकी सहायता ।

चीनियों द्वारा घुसपैठ

6516. श्री रवि राय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 से लेकर अब तक चीनी सेनाओं ने कितनी बार सशस्त्र घुसपैठ की है और सीमा के इस पार अनेक आपत्तिजनक घटनायें की हैं; और

(ख) ऐसी सशस्त्र उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 18 जुलाई, 1967 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सीमा पर 84 घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं । भारतीय आकाश के उल्लंघन करने के भी दो मामले इसमें शामिल हैं ।

(ख) चीन सरकार को विरोधपत्र भेजे जाते हैं । देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशकों आदि की योग्यताएं

6518. श्री पहाड़िया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री सब प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशकों, उप-निदेशकों तथा सहायक निदेशकों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता बताने की कृपा करेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : अनुसधान तथा विकास संगठन में अधिकारियों के लगभग 80 प्रतिशत स्थान सिविलियन्स द्वारा भरे जाते हैं । प्रतिरक्षा वैज्ञानिक सेवा में निदेशकों, उप-निदेशकों, (प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी) और सहायक निदेशकों के लिये निहित अर्हताएं और अनुभव अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1158/67]** अनुबन्ध को देखने से पता चलेगा कि विहित अर्हता इन्जीनियरिंग आदि में डिग्री है । अनुसंधान और विकास विभाग में अधिकांश अधिकारी डिग्री प्राप्त हैं । परन्तु इस विभाग में नियुक्त सभी अधिकारियों ने सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा

चलाये गये अग्रेतर पाठ्यक्रम किये हुए हैं । ऐसी नियुक्तियां करते समय प्रशिक्षण तथा अनुभव पर अधिक बल दिया जाता है ।

कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में भारत अर्थमूवर्स फैक्टरी

6519. **श्री कृष्णन :**
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में भारत अर्थमूवर्स फैक्टरी के निर्माण तथा उसे चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक पदालि में कितने-कितने व्यक्ति नियुक्त हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई है और इस मार्ग में बाहर के लोगों को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) अप्रैल, 1964 में मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिये कोलार में एक कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार ने अनुमोदन दे दिया था । जुलाई, 1965 में परामर्शदाताओं की सलाह पर मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों तथा क्रॉलर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक ही कारखाना मंजूर किया गया था । अपेक्षित विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों के निर्माण का काम चालू करना संभव नहीं हो सका है । क्रॉलर ट्रैक्टर परि-योजना के लिये सिविल कार्य तथा संयंत्र और मशीनें प्राप्त करने का काम आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि कोलार कारखाना 1968 के अन्त से चालू हो जायेगा ।

(ग) अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1159/67]**

(घ) कारखाने के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां काम की आवश्यकताओं और उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं । भर्ती के नियमों में स्थानीय लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है और 30 जून, 1967 तक भर्ती किये गये 210 कर्मचारियों में से 139 या तो छंटनी किये गये हैं (कोलार स्वर्ण खान उपक्रम के फालतू कर्मचारी) या स्थानीय रोजगार दफ्तर के द्वारा भेजे गये उम्मीदवार हैं ।

Urdu News Commentary by A. I. R.

6520. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Urdu News Commentaries at 9.15 P. M. during the Arab–Israel conflict wherein Government and the people of Israel were criticized; and

(b) if so, the reasons therefor especially in view of the Government's policy of non-alignment ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The Urdu news commentaries during the Arab-Israel conflict have, by and large, been in full accord with Government policies.

केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा छावनी में सिविलियन एसिस्टेन्ट स्टोर–कीपरों की पदावनति

6521. श्री एस० एम० जोशी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा छावनी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो के वर्ग 3 के 8 सिविलियन असिस्टेन्ट स्टोर-कीपरों की इस आधार पर पदावनति करके कि वे फालतू हैं, उन्हें स्टोरमैन बना दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि 15 सिविलियन एसिस्टेंट स्टोर-कीपरों में से, जो सभी एक ही दिन भर्ती किये गये थे, इन व्यक्तियों को फालतू घोषित किया गया था;

(ग) एक ही दिन भर्ती किये गये 15 व्यक्तियों में से इन 8 व्यक्तियों को किस आधार पर चुना गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि पदावनति के बाद भी उनका पूना जैसे दूरस्थ स्थानों में तबादला कर दिया गया है जहां उनके पास रहने के लिये उपयुक्त मकान नहीं है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें वापस आगरा स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो में अथवा पूना की अपेक्षा आगरा के काफी निकट भेजने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) एक अविलम्बनीय आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिसम्बर, 1965 में तीन लगातार तारीखों को कमांडेंट, सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, आगरा कैन्ट द्वारा श्रेणी तीन के 17 स्टोरमैन भर्ती किये गये थे। जब उनकी जरूरत नहीं रही तो उन सबको फालतू घोषित कर दिया गया था और उनको वैकल्पिक नौकरियां दी गई थी। उनमें से 8 को आर्मी कैडेट कालिज, पूना में स्टोरमैन के पदों की पेशकश की गई थी जो उन्होंने स्वीकार कर ली थी।

(घ) इन्हीं 8 कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर उनकी मर्जी से उपलब्ध रिक्त स्थानों पर रखा गया था। उपयुक्त रिक्त स्थानों के उपलब्ध न होने के कारण उन कर्मचारियों का उस स्थान पर खपाना संभव नहीं था। स्थायी अनुदेशों के अनुसार उनको इस बात की सूचना दी जानी थी कि नये स्थान पर रिहाइश का प्रबन्ध उन्हें स्वयं ही करना होगा चूंकि इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में यह नहीं था कि उनकी रिहाइश का प्रबन्ध किया जाये। तथापि नियमों में मकान किराया भत्ता देने का उपबन्ध है।

(ङ) और (च) इन कर्मचारियों के भविष्य के स्थानान्तरण, उनकी वर्तमान नियुक्तियों में प्रशासनिक आवश्यकताओं और परिवर्तनों आदि पर निर्भर करेंगे। अपने नगरों के आसपास कर्मचारियों की अनुकम्पापूर्वक नियुक्तियों पर भी केन्द्रीय योजना लागू होती है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अपनी बारी के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है

सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की तुलना में किंग कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतनक्रम

6522. **श्री गं० च० दीक्षित : श्री नाथूराम अहिरवार : श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों तथा वर्तमान भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतन-क्रम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों को वही वेतन तथा भत्ते मिल रहे थे जो किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों को मिल रहे थे;

(ग) यदि नहीं, तो उनको क्यों घटाया गया है;

(घ) भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों को अधिकतम कितना वेतन मिल सकता है और किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों को कितना अधिकतम वेतन मिल सकता है;

(ङ) किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरों को वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले विभिन्न भत्तों का ब्यौरा तथा राशि कितनी थी और भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों को अब क्या-क्या भत्ते मिल रहे हैं;

(च) क्या इन वर्गों के अफसरों द्वारा लिये जाने वाले भत्तों में कोई अन्तर है; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारियों के वेतन क्रम विवरण 'क' में दिये गये हैं। भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन क्रम प्रतिरक्षा मंत्रालय के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में पृष्ठ 129-141 पर दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं, 1-11-1944 से 30-6-1947 की अवधि को छोड़ कर।

(ग) पिछले वर्ष भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन भत्तों आदि का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये एक नई वेतन संहिता तैयार की गई थी, जिसके अन्तर्गत किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारियों के वेतन क्रमों की अपेक्षा कम वेतन क्रम निर्धारित किये गये थे।

(ङ) किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण 'ख' में दी गई है। भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रतिरक्षा मंत्रालय के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है।

(च) और (छ) जी, हां। भत्तों में अन्तर का कारण यह है कि अधिकारियों की उन दो श्रेणियों पर दो पूर्णतः भिन्न वेतन संहिताएं लागू होती हैं।

विवरण 'क'

इस समय भारतीय सेना में केवल एक ही भूतपूर्व किंग कमीशन प्राप्त अफसर है अर्थात वर्तमान सेनाध्यक्ष जिनको 4,500 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है।

भूतपूर्व किंग कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतन-क्रम इस प्रकार थे :—

रैंक	वेतन रुपये—प्रति मास
सैकेंड लैफ्टीनेंट	385
लैफ्टीनेंट (न्यूनतम)	435
(अधिकतम)	505
कैप्टेन (न्यूनतम)	625
(अधिकतम)	765
मेजर (न्यूनतम)	915
(अधिकतम)	1035
लैफ्टीनेंट कर्नल	1225
कर्नल	1795
ब्रिगेडियर ग्रान स्टाफ	2080
ब्रिगेडियर इन कमांड	2220
मेजर जनरल ग्रान स्टाफ	2455
मेजर जनरल इन कमांड	2915
लैफ्टीनेंट जनरल	
वाइस चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ डिप्टी चीफ-ग्राफ दी आर्मी स्टाफ	4500
एडजूटेंट जनरल क्वार्टर मास्टर जनरल मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस	4000
आर्मी कमांडर	4500
कोर कमांडर	4000

विवरण 'ख'

भूतपूर्व–किंग कमीशन प्राप्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते दिये जाते थे :—

(एक) भारतीय सेना भत्ता (लैफ्टीनेंट कर्नल और इससे नीचे के अफसर)

रैंक		दर रुपये–प्रति मास
सैकण्ड लैफ्टीनेंट		75
लैफ्टीनेंट	(न्यूनतम)	75
	(अधिकतम)	100
कैपटन	(न्यूनतम)	75
	(अधिकतम)	100
मेजर		150
लैफ्टीनेंट कर्नल		200

(दो) संवास भत्ता तथा विवाह भत्ता

रैंक	संवास भत्ता				विवाह भत्ता
	अविवाहित दर रुपये प्रति मास		विवाहित दर रुपये प्रति मास		दर रुपये–प्रति मास
सैकण्ड लैफ्टीनैंट	20		40		65
लैफ्टीनैंट	25		45	(न्यूनतम)	
			50	(अधिकतम)	65
कैप्टेन	35	(न्यूनतम)	70	(न्यूनतम)	
	45	(अधिकतम)	90	(अधिकतम)	100
मेजर	50	(न्यूनतम)	100	(न्यूनतम)	
	55	(अधिकतम)	110	(अधिकतम)	90
लैफ्टीनेंट कर्नल	75		150		75
कर्नल	85		170		80
ब्रिगेडियर	200		200		80
मेजर जनरल	250		250		35

(तीन) कोर वेतन (लैफ्टीनैंट कर्नल तथा इससे नीचे के अफसर)

रैंक		ए० एस० सी० रुपये प्रति मास	तकनीकी कोर रुपये प्रति मास
सैकेंड लैफ्टीनैन्ट		100	45
लैफ्टीनैन्ट	(न्यूनतम)	100	45
	(अधिकतम)	125	

कैप्टेन	(न्यूनतम)	125	70
	(अधिकतम)	150	
मेजर	(न्यूनतम)	200	115
	(अधिकतम)	250	
लैफ्टीनेंट कर्नल		300	160

(चार) **कुछ उल्लिखित नियुक्तियों के लिये अतिरिक्त वेतन** : उदाहरणार्थ —

नियुक्ति	**दर** रुपये प्रति मास
एडजूटेंट	100
ओ० सी० यूनिट	300

(पांच) **उल्लिखित प्रभारों के लिये प्रभार भत्ता–उदाहरणार्थ** —

नियुक्ति	**दर** रुपये प्रति मास
क्वार्टर मास्टर	60

(छः) **कर्मचारीवृन्द की नियुक्तियां करने के लिये स्टाफ भत्ता (लैफ्टीनैन्ट कर्नल तक)**

नियुक्ति	**दर** रुपये प्रति मास
जी० एस० ओ० I	300
जी० एस० ओ० II तथा III	150

विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में किया गया व्यय

6523. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964, 1965, 1966 और 1967 में अमरीकी, रूसी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चैकोस्लोवाक तथा यूगोस्लावी दूतावासों द्वारा भारत में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या यह सच है कि सभी दूतावासों को अपनी-अपनी सरकारों से धन भारत के रिजर्व बैंक के माध्यम से मिलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य एजेंसियां कौन-कौन सी हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इन राजदूतावासों द्वारा खर्च की गई रकमों के बारे में सूचना सुलभ नहीं है।

(ख) और (ग) एक संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूतावास को छोड़कर बाकी सभी दूतावासों को उनकी सरकारों से रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मार्फत धन मिलता है।

भारत में अमरीकी मिशन भारत में अपने खर्च के लिए पी० एल० 480 कोष से धन लेते हैं।

फारमोसा से सांस्कृतिक शिष्टमंडल

6524. **श्री बृजराज सिंह कोटा :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारमोसा के किसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल ने भारत आने के लिए वीसा प्राप्ति हेतु सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीन गणराज्य को चीन-भारत-बर्मा सांस्कृतिक एसोसियेशन ने आगामी महात्मा गांधी शताब्दी समारोह में एक सद्भावना मिशन भारत भेजने की इच्छा प्रकट की है ।

आकाशवाणी के अनुसन्धान विभाग में कर्मचारी

6525 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अनुसन्धान विभाग के, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन था, कुछ कर्मचारियों को अब आकाशवाणी में तबदील कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन तथा वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के वित्तीय अनुदान के अन्तर्गत आकाशवाणी द्वारा कुछ अनुसंधान कार्य किये जा रहे थे । उन योजनाओं पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे वे परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए थे और उन्हें परिषद् के अनुदान में से ही वेतन दिया जा रहा था । एक मार्च, 1967 से परिषद् ने योजनाओं को वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया और सामान्यतः परिषद् द्वारा इन योजनाओं पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की नौकरी समाप्त कर दी जानी चाहिये थी । परन्तु, आकाशवाणी ने इन योजनाओं में से दो को अपने अनुसन्धान विभाग की सामान्य गतिविधियों के रूप में जारी रखने का निश्चय किया । परिषद् के अनुरोध पर परिषद् के कुछ फालतू कर्मचारी आकाशवाणी द्वारा तदर्थ रूप में तब तक के लिये रख लिए गए हैं जब तक उनकी नियमित नियुक्ति की उपयुक्तता का विचार नहीं कर लिया जाता ।

(ख) से (घ) जिन व्यक्तियों की आकाशवाणी में तदर्थ नियुक्ति की गई है, उन्हें उनके पदों के वेतनमान के आरम्भिक वेतन दे दिए गए हैं, परन्तु उन्हें अन्य लाभ तब तक नहीं दिये जा सकेंगे जब तक उनकी नियुक्ति नियमित रूप से नहीं हो जाती। उनकी नियमित रूप से नियुक्ति का और अन्य लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली छावनी के केन्द्रीय आयुध डिपो के कर्मचारियों का निलम्बन

6526 श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के केन्द्रीय आयुध डिपो के 24 कर्मचारियों को हाल में इस आरोप पर निलम्बित किया गया है कि उन्हें आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन मामलों में, जिनमें नैतिक पतन का आरोप नहीं होता, व्यक्तियों को निलम्बित नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्यवाही की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 23 कर्मचारियों को काम से निलम्बित कर दिया गया क्योंकि वे 48 घण्टे से अधिक पुलिस के अधिकार में रहे थे। केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 10(2) (क) के अनुसार नियुक्त करने वाला अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी को आदेश द्वारा उस तारीख से निलम्बित कर सकता है जब से उसे फौजदारी अभियोग या अन्य किसी आधार पर 48 घंटे से अधिक के लिये नजरबन्द किया जाता है। शेष दो कर्मचारियों को, जो 48 घंटे से कम के लिये पुलिस के अधिकार में रहे थे, केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 10 (1) (ख) के आधार पर सेवा से निलम्बित कर दिया गया था जिसके अनुसार एक योग्य अधिकारी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है, यदि सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में फौजदारी के अभियोग के कारण कोई जांच चल रही हो या उस पर मुकदमा चल रहा हो।

आर्डनेन्स फैक्टरी तथा मशीन टूल फैक्टरी, अम्बरनाथ

6527. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेन्स फैक्टरी और मशीन टूल फैक्टरी, अम्बरनाथ के कुछ कर्मचारियों को हाल में नौकरी से हटा दिया गया है;

(ख) क्या वे मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघ के पदधारी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इससे कर्मचारियों में असन्तोष फैल गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अम्बरनाथ स्थित दो आयुध कारखानों के पांच कर्मचारियों को सेवाओं से मुअत्तिल किया गया है उन्हें नौकरी से नहीं हटाया गया है।

(ख) इनमें से दो मान्यता प्राप्त आयुध कर्मचारी संघ, अम्बरनाथ के पदधारी हैं।

(ग) मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 147 और 366 के अधीन अपराधी सिद्ध किये जाने के बाद नौकरी से हटाने का दंड दिया गया है। सेसन जज को की गई अपील में भी अपराध सिद्ध हो गया था।

(घ) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई अपीलों पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों में व्याप्त गम्भीर असंतोष के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया द्वारा प्राप्त अनुदान

6528. श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट तथा एशिया फाउन्डेशन से कुल कितनी राशि के अनुदान प्राप्त हुए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा परामर्शदाता भेजे जाने के कारण प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इन्डिया को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) इस संस्था द्वारा जब तक प्रतिवर्ष विदेशों में अधिछात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति के लिये कुल कितने विद्यार्थी चुने गये हैं और उनका यात्रा सम्बन्धी व्यय तथा अन्य व्यय किस तारीख से दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ इन्डिया भारतीय समाचार पत्रों द्वारा, इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट, ज्यूरिच के सहयोग द्वारा स्थापित की गई। यह एक स्वतन्त्र प्राइवेट संगठन है और सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है। फिर भी, पूछे जाने पर उन्होंने नीचे दी गई सूचना दी है :–

वर्ष	कुल नकद अनुदान प्राप्त हुआ इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट से	एशिया फाऊंडेशन से
1963	18, 795.00 रुपए	37, 000.0. रुपए
1964	5, 272.00 रुपए	37,143.09 रुपए

1965	5,000.00 रुपए	69,564.00 रुपए
1966	— —	50,000.00 रुपए
1967	— —	— —
	योग 29,067, 000 रुपए	1,93,707,99 रुपए

प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ़ इन्डिया के अनुसार, उन्हें उपरोक्त अवधि में इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट की ओर से भेजे गये परामर्शदाताओं से कुछ भी नहीं मिला और प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ़ इन्डिया द्वारा चार योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों में जाने के लिये विशेषज्ञ समितियो की मार्फत 35 विद्यार्थियों और फेलोज़ (fellows) को चुना गया। प्रेस इन्स्टीट्यूट ने यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य खर्चा नहीं किया। यह, या तो विद्यार्थियों ने स्वयं या चुनाव करने वाली इन्स्टीट्यूटों ने किया।

पाकिस्तान से चोरी छिपे शस्त्रों का लाया जाना

6529. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री वे० प्रमात :
श्री मरंडी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागालैंड में ऐसे हथियार चोरी छिपे लाये गये हैं जिन पर पाकिस्तान के निशान हैं और छिपे हुए नागा लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख), मृत अथवा जीवित छिपे नागाओं से लिए हुए अधिकांश हथियारों पर निशान नहीं हैं अथवा सफाई से मिटा दिए गए हैं। बहरहाल सरकार को मालूम है कि छिपे नागा लोग पाकिस्तान से हथियार, गोला-बारूद और अन्य सहायता ले रहे हैं और इस तरह हथियारों को चोरी-छिपे लाने ले जाने से रोकने के लिए साधनों की सीमा में रहकर जन-धन के रूप में समुचित उपाय बरते जा रहे हैं।

उत्तरी कोरिया के प्रधान मंत्री के विशेष प्रतिनिधि की भारत यात्रा

6530 श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रविचन :
श्री जनार्दनन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कोरिया के प्रधान मंत्री विशेष प्रतिनिधि हाल में भारत आये थे और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) : अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर आमतौर से बातचीत हुई थी जिसमें उत्तर कोरिया के प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने कोरिया के पुनः एकीकरण के प्रश्न पर अपनी सरकार का दृष्टिकोण समझाया था। प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने, जिनसे वह विशेष दूत मिले थे, उन्हें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत का रुख समझाया। दोनों पक्षों ने इस बातचीत के दौरान यह इच्छा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित किए जांय।

प्रतिरक्षा संस्थानों में रसोइये तथा भिश्ती

6531. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में रसोइयों तथा भिश्तियों को अपने संघ बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि असूचीबद्ध गैर-संयोधी कर्मचारियों को वे लाभ प्राप्त नहीं है जो संयोधी तथा सूचीबद्ध गैर-संयोधी कर्मचारियों को प्राप्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) प्रतिरक्षा संस्थानों में काम पर लगे रसोइयों और भिश्तियों पर सेना अधिनियम के अधीन सेना के मुख्य कार्यालयों का नियंत्रण होता है। तथापि भिश्तियों के पदों को समाप्त कर दिया गया है। सेना अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों के नियम 19 में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो सेना अधिनियम के अधीन है, बिना केन्द्रीय सरकार की स्पष्ट पूर्व स्वीकृति के किसी भी कार्मिक संघ या मजदूर संघ का सदस्य नहीं हो सकता। इस नियम का प्रतिबन्ध सेना के अनुशासन और कार्यकुशलता तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य गैर संयोधी कर्मचारियों (असूचीबद्ध) के साथ-साथ रसोइयों और भिश्तियों पर भी लागू होता है। क्योंकि ये गैर-संयोधी कर्मचारी उन संयोधी कर्मचारियों के सम्पर्क में रहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो स्वयं इस प्रतिबन्ध से बन्धे हुए होते हैं।

(ग) और (घ) गैर संयोधी कर्मचारी सेना में रहने वाले असैनिक कर्मचारियों से पृथम श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को स्थानीय आधार पर भर्ती किया जाता है। उन युद्धस्थल की सेवा सम्बन्धी कोई दायित्व नहीं होता। उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों संयोधी और गैर संयोधी (सूचीबद्ध) कर्मचारियों के समान नहीं होता। इसलिये (असूचीबद्ध) गैर संयोधी कर्मचारियों को उनको सेवा की शर्तों के अनुरूप होने वाला लाभ (सूचीबद्ध) गैर संयोधी कर्मचारियों को होने वाले लाभ से भिन्न होता है।

Persons Trained in Nepalese language in the Indian Aid Mission Embassy in Nepal

6532. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of External and Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons trained in the Nepalese language amongst the persons working in the Indian Embassy and the Indian-Aid Mission in Nepal ;

(b) the language in which the work in the Indian Embassy in Nepal is being carried on ;and

(c) the number of copies of Bhartiya Samachar (India News) published by the Indian Embassy in Nepal ond the languages in which published ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) According to information available none of the persons who have a working knowledge of Nepali language and are employed in the Indian Embassy , Kathmandu or the Indian Cooperation Mission , Kathmandu (not Indian Aid Mission) have received any special training in Nepali language . Some of them are India-based officials who have working knowledge of the Nepali language while others are local recruits from Nepal who do not require any training in the language . The total number of persons employed in the Indian Embassy and the I. C. M. , Kathmandu who have a working knowledge of Nepali language is 145 . This does not include Class IV staff employed in the Embassy and in the I. C. M. and at projects under the I. C. M.

(b) The Embassy in Nepal as elsewhere throughout the world is a Central Government office and all office procedures , including the language of work , are governed by orders of the Government of India. The Embassy can at present handle correspondence both in Hindi and English .

(c) 5,000 copies of the weekly journal 'Bhartiya Samachar' are published in the Nepali language .

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को सेवा मुक्त किया जाना

6533. श्री श्रीधरन : श्री प्रदिचन :
श्री क० लकप्पा : श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्वम्भरन : श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भारतीय वायु सेना के कुछ विमान चालकों और नेवीगेटरों को सेवा मुक्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सेवामुक्त करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकतर ऐसे अधिकारियों को, जिनकी आयु अधिक होती है, जिनकी भारतीय वायु सेना में पदोन्नति की सम्भावनाएं नहीं होती और जो असैनिक उड़ान के लिये योग्य होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार एयर इन्डिया की सेवा के लिये सेवा मुक्त कर दिया जाता है । कुछ नये भर्ती किये गये नेविगेटर भी एयर इन्डिया को भेजे गये हैं । ऐसे अनियमित तथा सहायक विमान चालकों को, जो योग्य थे और जो जाने के लिये इच्छुक थे, इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये सेवा मुक्त किया गया था ।

फ़िल्म सेंसर बोर्ड

6534. **श्री श्री धरन :** **श्री ग्रदिचन :**
श्री विश्वम्भरन : **श्री क० लकप्पा :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसरशिप शुल्क में वृद्धि के बावजूद भी फ़िल्म सेंसर बोर्ड घाटे में चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके खर्च में मित-व्ययता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे इस बोर्ड को आत्म-निर्भर संगठन बनाया जा सके ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : यह सच है कि सेंसरशिप फीस में वृद्धि के बावजूद भी हर साल 40 से 45 हजार रुपए का घाटा है। मितव्ययता करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

चल चित्र निर्माण व्यूरो

6535. **श्री श्री धरन :** **श्री ग्रदिचन :**
श्री विश्वम्भरन : **श्री क० लकप्पा :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र जांच समिति ने चलचित्र निर्माण-व्यूरों स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल फ़िल्म बोर्ड स्थापित करने के लिए एक चलचित्र विधेयक दिसम्बर, 1956 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। उस बोर्ड के अन्तर्गत तीन यूनिट अर्थात फिल्म सर्टिफिकेशन व्यूरो, फ़िल्म प्रोडक्शन व्यूरो और फ़िल्म इन्स्टीट्यूट स्थापित की जानी थी। सर्टिफिकेशन व्यूरो ने सेंसर बोर्ड की जगह लेनी थी, प्रोडक्शन व्यूरो ने वे काम करने थे जो अमरीका का 'प्रोडक्शन कोड एन्ड मिनिस्ट्रेशन' करता है और फ़िल्म इन्स्टीट्यूट ने फ़िल्म निर्माण में प्रशिक्षण देना था। किफायत की खातिर वह विधेयक वापिस ले लिया गया था। बाद में, एक अलग यूनिट के रूप में केवल फ़िल्म इन्स्टीट्यूट ही स्थापित किया गया था, जबकि किफायत करने के कारणों से फ़िल्म प्रोडक्शन व्यूरो का स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है। अतः केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड में निर्माताओं द्वारा अपनी मर्जी से उनके

पास भेजी जाने वाली लिपियों पर फ़िल्म निर्माण से पूर्व सलाह देने की व्यवस्था कर दी गई है ।

सिक्कम को सहायता

6537. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने पिछले 20 वर्षों में सिक्किम को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की कितनी सहायता दी है ;

(ख) क्या इस सहायता के उचित उपयोग की निगरानी रखने वाला कोई भारतीय अथवा भारत-सिक्कम अभिकरण है ;और

(ग) यह सहायता किन मुख्य परियोजनाओं पर खर्च की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स्वतंत्र भारत ने सिक्किम को अनुदान के आधार पर 12.50 करोड़ रुपए की सहायता दी है। 56 लाख रुपए के ऋण भी सिक्किम को दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, संचार की सुविधाएं भी व्यापक आधार पर दी गई हैं। भारत ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श भी दिया है ।

(ख) भारत - सिक्किम सहयोग कार्यक्रम आपस में सलाह - मशविरा करके बनाया जाता है और सिक्किम सरकार उसे क्रियान्वित करती है और धन के सही उपयोग का सुनिश्चय करने में सिक्किम सरकार भारतीय लेखा-परीक्षा ऐजेंसियों की सहायता लेती है ।

(ग) सिक्कम की सारी विकास योजनाओं के लिये भारत सरकार धन देती है ; अनुदान के रुप में और कुछ ऋण के रूप में । स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना और सुधार, भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देना, कृषि और पशु पालन का विकास, सड़कों और पुलों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन का विकास. विद्युत शक्ति पैदा करना, खनिज सर्वेक्षण और औद्योगिक विकास-ये उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कुछ हैं जिनमें भारत की सहायता का उपयोग किया जा रहा है ।

Defence Officers Sent Abroad for Training

6538 Shri Ram Chandra Veerappa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Officers from the Defence Services sent abroad for training during the period from 1964 to 1966;

(b) the names of countries to which they were sent; and

(c) their State-wise break-up ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) 585.

(b) Australisias ,Canada, France, Hong Kong, Japan, Netherlands, Singapore, Switzerland, U. K, U. S. A., U. S. S. R. West Germany.

(c) A statement giving the information is laid on the Table of the House [Placed in Library See No. L. T.1167/61]

S. C. and S. T. Employees and Artistes in Air Stations in Mysore

6539. **Shri Rama Chandra Veerappa :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees and staff artistes in all the stations of the A. I. R. in Mysore State as on the 31st December, 1966 ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : The total number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes personnel at Bangalore and Dharwar Stations and Bhadravati and Gulbarga Auxiliary Centres of All India Radio in the Mysore State is 50 and 4 respectively. There are no staff artists at these Stations/Centres belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities.

News Broadcasts About President's Visit to Canda

6540. **Shri Rama Chandra Veerappa :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Atam Das
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Special Bulletins in connection with the President's visit to Chanda and other places were broadcast daily by the News Services Division of the all India Radio in English only; and

(b) if so, the reasons for not broadcasting them in Hindi also ?

The Minister of Information and Broodcasting (Shri K. K. Shah) : (a) A special Radio Newsreel was put out every day;

(b) The Newsreel was based on actuality recordings of speeches by the President and foreign dignitaries, These speeches were invariably made in English and the programme could not, therefore, be put out in Hindi. On one occasion, the President answered questionsin Hindi and our programme carried his answers in his own voice in that anguage.

पोर्ट ब्लेयर में घाट का निर्माण

6541. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट्र ब्लेयर में एक घाट के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या हमारी नौसेना के जहाजों की मरम्मत के लिये वर्कशापों के निर्माण का कार्य भी आरम्भ हो गया हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पोर्ट ब्लेयर में घाट के निर्माण का कार्य अभी शुरू होगा । फिर भी निम्नलिखित सम्बद्ध कार्य पूरे किये जा चुके हैं :

एक) समुद्री मिट्टी पर जांच-पड़ताल सम्बन्धी खोज कार्य ।

(दो) औजारों, कारखानों और भंडारों के लिये स्थान ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पोर्ट ब्लेयर में मरम्मत सुविधाएं जुटाने के लिये वर्कशाप बनाने का काम पोर्ट ब्लेयर में नेवी की विकास योजना के एक अंग के रूप में है । चूंकि इस पर बहुत अधिक खर्च आयेगा, इसलिये इस पर विस्तार से विचार करना होगा, जिसमें अधिक समय लगना स्वभाविक होता है । योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उनके लिये सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) वर्कशाप के निर्माण का कार्य उसके शुरू होने की तारीख के तीन वर्ष के अन्दर पूरा हो जायेगा, ऐसी सम्भावना है ।

विदेशों से भारत लौटने के लिए बाध्य किये गये भारतीय राष्ट्रजन

6542. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 3 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्रव्रजन तथा आर्थिक विधियों के अन्तर्गत अपराधों, चोरी के कारण दण्डित और आप्रव्रजन विनियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रत्येक देश में कितने भारतीय राष्ट्रजन अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ख) वहां पर अनुमानतः उनको कितनी सम्पत्ति तथा अन्य आस्तियां छूट गई हैं और विदेशों द्वारा स्वदेश लौटाए गये इन व्यक्तियों को भारत ने क्या सहायता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र का स्टुडियो कक्ष

6543. **श्री मेघचन्द्र :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के स्टुडियो कक्ष में खराबी है और रेडियो कलाकार तथा श्रोता इसके बारे में शिकायतें करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्टुडियो में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) यह सच है कि आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के स्टुडियो-कक्ष में खराबी पाई गई और कुछ कलाकारों तथा

श्रोताओं से शिकायतें मिलीं। आवाज की निकासी के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। आवाज के छीजन को बन्द करने के लिये आवश्यक करार किये गये हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, इम्फाल

6544. **श्री मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में कितने 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव' हैं और उनमें से कितने व्यक्ति मनीपुरी भाषा जानते हैं;

(ख) इस केन्द्र में मनीपुरी भाषा जानने वाले कितने एसिस्टेन्ड प्रोड्यूसर हैं; और

(ग) क्या आकाशवाणी इस बात पर जोर देता है कि आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव' अथवा 'असिस्टैण्ट प्रोड्यूसर' के पदों पर मनीपुरी भाषा जानने वाले लोग ही नियुक्त किये जायें क्योंकि आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र मनीपुरी लोगों के लिये ही प्रसारण करता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में चार प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव हैं, और उसमें से कोई भी मणिपुरी भाषा नहीं जानता।

(ख) कोई नहीं।

(ग) इस केन्द्र के लिए प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों की अलग से भर्ती नहीं की गई, क्योंकि प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। परन्तु, नई भर्ती के समय मणिपुर की भाषा सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखने का प्रस्ताव है। इम्फाल केन्द्र में कोई एसिस्टैण्ड प्रोड्यूसर तैनात नहीं है। आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में नियुक्त लगभग सभी स्टाफ आर्टिस्ट मणिपुरी भाषा जानते हैं। जन-जाति भाषाओं में संगीत और प्रसारण के लिये लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के 20 से ऊपर अन्य स्टाफ आर्टिस्ट मणिपुरी भाषा में दक्ष हैं और वे मणिपुरी भाषा के प्रसारणों में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं।

गुजरात के समुद्र तट पर नौसेनिक प्रशिक्षण स्कूल

6545. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के बहुत लम्बे तट को किसी सशस्त्र आक्रमण से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या गुजरात के समुद्र तट पर एक नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस क्षेत्र की सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिये कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जामनगर में पहले से ही एक नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान है। नया नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिये जामनगर का विकास

6546. श्री प्र० न० सोलंकी - क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जामनगर शहर सैनिक तथा सामरिक महत्व का समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके हवाई अड्डे रुड़की के विकास तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपयोग के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में क्या योजनाएं हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ख) : परियोजनाओं की सामरिक महत्ता सैनिक कार्यवाहियों सम्बन्धी योजनाओं के आधार पर निश्चित की जाती है और सैनाध्यक्षों से उनके सम्बन्ध में सलाह ली जाती है। इस प्रकार की योजनायें और तत्सम्बन्धी सलाह बहुत ही गोपनीय होती है जिन्हें या उनसे उठने वाले प्रश्नों पर चर्चा करना लोकहित के विरुद्ध होता है।

भारतीय राजदूतों द्वारा विदेशों में नियुक्ति के दौरान सम्पत्ति की खरीद

6547. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कि० अमीन :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनयिकों तथा राजदूतों को विदेश सेवा में नियुक्त रहते हुए विदेशों में सम्पत्ति खरीदने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह विशेषाधिकार क्यों दिया गया है; और

(ग) क्या इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं हो सकता ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किसी भी राजनयिक को जिसमें राजदूत भी शामिल है, सरकार से पहले अनुमति लिए बिना विदेश में सम्पत्ति खरीदने की इजाजत नहीं है।

(ख) उन्हें आमतौर से ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नही है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के देखते हुए विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा

6549. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा में अब तक कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) उससे से कितने अधिकारियों ने स्वयं नौकरी छोड़ी और कितने अधिकारियों को सेवा से हटाया गया और कितने अधिकारियों को त्याग पत्र देने के लिये कहा गया; और

(ग) किन-किन व्यक्तियों को त्याग पत्र देने के लिये कहा गया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 334

(ख) उन अफसरों की संख्या जिन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी – 14

उन अफसरों की संख्या जिन्हें नौकरी से हटाया गया—1

(ग) कोई नहीं। एक अफसर नौकरी से बर्खास्त किया गया ।

एम० ई० एस० में सैनिक अफसरों के तबादले

6550. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5012 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०ई०एस० के उन सभी सैनिक अफसरों का अब दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया है जो एक पद पर चार वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्य कर चुके थे और जो 31 मार्च, 1967 से पहले दिल्ली में उस अवधि से अधिक समय से कार्य कर चुके थे;

(ख) क्या एम० ई० एस० के इंजीनियरों के पारी से (रोटेशन) तबादला करने के प्रश्न पर विचार करने के परिणामस्वरूप इन अफसरों को अब निर्धारित अवधि से अधिक समय तक दिल्ली में रहने का कम से कम अवसर मिलता है; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं की सभी श्रेणियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपने मन्त्रालय तथा विभिन्न अपीलीय अभिकारियों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिये भेजे जाने वाले अभ्यावेदनों, याचिकाओं तथा अपीलों की प्राप्ति की सूचना शीघ्र दी जाती है, उनको शीघ्र निपटाया जाता है तथा शिकायत करने वाले सम्बन्धित पक्ष को निर्णय के समर्थन में उसके कारण दिये जाते हैं।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां; केवल कुछ अधिकारियों को छोड़ कर जिनमें से तीन को एक निश्चित समय के लिये पुनः काम पर लगा लिया गया हैं, दो अधिकारी निम्न चिकित्सक श्रेणी के हैं और एक अधिकारी वह है जिसने एक विशिष्ट विषय में योग्यता प्राप्त कर ली है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार के सभी अभ्यावेदनों, याचिकाओं तथा अपीलों को निर्धारित स्थायी नियमों और अनुदेशों के आधार पर निबटाया जाता है। 1952 के सेना अनुदेश 320 की एक कापी सभा पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1162/67**]

आकाशवाणी केन्द्र, कड़प्पा

6551. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र से दिन के समय प्रसारण (रिलेइंग सर्विस) न लिये जाने के कारण आन्ध्र प्रदेश में कड़प्पा तथा उसके आसपास के जिलों के लोगों को कठिनाइयां तथा असुविधाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो कड़प्पा केन्द्र से दिन के समय प्रसारण (रिलेइंग सेवा की व्यवस्था) करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि वह एक रिले करने वाला केन्द्र है, दिन के समय सेवा की व्यवस्था करना सम्भव नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कड़प्पा के रिले करने वाले केन्द्र को मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र में बदलने की व्यवस्था है। जब यह हो जायेगा तो दिन की कठिनाइयां समाप्त की जायेंगी।

आकाशवाणी केन्द्र, कड़प्पा

6552. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र के बारे में 10 जुलाई, 1957 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र को रिलेइंगतथा कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र के रूप में बदलने के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री(श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जैसा कि 10 जुलाई, 1967 की अतारांकित प्रश्न संख्या 5122 के उत्तर में बताया गया था, आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र को रिलेइंग तथा मूल कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र के रूप में बदलने का चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है।

प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक अधिकारी

6553. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मा० स्व० शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री सूरज भान :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेनाओंके संयोघी संस्थानों में काम करने वाले असैनिक अधिकारियों को उन पदों पर स्थायी किया जाता है जो कमीशन प्राप्त अधिकारियों के होते है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको संयोघी अधिकारियों वाले पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त करते समय, पदोन्नति वेतन और भत्तों के मामलों में असैनिक अधिकारियों के पास कोई भेदभाव किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जब प्रतिरक्षा संस्थानों संयोघी और गैर सयोधी (भर्ती किये हुए) अधिकारी उपलब्ध नहीं होते, तब आवश्यकता पड़ने पर असैनिक अधिकारियों को अस्थायी आधार पर जब तक के लिये नियुक्त कर दिया जाता है तब तक संयोधी और गैर संयोधी (भर्ती किये हुए) अधिकारी उपलब्ध हों। इसलिये उन्हें स्थायी नहीं बनाया जा सकता। हां ऐसे कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी बनाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन

6554. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री न० कु० सोंघी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री दे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी एशियाई एकता पर जोर देने के लिये हाल में काहिरा में हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत को निमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या कोई सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या थे तथा इस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक–कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) से (ग) : भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता संगठन ने, जो कि एक गैर-सरकारी संस्था है, प्रतिनिधिमंडल 1 से 3 जुलाई 1967 तक काहिरा में आयोजित अफ्रो-एशियाई लोक एकता सम्मेलन की आपाती मीटिंग में भाग लेने के लिये भेजा था। भारत से कोई प्रतिनिधिमंडल सरकारी तौर पर नहीं भेजा गया। लेकिन यह मालूम है कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारतीय अफ्रो:एशियाई एकता संगठन का इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था।

श्री बी० के० कृष्णा मेनन (नेता)

डा० अनूप सिंह, संसद सदस्य

श्री सी० एन० मालवीय

श्री कलीमुल्ला ।

श्री फिज़ो की लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त से भेंट

6555. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :** **श्री य० प्र० प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री धीरेन्द्र नाथ :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री दे० अमात :**
श्री न० कु० सोंधी : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा नेता फिजो ने हाल में भारतीय उच्चायुक्त से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो इस भेंट के लिये किसने अनुरोध किया था; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यद बैठक श्री फिजो की प्रार्थना पर की गई थी जिन्होंने कोई बात नहीं कही ।

पेकिंग में भारतीय दूतावास

6556. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ तनावपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए सरकार ने पेकिंग स्थिति दूतावास को परिवार न रखने का स्टेशन घोषित करने की सम्भावना पर विचार किया है;और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है ।

वैलिंगटन छावनी (नीलगिरि) में पट्टे पर दी गई प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

6557. **श्री गंजा गौडर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री 5 जून 1967 तथा 10 जून, 1967 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 1487 और 5144 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की भूमि को पट्टे पर देते समय उस भूमि के मूलतः मालिकों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या वैलिंगटन (नीलगिरि) छावनी में भूमि केवल जेगयाला के ग्रामवासियों को ही दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं। रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि जो रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिहाज से फालतू है, उसके लिये प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जिनको यह भूमि कृषि के लिये पट्टे पर दी हुई है और जो पट्टे की शर्तों का पालन कर रहे और जिनके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं है। शेष भूमि के पट्टों के लिये प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार से है :—

(एक) भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां;

(दो) भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति;

(तीन) वस्तुतः किसानों अर्थात् उन लोगों की सहकारी समितियां जो स्वयं भूमि को जोतते हैं;

(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियां;

(पांच) दसवीं कक्षा पास बेकार तथा भूमिहीन लोग;

(छः) अन्य भूमिहीन लोग; और

(सात) भूमि के मालिक या काश्तकार जिनके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम भूमि है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Gifts for Jawans Deployed in N.E.F.A.

6518. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the psychological methods adopted by Government to keep up the morale of the Jawans deployed at Leh, Ladakh and North-East Frontier areas;

(b) whether Government propose to impose any restrictions on the sending of gifts to the Jawans;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the value of gifts sent to the Jawans since 1962 uptil now ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) The following facilities and concessions are given to troops serving in forward areas including Leh, Ladakh and NEFA to keep up their morale;

(i) Field Service concessions such as free rations for officers, compensatory allowance for Other Ranks, free postal facilities, retention of family accommodation at last peace station, etc.

(ii) High Altitude/uncongenial climate allowance for all ranks.

(iii) Amenities such as provision of sports-gear, indoor games, reading material. radios, transistors, gramophones and gramophone records.

(iv) Provision of cinema equipment including projectors and films.

(v) Provision of entertainments by entertainment parties.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No valuation has been made of the various kinds of gift articles received and distributed to the troops in forward areas from time to time.

Hindi Press

6559. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of the President of the Press Council that Hindi Press is the most backward, while the language of a majority of people in the country is Hindi;

(b) the reaction of Government in this regard; and

(c) the steps being taken by Government for the development of Hindi journalism and newspapers ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) It is understood from the Press Council that its Chairman, while addressing the students of the Siddhartha College of Journalism, said in Bombay on the 10th July, 1967 that "Hindi is the language spoken by the largest number of people in the country, yet it has the weakest press."

(b) Government are aware that, generally, the condition of the regional language newspapers is weaker than that of English newspapers. According to the annual report of the Registrar of Newspapers for India, 1966 the number of copies of Hindi papers per thousand of Hindi speaking population was 13.8 which was lower than the all-India proportion of 44.5 and there were 1 2 Hindi papers per lakh of Hindi speaking population in 1965 against the all-India figure of 1.7.

(c) The Press Council of India, set up by Government, has appointed a committee consisting of its Chairman and two other members to be nominated by him for recommonding the steps to be taken for the training of journalists, particularly, those working for regional language newspapers, including the Hindi newspapers

Government had decided to give a loan of Rs. 5 lakhs to the Samachar Bharati. a new news agency for distribution of news in Hindi and other major Indian languages, for the purchase of teleprinters and other ancillaries. An amount of Rs. 75,000 has already been released and the balance will be sanctioned depending on the release of the equipment by the Hindusthan Teleprinters Ltd., Madras.

The Press Information Bureau provides press facilities, the Press Registrar allocates newsprint and the Directorate of Advertising and Visual Publicity allots Government advertisements to newspapers, including those in Hindi, in accordance with the policy laid down from time to time.

खान अब्दुल गफ्फार खां

6560. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान अब्दुल गफ्फार खां एक सर्वदलीय निमंत्रण पर भारत आना चाहते हैं ;

(ख) क्या उन्हें सर्वदलीय निमंत्रण पर बुलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को यह पता नहीं है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को इस तरह का कोई निमंत्रण भेजा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नक्सलबाड़ी में नेपाली राष्ट्रजन

6561. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नक्सलबाड़ी में नेपाल के राष्ट्रिकों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में नेपाल से कोई पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल को चावल का कोटा सप्लाई करने में भारत सरकार की कथित असफलता

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : श्रीमान, मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूँ और प्रार्थना करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"केरल को चावल का घटाया हुआ कोटा भी सप्लाई करने का वायदा पूरा करने में भारत सरकार की असफलता जिसके परिणामस्वरूप वहां पर राशन व्यवस्था प्रायः समाप्त हो गई है।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : नई दिल्ली में 7 जुलाई, 1967 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस समय देश की गम्भीर खाद्य स्थिति विशेषतया चावल की नाजुक स्थिति, पर विचार-विमर्श हुआ था। केरल के मुख्य मंत्री जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था, को यह बात बतायी गयी थी कि भारत सरकार के लिए केरल को जुलाई में 44,000 मीटरी टन से अधिक चावल सप्लाई करना सम्भव नहीं होगा। 44,000 मीटरी टन के इस आश्वासित कोटे में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सप्लाई की जाने वाली 35,000 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह बताया है कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र को 6,000 मीटरी टन से थोड़ा अधिक चावल भेजने के अपने शेष वायदे पूरे करने हैं, इसलिए वह जुलाई में केरल को केवल 28,700 मीटरी टन चावल भेज पाएंगे। मद्रास से भी लगभग 4,500 मीटरी टन चावल मिलना था। यह मात्रा जून में उस राज्य से केरल की आवंटित मात्रा से बच गयी थी। मद्रास के मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया कि वह जुलाई में केरल को अन्य 5,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करें। मद्रास को इस चावल के बदले में गेहूं के पदार्थों की उतनी ही मात्रा सप्लाई की जाएगी। तथापि, उन्होंने केरल को और चावल भेजने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। आन्ध्र प्रदेश से सप्लाई में हुई इस सम्भव कमी को पूरा करने के लिए केरल को चावल भेजने के लिए चावल के एक जहाज को ढूंढने के प्रयत्न किए गए और लंका सरकार की सद्भावना से थाईलैंड से लंका ला रहे चावल के जहाज को कोचीन भेज कर ऐसा करना सम्भव हुआ है। आशा है कि यह जहाज़ जो कि 10,000 मीटरी टन चावल ला रहा है, इस महीने के अन्त में कोचीन पहुंच जाएगा।

दुर्भाग्यवश, आन्ध्र प्रदेश में चावल की उपलब्धि एवं अधिप्राप्ति में कठिनाई होने के कारण वहां से केरल उतना चावल नहीं भेजा गया जितना भेजने की आशा थी। मद्रास से भी संचलन काफी धीमा रहा है। इस महीने की 19 तारीख तक आन्ध्र प्रदेश और मद्रास से केरल को कुल लगभग 15,470 मीटरी टन चावल भेजा गया है। 7500 मीटरी टन चावल ला रहा एक जहाज कोचीन पहुंच गया है। आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास दोनों से अनुरोध किया गया है कि वे तेजी से चावल भेजें।

चावल की सप्लाई में हुई कमी को पूरा करने के लिए केरल को पर्याप्त मात्रा में गेहूँ भेजने के प्रबन्ध भी किए गए हैं। भारत सरकार इस बात से अवगत है कि चावल की सप्लाई में कमी होने के कारण केरल की जनता कठिनाई अनुभव कर रही है लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। निस्सन्देह, चावल की सप्लाई में कमी के कारण असुविधा अनुभव की जा रही है लेकिन गेहूँ की अतिरिक्त व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि केरल में राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत वैकल्पिक खाद्यान्न उपलब्ध हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : 30 मई को भी खाद्य मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि केरल में विद्यमान खाद्य स्थिति में दस दिन के अन्दर सुधार हो जायेगा। दस दिन की बजाय दो मास गुजर गये हैं परन्तु केरल की स्थिति और विकट होती जा रही है। खाद्य की कमी के कारण स्कूल तथा कालेज बन्द हो गये हैं। मैं खाद्य मंत्री से यह पूछना चाहता

हूं कि क्या केरल को चावल के सम्भरण का आश्वासन पूरा किया जायेगा और वहां पर विद्यमान गम्भीर स्थिति में कोई सुधार होगा ?

श्री जगजीवन राम : आन्ध्र से भेजे जाने वाले चावल में कमी हो जाने के कारण इस बात के लिये हमने विशेष प्रयत्न किये थे कि अन्य देशों को जाने वाले जहाज उधर भेजे जा सकें। इस मामले में श्रीलंका सरकार ने बहुत सहायता की है और एक जहाज केरल में भेजा जा सका है। केरल को कुछ चावल उधार देने के लिये मैं मद्रास सरकार से निवेदन करता रहा हूं। और आन्ध्र से चावल केरल में शीघ्र भेजने के लिये मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी बातचीत करता रहा हूं। उन्होंने वचन दिया है कि कठिनाइयों के बावजूद वह आन्ध्र से और अधिक चावल भेजने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नायनार (पालघाट) : केरल में खाद्यान्न की कमी के कारण पिछले तीन दिन से स्कूल तथा कालेज बन्द पड़े हैं। तीन चार जिलों में लोगों ने बाजारों में यातायात में बाधा डालनी शुरु कर दी है और जो कुछ हाथ लगा है ले गये हैं। केरल में स्थिति बहुत गम्भीर है। केरल के लोग मुट्ठी भर चावल के लिये तरस रहे हैं, क्या मंत्री महोदय चाहते हैं कि चावल प्राप्त करने के लिये लोग आन्दोलन करें। यह राजनैतिक भेदभाव है। यदि सरकार को केरल के लोगों का कुछ ख्याल है तो उन्हें तुरन्त कुछ चावल अथवा गेहूं दिया जा सकता है।

श्री जगजीवन राम : जब मैंने देखा कि केरल में चावल आशा के अनुसार नहीं पहुंच रहा है तो हमने अन्य देशों को रवाना होने वाले चावल के जहाजों को केरल भेजने का प्रयत्न किया और हम उसमें सफल हुए। परन्तु दुर्भाग्य से वह जहाज थाईलैंड से 18 को चलने की बजाये 22 को चला।

हम इस मामले में प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार के पास चावल के कोई भण्डार नहीं हैं जो केरल में शीघ्र ही भेजे जा सकें। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि चावल के सम्भरण के मामले में किसी राजनैतिक भेदभाव का प्रश्न नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : हमें चावल के मामले में देश तथा इस संसद से निवेदन करना पड़ रहा है क्योंकि खाद्य मंत्री द्वारा व्यक्त विचारों से यह समस्या बिल्कुल हल नहीं हो सकती। सरकार पिछले छः मास से इस मामले में बुरी तरह असफल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल को चावल का उतना कोटा, जितने का वचन दिया गया है, देने की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रही है अथवा सदा की भांति हमें यह बतायेगी कि हमने यह किया है और वह किया है।

केन्द्रीय सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में बुरी तरह रही है तो भारत के राज्यों को अपने हितों की ओर देखना होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र अपनी जिम्मेवारी समझें और इसे श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी अथवा श्री अनादुराई के ऊपर न डालें।

श्री जगजीवन राम : मुझे इस सम्बन्धत में और कुछ नहीं कहना है। हम इस बारे में यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। चावल के मामले में देश में तथा विश्व में स्थिति बहुत

गम्भीर है। हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करेंगे परन्तु हो सकता है कि इसके बावजूद यह सम्भव न हो कि केरल में उतना चावल भेजा जा सके जितने की कि हमें आशा थी। ऐसी स्थिति में हमारे लिये यही विकल्प है कि चावल की कमी पूरी करें।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : हम आपसे वास्तव में यह निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें कुछ खाद्यान्न दें, अन्यथा केरल के लोग भूख से मर जायेंगे। केरल के लोगों ने कांग्रेस का शासन हटा दिया है, इस कारण आप उनसे बदला नहीं ले सकते। आप राजनैतिक चालें चल रहे हैं। क्या आप केरल में जाकर वहां के लोगों को खाद्य के मामले में सन्तुष्ट करने के लिये तैयार हैं।

श्री जगजीवन राम : खाद्य के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये। यदि मेरे केरल में जाने से इस मामले में कोई सहायता मिल सकती है तो मुझे वहां जाने में कोई हिचकचाहट नहीं है।

श्री जनार्दनन (त्रिपुर) : क्या सरकार का यह मत है कि उसने इस सम्बन्ध में जो कुछ सम्भव है, कर लिया है तथा अधिक कुछ नहीं कर सकती और यदि केरल सरकार वहां के रहने वालों के लिये भोजन व्यवस्था करना चाहती है, तो यह उसकी अपनी समस्या है और वह जहां से चाहे खाद्यान्न ले सकती है।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह बात सभा में पहले ही कही है कि खाद्यान्न का मामला केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की साझी जिम्मेवारी है। मैंने अपनी जिम्मेवारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : खाद्य मंत्री पश्चिमी बंगाल तथा केरल को खाद्यान्न देने की बजाये हमें बातों से टाल रहे हैं **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय वचन देकर टालने में बहुत निपुण हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2ग की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2246 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बोडा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड को उक्त अधिनियम की धारा 2ग के प्रवर्तन से छूट दी गई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1152/67]**

कोयला खनन उद्योग के विषय में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REPORT OF CENTRAL WAGE BOARD FOR COAL MINING INDUSTRY

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं कोयला खनन उद्योग के विषय में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1153/67]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि मजूरी स्थिर करने की योजना :

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने खनन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में एक अधिसूचना तथा सरकारी संकल्प जारी किया है। वह इसके लिये त्रिपक्षीय बैठक बुलाना चाहते हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ परन्तु आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि मजूरी तथा मूल्य स्थिर करने की एक एकीकृत योजना बनाई गई है, मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि क्या यह गलत है अन्यथा हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह सुन कर हैरानी हुई है। मंत्री महोदय के कोयला मजूरी बोर्ड के बारे में वक्तव्य दिया है।

श्री हाथी : यह निर्णय सरकार द्वारा किया गया है और मंत्रिमंडल में मतभेद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार केवल ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करती है जो युक्तिसंगत हों। परन्तु ऐसा करने से पूर्व सम्बन्धित पक्षों से बातचीत अवश्य कर ली जाती है। मुख्य कठिनाई तो अब इन सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में है। इस बारे में बातचीत हो रही है. . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल बोर्ड की उन सिफारिशों को जानना चाहता था जो सर्वसम्मति से नहीं की गई थीं परन्तु जिनको सरकार ने स्वीकार करना आवश्यक समझा है ?

क्या नियोजकों के प्रतिनिधियों ने इन्हें स्वीकार करने की बात मान ली थी अथवा उनमें इस बारे में कोई मतभेद था और क्या वे इन्हें क्रियान्वित करने के लिये तयार नहीं हुए थे और यदि वे इन्हें क्रियान्वित करने के लिये तैयार नहीं हुए थे तो सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किये जाने में क्या लाभ है ?

श्री हाथी : ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले नियोजकों में समझौता कराया जाय और फिर किसी निर्णय की घोषणा की जाये । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करती है जो वह समझती है कि युक्तिसंगत है और जिनके बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी । ऐसा हो सकता है कि इधर उधर कुछ फेर बदल करना पड़े और इसके लिये बातचीत चल रही है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, I am not asking about the Gajendragadkar Commission. I was referring to a news item appeared in the "Times of India" which says that "The question whether deferment should also cover the revision of salaries is believed to be still under examination." May I know whether the question of revision of salaries or wages is also under consideration ? It has been noticed that the Ministry of Labour is considered to be a second class or third class Ministry and as such is ruled over by the Ministries of Finance and Home Affairs.

श्री हाथी : जहां तक मजूरी बोर्ड के निर्णय का प्रश्न है यह निर्णय वित्त मंत्रालय की सहमति से किया गया है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि श्रम मंत्रालय द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का मंत्रालय है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

REGARDING QUESTION OF PRIVILEGE

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश के मामले के बारे में माननीय गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी । मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए गृह कार्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि उस राज्य के राज्यपाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथाकथित की मंत्रणा पर यह कार्यवाही की थी । चूंकि विधान-सभा में मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है और अब वह मुख्य मन्त्री नहीं है । अतः राज्यपाल ने इस मामले में पक्षपात किया है । उन्हें दिल्ली में हुई आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी देखा गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले ही सूचित किया जा चुका है कि अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Is my notice for a privilege motion about the statements of the Governor and the Minister of Home Affairs under consideration ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां । अध्यक्ष महोदय इस पर विचार कर रहे हैं ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं नहीं कह सकता कि क्या राज्यपाल ने आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया था अथवा नहीं ।

श्री हेम बरुआ : मुझे कई पत्रकारों ने, जो मेरे मित्र हैं, बताया है कि वह वहां थे ।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने इस बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग नहीं लिया ।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967

FINANCE (No. 2) BILL, 1967

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैंने अपने बजट भाषण में बजट प्रस्तावों के सिद्धान्तों को पूरी तरह विवेचना की थी तथा वित्त-विधेयक की व्यवस्थाओं का पूरा विवरण व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है जो सदस्यों को दिया जा चुका है । बजट पर बहस के दोरान, माननीय सदस्यों ने इन प्रस्तावों के बारे में कई सुझाव सामने रखे हैं । पिछले आठ हफ्तों में मुझे जनता से भी कई आवेदन प्राप्त हुए हैं । जिन लोगों ने बजट प्रस्तावों का ध्यान से अध्ययन किया है तथा ठोस सुझाव दिये हैं, इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं । घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिये बिना ही, जरूरी खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व की व्यवस्था करने के प्रस्ताव करने का काम ही मुख्य रूप से मेरे सामने था । साथ ही, ऐसी बातों का भी ध्यान रखना था कि रोजमर्रा काम में आने वाली जरूरी चीजों के दामों में वृद्धि को टालने की, उत्पादन को बढ़ावा देने की तथा कर वसूल करने की कार्यवाही को सरल बनाने की जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं, और जो भिन्न भिन्न सुझाव पेश किये गये हैं, उनका विचार करते समय भी उपयुक्त आवश्यक बातें मेरे ध्यान में रही हैं ।

पहले में अप्रत्यक्ष करों को लूंगा । मैंने जूतों तथा उसके हिस्सों पर फिर से उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव इसलिए किया है कि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके । परन्तु इसके साथ ही मैंने यह भी ध्यान रखना जरूरी समझा है कि सस्ती किस्म के जूतों के दाम ग्राहकों के लिए बढ़ने नहीं पावें । एतदनुसार, जिस जूता-जोड़ी का थोक-बिक्री का दाम 5 रुपये से अधिक नहीं हो उसके सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क से पिछली तारीख से पूरी छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं । इसके अलावा चमड़े के जिस जूता-जोड़ा का दाम 5 रुपये से तो अधिक हो परन्तु 8 रुपये से अधिक न हो, उसके सम्बन्ध में लगने वाले उत्पादन शुल्क के लिए उत्पादकों से कहा जा रहा है कि वे शुल्क को समाहार कर लें । इस प्रकार इन सस्ते किस्म के जूतों के दामों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये ।

अलूमिनियम पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में पेश किये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करते समय, मेरे ध्यान में यह बात रही है कि अलूमिनियम के बरतनों के उपभोक्ताओं

को अधिक दाम नहीं देने पड़े और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के उस अंश तक का भार उद्योग उठा ले जिस अंश का सम्बन्ध, विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण बचत करने वाले किसी उद्योग के सतत विस्तार के साथ हो। मुख्य रूप से बरतन बनाने के काम आने वाली चद्दरों के गोल पतरों पर उत्पादन स्तर पर 600 रुपये के उत्पादन शुल्क तक की छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। चद्दरों के इन गोल पतरों के बड़े तथा छोटे सभी उत्पादकों के लिए बजट-पूर्व की कीमतों को बनाये रखना जरूरी होगा और इसलिए, अलूमिनियम के बरतनों के उपभोक्ता-मूल्य में वृद्धि होने का किसी भी प्रकार कोई औचित्य नहीं है।

अलूमिनियम की सिल्लियों, चादरों, प्लेटों तथा गोल-पतरों पर उत्पादन शुल्क की वृद्धि के बारे में दो मुख्य निर्माताओं से कहा जा रहा है कि बढ़ाये गये उत्पादन शुल्क के एक अंश का औसत हिसाब से 250 रुपये प्रतिटन तक का भार वे खुद उठा लें तथा उपभोक्ता को और भी राहत देने की दृष्टि से इन वस्तुओं पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को 120 रुपये प्रतिटन की दर से घटा देने का प्रस्ताव भी है। शुल्क में की जा रही इस कमी को तथा बरतन बनाने के काम आने वाले चद्दरों के गोल पतरों पर उत्पादन-स्तर पर दी जा रही उत्पादन-शुल्क की छूट को पिछली तारीख से लागू किया जायगा। छोटे उत्पादकों के तुलनात्मक निम्नतर लाभ की दर का खयाल रखते हुए उनके स्वयं के द्वारा उठाये जाने वाले शुल्क के भार की दर कुछ कम रखी जा रही है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि उद्योग का विस्तार बराबर तरक्की करता रहे। इसलिए, किसी भी वित्तीय वर्ष में निकास किये गये अलूमिनियम के अधि-उत्पादन पर देय उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 25 प्रति शत की दर से कर जमा मंजूर करने का मेरा प्रस्ताव है। इस रियायत का लाभ उन उत्पादकों को मिलेगा जो अपने कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ायेंगे, क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र के हित में जरूरी है। चालू वर्ष से शुरू करके, अलूमिनियम उद्योग को भी सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, कास्टिक सोड़ा और खारी-सोडा उद्योगों के स्तर पर माना जायगा। इस प्रकार वर्ष 1964-65 में किये गये उत्पादन को आधार मान कर उसके ऊपर जितनी वृद्धि उत्पादक कर सकेंगे, उसके सम्बन्ध में उनको फायदा पहुंचेगा, परन्तु इससे वर्तमान वर्ष में राजस्व की कोई हानि नहीं होगी।

अलूमिनियम के सम्बन्ध में इन प्रस्तावों का एकन्दर प्रभाव यह होगा कि (बरतन बनाने के काम आने वाली चद्दरों के गोल पतरों को छोड़ कर) अलूमिनियम की सिल्लियों तथा अन्य उत्पादनों के उपभोक्ता के लिए उत्पादन शुल्क की इस वर्ष में की जा रही वृद्धियों की सीमा को औसतन 370 रुपये प्रतिटन की दर से कम कर दिया जायगा। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ उत्पादकों को कहा जायगा कि जहां तक बरतन बनाने के काम आने वाली चद्दरों के गोल पतरों का सम्बन्ध है अतिरिक्त शुल्क के भार का कोई भी अंश वे उपभोक्ता पर नहीं डालेंगे। जो छोटे निर्माता पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से पुराने अथवा रद्दी अलूमिनियम से बरतन बनाते हैं उन्हें भी आदेश दिया गया है कि वे कीमतों में परिवर्तन नहीं होने दें। बाकि वस्तुओं के निर्माताओं के लिए संशोधित मूल्य को विज्ञापित करना आवश्यक रखा गया है, जिसमें शर्त यह है कि उत्पादित अलूमिनियम के प्रतिटन पर कम से कम उस सीमा तक औसत दर पर वे उत्पादन शुल्क का समाहार करेंगे जो स्तर उनके उत्पादन के समग्र रुप के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जायगा। उन्हें सरकार

को इस बात का संतोष कराना होगा कि इस शर्त का पालन किया जा रहा है। अब लगभग अलूमिनियम के सभी तरह के उत्पादन औद्योगिक उपयोग में लगते हैं और क्योंकि अब अलूमिनियम की उत्पादित वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले कई कारखाने आसानी से उपलब्ध हैं इसलिये उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि के एक अतिरिक्त भाग के भार का समाहार उनको करना चाहिये।

बजट-व्यवस्था में इस बात का प्रस्ताव किया गया था कि अलूमिनियम सिल्लियों के आयात पर उत्पादन शुल्क के मुकाबले प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की दर 400 रुपये की कमी करके लागू की जाय। यह इसलिए किया गया था कि अतिरिक्त शुल्क का उपयुक्त भार-वाहन प्रत्येक उत्पादक द्वारा हो। क्योंकि अब शुल्क के भार वहन के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद प्रबन्ध कर लिये गये हैं, तथा साथ ही राजस्व की सुरक्षा एवं अनावश्यक आयात बन्द करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क भी हमेशा की दर से अर्थात् उत्पादन शुल्क की समान दर से वसुल किया जाय।

संश्लेषित वस्त्रों तथा सूतों पर लगाये गये अतिरिक्त शुल्कों के सम्बन्ध में मुझे कितने ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। सम्बन्धित उद्योगों के प्रतिनिधियों से साथ विस्तार से चर्चाएं हुई हैं। इन वस्तुओं के लाभ तथा उपभोग के आकार-प्रकार को दृष्टि में रखते हुए इस समूह के प्रति भिन्न व्यवहार अपनाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उत्पादन शुल्क की दरों में कुछ ऊपर नीचे परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां तक रेयन का सवाल हैं, मैं उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरों में 20 पैसे से लेकर 40 पैसे तक प्रति किलो-ग्राम तक की कटौती का, और छोटे कारखानों के मामले में इससे भी अधिक कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। जिन कारखानों का प्रतिदिन का औसत उत्पादन 10 मीट्रीक टन से कम है वे छोटे कारखानों के लिये नियत रियायती दरों पर शुल्क अदा कर सकेंगे। मैंने बड़े और छोटे कारखानों में भेद रखना जरूरी समझा है क्योंकि छोटे कारखानों की लाभ कमाने की क्षमता बड़े कारखानों की अपेक्षा कम होती है। मैं 30 से कम डेनियर के नायलन सूत पर उत्पादन शुल्क में 18 रुपये प्रति किलो ग्राम की, तथा 30 डेनियर और उससे ऊपर, 74 डेनियर तक के नायलन सूत पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैंने इस बात का इतमिनान कर लिया है कि शुल्क में जिन कटौतियों का मैंने संकेत किया है उनको देखते हुए नायलन सूत की बजट-पूर्व की औसत किमतें बढ़ने का कोई कारण नहीं है। उसी तरह नायलन सूत के मामले में प्रस्तावित कटौतियों को ध्यान में रखते हुए बजट पूर्व की औसत कीमतें ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिये उदाहरण के तौर पर औसत कीमत 20 डेनियर के लिए 110 रु० से लेकर 115 रुपये के आसपास थी और इसमें कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सैलूलोज तन्तु से बने कपड़े के मामले में शुल्क में जो थोड़ी वृद्धि की गई है उसका भार पूरी तरह उत्पादकों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। टैरीन समस्तरूप से ऐसे कपड़े बनाने के काम आती है जिनका उपभोग जनता के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग करते हैं और उनके उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि को रोके रखना उतना जरूरी नहीं है। इसके अलावा टैरीन रेशे और सूत पर उत्पादन शुल्क में बजट में प्रस्तावित वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जितनी की बढ़िया किस्म के नायलन सूत पर। इसलिए उत्पादन शुल्क की दर में हेर फेर

करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि टैरीन के मामले में अतिरिक्त शुल्कों का लगभग आधा भार रेशे और सूत उत्पादकों द्वारा उठाया जाएगा, जिसमें से सूत उत्पादक 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क का भार उठायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि शेष भाग का भार व्यापार की वितरण शृंखला उठा लेगी। अलूमिनियम और कृत्रिम रेशे के उत्पादकों द्वारा शुल्क का भार उठाये जाने के बारे में जो प्रस्ताव हैं उनको उत्पादकों के साथ अनौपचारिक समझौतों द्वारा कार्यान्वित करने का विचार है। इन उत्पादकों को बजट पूर्व की और बजट अनन्तर की कारखाना–में–मूल्यों की सूचियां भेजने को कहा जायगा। इन सूचियों की इस दृष्टि से छान–बीन की जाएगी कि शुल्क का जितना भार उत्पादकों द्वारा उठाये जाने की मैंने बात कही है, उतना भार वे उठा सकेंगे।

बिजली से चलने वाले करघों पर काम करने वाले बुनकरों, कताई मिलों तथा मांड लगाने के कारखानों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सुपरफाइन काउन्टों के मांड लगे सूत पर शुल्क में की गई वर्तमान वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को बताया गया है। कुछ मामलों में, बजट प्रस्तावों के कारण होने वाले अतिरिक्त राजस्व के बारे में बड़ा ही अतिरंजित दृष्टिकोण अपनाया गया है। जैसाकि सदन को पता है वर्तमान बजट प्रस्ताव बिजली से चलने वाले करघों की जांच समिति' की रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि बिजली से चलने वाले करघों पर बने कपड़े के मुकाबले संश्लिष्ट मिल के बने कपड़े पर उत्पादन शुल्क के प्रभाव के अन्तर का इस प्रकार समायोजन किया जाय कि बिजली से चलने वाले करघों पर बने कपड़े के पक्ष में 18 प्रतिशत की गुंजाइश बनी रहे। यद्यपि हमने अपने प्रस्तावों में 20 प्रतिशत की गुंजाइश रखी थी परन्तु बिजली करघा उद्योग ने मांग की है कि यह गुंजाइश अधिक बढ़ा दी जाय। मैं प्रारंभिक जांच किये बिना 'बिजली से चलने वाले करघों की जांच समिति' की रिपोर्ट में बताये गये प्रतिमान से बहुत अधिक हटना नहीं चाहता था, इसलिए एक दल को यह काम सौंपा गया कि वह विभिन्न अभ्यावेदनों में दी गई बातों की जांच करे और यह बताये कि क्या बजट प्रस्तावों में रखी गई गुंजाइश से अधिक गुंजाइश देना न्यायोचित होगा। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर मैं सुपरफाइन कांउट के मांड लगे निर्मित सूत पर शुल्क 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम से कम करके 5 रु० 20 पैसे प्रतिकिलोग्राम करना चाहता हूँ। यह रियायत देने में सरकार को 1.48 रुपये की हानि होगी।

रेयन तथा नाइलन सूत पर तथा सुपरफाइन काउन्ट के मांड लगे निर्मित सूत पर उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली रियायत पिछली तारीख से इस शर्त पर दी जायगी कि यह रियायत बुनकरों तक पहुँच जाय।

सदन को याद होगा कि सिगरेटों पर शुल्क में अधिक वृद्धि को देखते हुए मैंने सिगारों तथा चुरटों पर शुल्क में नाम मात्र की वृद्धि का प्रस्ताव किया था। लेकिन चूंकि सिगार तथा चुरट गृह–उद्योग के उत्पाद हैं जिनमें रोजगार की काफी गुंजाइश है और जिसकी दशा पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं रही है, इसलिए मैं सिगारों तथा चुरूटों को बजट में की गई वृद्धियों से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

सदन को याद होगा कि कच्चे मेंगनीज के निर्यात शुल्क पर कटौती का प्रस्ताव किया गया है। यह कटौती मुख्यतः रेल भाड़े में हाल में की गई वृद्धि को प्रति संतुलित करने की

दृष्टि से की गई है; बढ़िया किस्म के खनिज लौहे पर (जिसमें ब्लू डस्ट भी शामिल है), निर्यात शुल्क में समायोजनात्मक वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। लेकिन इस आशय के आवेदन किये गये हैं कि निम्नतर ग्रेडों के कच्चे मेंगनीज तथा लोहे, दोनों पर अधिक रियायत की आवश्यकता है क्योंकि घटिया किस्म की तथा बढ़िया किस्म की कच्ची धातुओं पर लगने वाले शुल्क की समान निर्दिष्ट दर का घटिया किस्म की कच्ची धातु पर बहुत भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न ग्रेडों के माल का अलग अलग निर्यात मूल्य मिलने से, मैंने लोहे तथा कच्चे मेंगनीज की धातुओं पर निर्यात शुल्क में कुछ समायोजन करने का फैसला किया है जिसका प्रभाव घटिया किस्म की कच्ची धातुओं पर अधिक न्यायोचित पड़ेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्ताव है कि लोहे की पिण्डीभूत जिस कच्ची धातु में लोहे का अंश 62 प्रतिशत हो उस पर निर्यात शुल्क 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ा कर 10.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन समयोजनात्मक वृद्धि कर दी जाय तथा इन घटिया किस्म की दोनों ग्रेडों पर, जिनमें लोहे का अंश क्रमशः 60 से 61.99 प्रतिशत तक तथा 59.99 प्रतिशत तक होता है, शुल्क को 9 रुपयें प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 7.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया जाय। इसी प्रकार बढ़िया किस्म के कच्चे लोहे में (ब्ल्यू डस्ट को शामिल करके) लोहे का अंश 62 प्रतिशत से कम हो, उस पर शुल्क की दर 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से घटा दी गई है और 10 प्रतिशत मेंगनीज अंश से कम वाले मेंगनीज पर शुल्क की दर को 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 7 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है।

अप्रत्यक्ष कराधान में मैंने जिन रियायतों का उल्लेख किया है उनसे एक पूरे वर्ष में 15.36 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

अब मैं प्रत्यक्ष–करों के प्रस्तावों पर आता हूं। संगठित संस्थाओं द्वारा भारतीय निवासियों को दलाली तथा कमीशन, व्यवसाय सम्बन्धी सेवाओं एवं ऋणों पर ब्याज, जमा पूंजियों और अन्य उधार ली गयी रकमों के रूप में अदा की जाने वाली रकमों पर स्रोत पर ही कर की कटौती की जाने के लिये विधेयक में व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि ये उपबन्ध लेखा-वाह्य धन की समस्या को हल करने तथा जहां तक संभव हो सके अर्जित आय पर कर की वसूली करने के उद्देश्य से लागू किये गये थे लेकिन मुझे प्राप्त हुए अनेकानेक आवेदनों में जोर देकर कही गयी दो बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। पहली बात तो यह है कि दलाली, कमीशन अथवा व्यवसाय सम्बन्धी फीस कमाने में काफी खर्च करना पड़ता है और इसलिये इन सकल प्राप्तियों से स्रोत पर की गई कर की कटौती से कठिनाई पैदा हो जायगी। दूसरी बात यह कही गयी है कि इन उपबन्धों का पालन करने के निमित्त काफी प्रशासनिक कार्य एवं लिखा-पढ़ी का काम भी काफी बढ़ जायगा। तदनुसार, दलाली तथा कमीशन अथवा व्यवसाय सम्बन्धी सेवाओं के बदले की जाने वाली अदायगियों को मैं इन उपबन्धों की सीमा से बाहर रखने का तथा इन उपबन्धों को केवल ब्याज की अदायगियों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं स्रोत पर कर की कटौती के व्यवस्था से मुक्त ब्याज की एकाकी अदायगियों की सीमा को विधेयक में प्रस्तावित 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर देने का प्रस्ताव रखता हूँ। कम्पनियों को की जाने वाली अदायगियों के मामले में ब्याज की रकम में स्रोत पर कर की कटौती की दर 22 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और व्यक्तियों को, अविभाजिक हिन्दू परिवारों तथा अन्य अनिगमित

संस्थाओं को की जाने वाली अदायगियों के मामले में 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बैंकिंग कम्पनियों, भूमि-बंधक-बैंकों से भिन्न सहकारी बैंकों, वित्तीय निगमों, जैसे औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्तीय निगमों, जीवन बीमा निगम, बीमा कम्पनियों तथा बीमा का कार्य करने वाली सहकारी समितियों, भारत का यूनिट ट्रस्ट तथा इस प्रकार की अन्य ऐसी संस्थाओं, निकायों तथा संघों को, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अधिसूचना जारी करे, मैं नये उपबन्ध की व्यवस्था से बाहर रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

जिन लोगों की सम्बन्धित वर्ष में कर लगने योग्य आय नहीं होती है, उनको कर की कटोती किये बिना ही ब्याज की अदायगी को सुविधाजनक बनाने के लिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक शपथ-पत्र भरने के बजाय एक लिखित विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वर्ष के दौरान उनकी कर लगने योग्य आय नहीं होगी। विवरण-पत्र पर एक राजपत्रित अधिकारी अथवा कुछ अन्य उल्लिखित अधिकारियों के सामने हस्ताक्षर करने होंगे तथा उसे उक्त निर्दिष्ट अधिकारी आदि के द्वारा सत्यापित कराना होगा। उक्त अधिकारी को केवल यही प्रमाणित करना होगा कि वह घोषणा-पत्र भरने वाले व्यक्ति को जानता है। जिन मामलों में ऋण देने वाला व्यक्ति इस प्रकार की घोषणा करता है वहां ब्याज की अदायगियों पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायगी।

इस विधेयक के उपबन्धों में से एक के द्वारा पंच वर्षीय 'कर से छुट्टी' रियायत से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को उदार बनाने के लिए कमी को आगे ले जाने की मंजूरी देने की व्यवस्था की गई है अर्थात वह रकम जिससे किसी वर्ष में लाभ की रकम उस वर्ष में 'कर से छुट्टी' की अवधि में लगी हुई पूंजी के 6 प्रतिशत से कम पड़ती हो तो पहले वर्ष से शुरू करके कुल आठ वर्षों की अवधि के अन्दर के तदनन्तर के वर्षों के लाभों में वह रकम प्रतिसंतुलित की जा सकेगी। विधेयक में यह व्यवस्था रखी गई है कि किसी भी वर्ष में मंजूर की जाने वाली कमी की रकम का हिसाब संग्रह होते रहने के आधार पर जोड़ा जा सकेगा, अर्थात 'कर से छुट्टी' की अवधि में पूर्ववर्ती प्रत्येक वर्ष के दौरान लगी हुई पूंजी की 6 प्रतिशत रकम की कुल जोड़ में से उन वर्षों में हुए लाभ की रकम की कुल जोड़ घटा दी जायगी। जिन मामलों में औद्योगिक उपक्रम को वर्ष में लगी हुई पूंजी के 6 प्रतिशत से अधिक लाभ हुआ हो ओर 'कर से छुट्टी' की अवधि के दौरान परवर्ती वर्ष में उसके लाभ में उसके लाभ में कमी आ गयी हो इस तरीके से वास्तविक कमी हिसाब किताब में थोड़ी रह जायगी क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष में हुए अधिक लाभ की रकम से कमी का आंशिक प्रति-संतुलन हो जायगा। ऐसे मामलों में कमी की पूरी रकम को आगे ले जाने और प्रति-संतुलित करने के लिये यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि इकट्ठे होते रहने वाले आधार पर गणना करने के बजाय प्रत्येक वर्ष की कमी का हिसाब अलग-अलग लगाया जायगा।

जिन औद्योगिक उपक्रमों में विस्थापित व्यक्ति तथा विदेशों से लौटे हुए व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं उनको कुछ शर्तों के साथ कर में रियायत देने की विधेयक में व्यवस्था की गई है। इन शर्तों में संशोधन करते हुए मैं विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटे हुए व्यक्तियों की आयु से सम्बन्धित उपबन्ध को हटाने का प्रस्ताव करता हूं तथा कम से कम कामगारों की संख्या 50 से घटा कर 40 करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

इस विधेयक के उपबन्धों में से एक व्यवस्था ऐसे औद्योगिक कारखाने, को रुपये के अव-मूल्यन के कारण उस कारखाने पर आये हुए ऐसे अतिरिक्त रुपया दायित्व के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी रियायत देना है, जिसने रुपये के अवमूल्यन की तारीख से पहले आस्थगित अदायगी के आधार पर अथवा विदेशी ऋण पर विदेशों से पूंजी के रूप में मशीनी-परिसम्पत्ति आयात की हो।

ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई हैं कि क्या यह उपबन्ध उन औद्योगिक कारखानों के मामले में लागू होगा जिन्होंने ऐसी पूर्वी यूरोपीय देशों से आस्थगित अदायगी की शर्तों पर पूंजी के रूप में संयंत्र आयात किये हैं जिनको भारतीय रुपये में ही अदायगी की जाती है। इन मामलों में भी रुपये के सम-मूल्य में परिवर्तन होने के कारण भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से की गयी औपचारिक व्यवस्था का पालन करने से रुपयों में अदा की जाने वाली देनदारियों में वृद्धि हो जायगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधेयक के वर्तमान उपबन्ध ऐसे मामलों में भी समान रूप से लागू होंगे जिनमें आयात की गयी परिसम्पत्तियों का पूरा मूल्य अथवा उसका एक भाग विनिमय नहीं हो सकने योग्य भारतीय रुपये में अदा किया जाना है, किसी विदेशी मुद्रा में नहीं। इस विधेयक का अभीप्राय, कर का हिसाब जोड़ने की पद्धति को सरल बनाने के उपाय के रूप में, आयकर अधिनियम में अन्तर्निगमित लाभांशों पर कर में छुट की मंजूरी की वर्तमान व्यवस्थाओं के स्थान पर एक अन्य व्यवस्था कायम करना है जिससे लाभांश पाने वाली कम्पनी, सामान्य मामलों में, अपनी कर लगने योग्य आय का हिसाब लगाने में उक्त लाभांश में से 60 प्रतिशत रकम की कटौती कर सके। विदेशी कम्पनियों के मामले में, जिनकी कुल आमदनी पर इस समय 70 प्रतिशत कर लगता है, अन्तर्निगमित लाभान्शों में से 60 प्रतिशत की कटौती कर देने से उक्त लाभांशों के बचे हुए 40 प्रतिशत भाग पर 70 प्रतिशत की पूरी दर पर कर लगेगा। जिसका नतीजा यह होगा कि वर्तमान कानून के अधीन 25 प्रतिशत के वास्तविक कर-भार के स्थान पर 28 प्रतिशत का वास्तविक भार हो जायगा। विदेशी कम्पनियों को देशी कम्पनियों से मिलने वाले अन्तर्निगमित लाभांशों पर लगने वाले कर के भार को यथासम्भव वर्तमान कानून के अन्तर्गत लगने वाले कर के भार के बराबर बनाये रखने के उद्देश्य से, अब मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उनके मामले में उक्त लाभांशों से कटौती की प्रतिशत-दर इस विधेयक में निर्दिष्ट उक्त लाभांशों के 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत कर दी जाय। इस प्रकार, बाकि बचे 35 प्रतिशत लाभांश पर 70 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जिससे सम्पूर्ण लाभांश पर कर की दर वास्तव में 24.5 प्रतिशत रहेगी। अतः उक्त लाभांशों से स्रोत पर कर की कटौती की दर इस विधेयक में दी गई 28 प्रतिशत की दर के स्थान पर 24.5 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव भी है।

कर का हिसाब जोड़ने की पद्धति को सरल बनाने के रूप में, इस विधेयक का अभिप्राय धर्मार्थ दान पर कर में छूट की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर, एक अन्य व्यवस्था करना है जिससे दान देने वाले की कर लगने योग्य आय का हिसाब लगाने में छूट पाने योग्य दान की रकम में से 50 प्रतिशत की सीधी कटौती ही की जा सके। छूट पाने योग्य दान की रकम से 50 प्रतिशत की कटौती करने से गैर-निगमित दाताओं को कर से किंचित् निम्नतर राहत मिलती है। इन मामलों में कर से मिलने वाली राहत को यथासम्भव वर्तमान कानून के अन्तर्गत मिलने वाली राहत के बराबर रखने के उद्देश्य से, अब मै यह प्रस्ताव करता हूँ कि

गैर–निगमित दाताओं के मामले में कर लगने योग्य दान में से कटौती की जाने वाली रकम इस विधेयक में निर्दिष्ट उक्त दान के 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत कर दी जाय ।

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के अधीन कर लगने योग्य लाभों का हिसाब लगाने से सम्बद्ध उपबन्धों में दो संशोधन करने का भी मैं प्रस्ताव करता हूँ । कर लगने योग्य लाभों का हिसाब लगाने में कम्पनियों को, वर्तमान कानून के अधीन, अपनी कुल आय में, अन्य रकमों के साथ-साथ 'कर से छुट्टी' की आय की उस रकम को, जिस पर उन्हें आयकर अधिनियम के अधीन छूट दी जा सकती है, शामिल न करने का अधिकार है । कम्पनियों को, कर लगने योग्य दान की उस रकम को भी जिस पर उन्हें आयकर अधिनियम के अधीन कर से छूट मिलती है, कुल रकम से बाहर रखने का अधिकार है । चूंकि इस विधेयक में की जा रही व्यवस्था के अधीन, कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से 'कर से छुट्टी' की आय को कम्पनियों की कुल आय में से बिल्कुल अलग कर दिया जायगा, इसलिये कम्पनियों के कर लगने योग्य लाभों का हिसाब लगाने में 'कर से छुट्टी' की आय को निकाल देने के लिए कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम की इस सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था अनावश्यक हो जायगी और इसलिये प्रस्ताव है कि इसे हटा दिया जाय । इसके अलावा, कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से, आय-कर अधिनियम के अधीन कम्पनियों को अपनी कुल आय का हिसाब लगाने में उनके द्वारा दी गयी छूट मिलने योग्य दानों की रकम में, इस विधेयक के अधीन, 50 प्रतिशत कटौती करने की इजाजत होगी । इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अतिकर के लिए कम्पनी के कर लगने योग्य लाभों का हिसाब लगाने में छूट मिलने योग्य दानों की रकम का केवल बकाया 50 प्रतिशत भाग शामिल नहीं किया जायगा ।

अब मैं डाक सम्बन्धी शुल्कों को लेता हूँ । माननीय सदस्यों को मालूम है कि डाक सेवाओं से निरन्तर होने वाले भारी घाटे को कम करने के लिए वित्त विधेयक में रजिस्टर्ड अखबारों पर डाक की दरों में वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। इनमें 100 ग्राम अथवा उससे कम वजन के अखबारों की डाक दर में 2 पैसे से बढ़ा कर 5 पैसे कर देने की वृद्धि भी शामिल है । जहां तक कम बिकने वाले छोटे अखबारों का सम्बन्ध है, मैंने इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया हैं । लघु समाचारपत्र समिति ने 1965 में सिफारिश की थी कि 50 ग्राम से कम वजन के छोटे अखबारों के मामले में कुछ रियायत देना आवश्यक है । मैं इस रियायत के मामले में कुछ और आगे बढ़कर प्रस्ताव करता हूँ कि जिन रजिस्टर्ड अखबारों का वजन 60 ग्राम से अधिक नहीं है, उन पर लगने वाली 2 पैसे प्रति अखबार की डाक-दर में कोई परिवर्तन नहीं हो । इससे विशेषतः देशी भाषाओं के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों को लाभ होगा तथा राजस्व मे पूरे वर्ष में 35 लाख रुपये का घाटा होगा ।

मुझे शुल्क की कुछ अन्य मदों के सम्बन्ध में, जो वित्त विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अभ्यावेदन मिले हैं, किन्तु मेरा प्रस्ताव उन पर यहां विचार करने का नहीं है । सदन को विदित ही है कि संचार मंत्री डाक तथा दूर-संचार के शुल्क के ढांचे की समीक्षा करने के लिए टैरिफ जांच समिति की स्थापना की पहले ही घोषणा कर चुके हैं । इसमें सन्देह ही नहीं है कि समिति सभी सम्बन्धित मामलों की विस्तृत रूप से जांच करेगी ।

श्रीमान् मुझे प्राप्त उपयोगी सुझावों को दृष्टि में रखते हुए अपने प्रस्तावों में जो संशोधन मैं करना चाहता हूँ उनके बारे में मैं अब तक बताता रहा हूं। यह आर्थिक वृत्तियों तथा नीतियों की सामान्य समीक्षा करने का अवसर नहीं है। परन्तु तात्कालिक महत्व का एक प्रश्न है जिसका मैं यहां संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में जो शिथिलता आई है वह स्वभावत; हम सब के लिए चिन्ता का कारण बन गई है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को नीचे लाने वाले जिम्मेदार तत्वों की मैंने अपने बजट में व्याख्या करने की कोशिश की थी, तथा वर्तमान कठिन समय में आवश्यक आधार भूत सामान की इतनी ज्यादा कमी होते हुए भी परिस्थिति में सुधार लाने के उपायों का भी मैंने उल्लेख किया था। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि जैसे ही आधार–भूत सामान मिलने का स्थिति में सुधार हो वैसे ही हमें पूंजी लगाने की गति को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिये। मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दबाव में आने के खतरे को उठाये बिना तत्काल ही सरकारी तथा निजी पूंजी लगाने की सामान्य गति को अधिक तिव्र करने की कोशिश करने का निर्णय करना भी साफ तौर से जल्द बाजी का काम होगा। परन्तु चालू वर्ष के पहले कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की मात्रा अमूमन बड़ी थोड़ी रही हैं, और ऐसे भी कुछ उद्योग है जहां उत्पादन के वर्तमान स्तर खास तौर से नीचे हैं। यह अवश्य है कि पिछले ही दिनों हमारे उत्पादक मशीनें बनाने वाले कारखानों में उत्पादन का स्तर काफी ऊंचा भी रहा है। हमारी खेती के विकास का व्यापक विस्तार होने के कारण, पम्प तथा डीजल से चलने वाले एक जगह लग जाने वाले इंजिन बनाने के काम में काफी ऊंचे स्तर तक प्रगति हुई है। फिर भी, उत्पादक मशीनें बनाने वाले कई ऐसे कारखाने भी हैं जिन की क्षमता में वृद्धि होने पर भी उनके उत्पादन की दर नीचे गिर गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, कुछ मामलों में तो उत्पादन में पूरी तरह गिरावट आ गई है। कम से कम कुछ लघु उद्योग-क्षेत्रों में तो उत्पादकों में यहां तक डर समा गया है कि कहीं मांग की कमी लम्बे समय तक न चलती रहे या स्थिति और भी खराब हो जाय। इसलिए हमने सारी स्थिति की समीक्षा की है और मैं संक्षेप में उस कार्यवाही का जिक्र करना चाहूँगा जो आर्थिक व्यवस्था में आई हटाने योग्य शिथिलता को दूर करने के लिए की जायगी।

घाटे की वित्त व्यवस्था से बचने की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त परिव्यय के लिए तत्काल बजट व्यवस्था कर के मांग को बढ़ावा देना उपयुक्त नहीं होगा। किन्तु रुपया उधार मिलने की व्यवस्था को चुने चुने तरीकों से उदार बना कर विभिन्न असंगतियों को हटा कर तथा पूंजी के रूप में माल मंगवाने के सरकार के इरादों को स्पष्ट करके कुछ तो किया ही जा सकता है; क्योंकि सरकारी इरादों को पूरा करने में समय तो लगता ही है। रेलवे के सामान जैसी मदों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की अगले वर्ष की आवश्यकताओं के लिए आर्डर देने में शीघ्रता करना उचित होगा। इससे इस सामान के उत्पादकों का इतमीनान रहेगा कि आर्डर लगातार मिल रहे हैं। यह मानना अकारण नहीं है कि भविष्य के मिलने वाले आर्डरों के बारे में अनिश्चित स्थिति होने से चालू आर्डरों को पूरा करने की गति में शिथिलता आने की सभावना रहती हैं; जिमसे मन्दी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़ता जाता है। कम से कम रेलवे जैसे मुख्य क्षेत्रों से इस अनिश्चितता को दूर किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड इस मम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा।

निर्यात के द्वारा अधिक आमदनी मिलने तथा देश में किमतों को बढ़ने देने से रोकने की दृष्टि से कपड़ा उद्योग के स्वस्थ विकास का अपना महत्व है। आवश्यकता केवल उद्योग के विस्तार की ही नहीं, उसे आधुनिक बनाने की भी है। उद्योग का विस्तार करने तथा उसे आधुनिक रूप देने के लिए हमें मुख्य रूप से देशी सामान पर निर्भर करना होगा। सम्बन्धित मंत्रालयों को शीघ्रता पूर्वक उचित कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा जा रहा है जिसके आधार पर कपड़ा बनाने की मशीनों के देशी निर्माताओं के पास काफी तादाद में जल्दी से जल्दी आर्डर भेजे जा सकें। मुझे आशा है कि उद्योगपति और मजदूर वर्ग सूती कपड़ा उद्योग को कार्यकुशल बनाने के काम में आपस में पूरे सहयोग से काम करेंगे, जिससे वह विश्व के बाजारों में प्रभावशाली ढंग से स्पर्धा कर सके तथा देश के उपभोक्ताओं की कपड़े की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को वाजिब दामों पर पूरा कर सके।

पिछले कुछ दिनों में चीनी बनाने के सम्पूर्ण संयंत्रों का हम अपने देश में निर्माण कर सके हैं, जिन में आयात की मात्रा नगण्य है। मुख्य रूप से गन्ना उगाने के सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चीनी तैयार करने के लिए इस औद्योगिक क्षमता का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत है। चीनी उद्योग के वांछित विस्तार के निमित निकट भविष्य में जरूरी सामान मंगाने के आर्डर भेजने के लिए किये गये वित्तीय प्रबन्धों की में छान-बीन करवा रहा हूँ।

उचित शर्तों पर निर्यात-वित्त मिलने की कमी के कारण कभी-कभी धातुशोधन तथा इन्जीनियरी सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात में रूकावट आती रही है। रिजर्व बैंक, इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर रहा हूँ, और इसलिए यह निश्चय किया गया है कि वह इन वस्तुओं के निर्यात के लिए अधिक शर्तों पर पर्याप्त वित्त प्रदान करने की संशोधित योजना भी तैयार करेगा।

हमारे सामान बनाने वाली मशीनों के निर्माताओं की यह शिकायत उचित ही है कि उनको माल की बिक्री के लिए ऋण की काफी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। निर्यात अथवा खेती के लिए लाभदायक सामान बनाने वाली मशीनों के निर्माण के सम्बन्ध में, पर्याप्त ऋण की सुविधा प्रदान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह बात अन्य क्षेत्रों में भी उतनी ही जरूरी है। रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस बात के लिए अधिक ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि पूंजी वर्ग के साज सामान की तथा उसी प्रकार ट्रक, ट्रैक्टर, तथा मछली पकड़ने की नौकाओं जैसे सामान की विदेशों में तथा देश के अन्दर आस्थगित अदायगी के आधार पर तथा किराया-खरीद वाली शर्तों के आधार पर बिक्री की व्यवस्था हो सके। इस बारे में विस्तृत व्यवस्था तथा कार्यविधि को अंतिमरूप देने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को शीघ्र ही आवश्यक सलाह दी जायगी तथा आवश्यक आदेशों की घोषणा भी की जायगी।

पूंजी वर्ग के साज सामान के निर्माण के लिए हमारे पास जो औद्योगिक क्षमता है हम कभी-कभी उसका पर्याप्त उपयोग नहीं करते और उसके बदले में अनावश्यक तौर पर आयात करते हैं। इसका कारण यह है कि देश के अन्दर से ही माल प्राप्त करने के क्षेत्र की पूरी

तरह खोज नहीं की गयी है अथवा आर्डर देने के काम में इतना विलम्ब हो जाता है कि देश के अन्दर ही माल देने वाले व्यक्ति माल देने के समय-क्रम का पालन नहीं कर पाते। मैं इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहता हूं कि देश के अन्दर ही माल सप्लाई करने की संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग करने पर अधिक ध्यान दिया जाय।

कभी-कभी यह भी कहा गया है कि पूंजी वर्ग के साज सामान के देशी उत्पादकों को यह असुविधा भी रहती है कि कच्चे माल और पुर्जों-हिस्सों पर लगने वाला आयात शुल्क तैयार साज सामान पर लगने वाले शुल्क की अपेक्षा अधिक होता है। एक ऐसी अधिसूचना पहले से लागू है जिसके अन्तर्गत मशीन के हिस्से, तैयार मशीनरी पर लगने वाले शुल्क की दर की अपेक्षा उच्चतर दर पर शुल्क लगने से मुक्त रहते हैं। शुल्क सूची में यह भी व्यवस्था वर्तमान है कि जिसे कच्चे माल अथवा पुर्जों हिस्सों की औद्योगिक, विद्युत तथा अन्य परि-योजनाओं की प्रारम्भिक स्थापना के लिए अथवा अधिक विस्तार के लिए भारत में साज सामान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती हो, उन पर सामान्य मशीनरी पर लगने वाली दर से ही शुल्क लगाया जाए। लेकिन ऐसे उदाहरण अब भी मौजूद हैं जिनमें कच्चे माल (हिस्सों से भिन्न) पर लगने वाला शुल्क तैयार मशीनरी पर लगने वाले शुल्क की अपेक्षा ऊंची दर पर लगता है। इस बारे में राहत देने के प्रश्न की और साथ ही इस राहत के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति में शिथिलता आ जाने के कारण, पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये उपलब्ध विदेशी सहायता का उपयोग पूर्व अनुमान की तुलना में कम ही हुआ है। साथ ही ऐसे भी मामले हैं जिनमें उद्योग उपलब्ध ऋणों के आधार पर अधिक पुर्जों तथा कच्चे माल का आयात करके उद्योग द्वारा उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विदेशी मुद्रा साधनों का यथोचित तथा यथा सम्भव पूरा उपयोग करने के बारे में विचार किया जा रहा है। आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जायगी जिसमें संभवतः निर्दिष्ट की गयी श्रेणियों के उन औद्योगिक कारखानों द्वारा अपनायी जाने वाली क्रिया विधि का विवरण होगा, जो उत्पादन के उच्च स्तर पर पहुँचने का संकल्प रखते होंगे और इसके लिये वे पुर्जों तथा कच्चे माल का आयात करने के लिए उपलब्ध ऋणों में से उनके लिये नियत राशि से अधिक राशि का प्रयोग कर सकते होंगे।

श्रीमन, मैं आशा करता हूँ कि आयकर सम्बन्धी प्रस्तावों में तथा आर्थिक नीति के अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मैंने जिन विभिन्न उपायों की रूप रेखा सामने रखी है, उनको माननीय सदस्य, मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम करने, कम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने, निर्यात व्यापार को बढ़ाने तथा उत्पादन को नया जीवन देने की दिशा हमारे एकाग्र तथा सतत प्रयास के रूप में स्वीकार करेंगे।

मुझे पूरा पूरा अहसास है कि मैं माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सका हूं। परन्तु मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय सदस्य कम से कम इस बात से तो सहमत होंगे ही कि मैने उनके सुझावों पर पूर्णरूप से विचार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री रंगा (श्री काकुलम) : माननीय वित्त मन्त्री ने जनता की राय की ओर ध्यान देकर जो थोड़ी बहुत करों में राहत दी है उसका मैं स्वागत करता हूँ ।

विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जिससे समिति इस पर विस्तार में विचार कर सके और सभा उस द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों का लाभ उठा सके ।

वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप करों से प्राप्त होने वाले राजस्वमें केवल 10 करोड़ रुपये की कमी हुई है । शेष 100 करोड रुपये का भार जनता को उठाना ही पड़ेगा । मन्त्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश में मन्दी आई हुई है । उसको देखते हुए जनता पर 100 करोड़ रुपये का यह जो और बोझ डाला जा रहा है, यह उचित नहीं है ! अभी उन्होंने बताया कि कई उद्योग ऐसे हैं जिनमें पूरी क्षमता से कार्य नहीं हो रहा है । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें माल इकट्ठा हो रहा है और खरीददार कोई नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह आशा करना युक्तिसंगत नहीं है कि लोग जिनमें साधारण किसान, औद्योगिक श्रमिक तथा कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, इतने बड़े भार को सहन कर लेंगे । पिछले चार वर्षों में इन लोगों पर 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक का अतिरिक्त कर लगाया गया है । 1951–52 में 670 करोड़ रुपये से बढ़ा कर अब 3000 करोड़ रुपये कर के रूप में बटोरे जा रहे हैं । परन्तु इन लोगों से जो इतना धन लिया गया है उसके बदले में इन लोगों की आय में इसी अनुपात से वृद्धि नहीं की गई है । नतीजा यह हैं कि गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं अमीर लोग अधिक अमीर होते जा रहे हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा है, मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों से मूल्य और बढ़ जायेंगे । इससे उपभोक्ताओं की आय कम हो जायेगी और दुकानदारों की बिक्री कम हो जायेगी । ऐसा तो अभी देखने में आ ही रहा है कि सुपर बाजार की बिक्री में 11 प्रतिशत पहले ही कमी हो गई है ।

इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी अधिक भत्ता मागेंगे और इसके फलस्वरूप और भी मन्दी बढ़ेगी । अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है वह और चौड़ी हो जायेगी । स्फीतिकारी प्रवृतियों को अभी तक बढ़ावा दिया जाता रहा है और माननीय वित्त मन्त्रीजी इन्हें एकदम दबाना चाहते हैं । इनको दबाना इतना सुगम नहीं है । आज स्थिति यह है कि आज देश में औद्योगिक मन्दी है और मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । 'फ्री प्रेस जर्नल' में आज का ही समाचार है कि केवल बम्बई नगर में 50,000 औद्योगिक मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं । इनको रोजगार देने का प्रश्न है । औद्योगिक मन्दी को दूर करने की बात है । उत्पादन कम होता जा रहा है । क्या अतिरिक्त कर लगाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ? यह एक

गलत तरीका है। कोयले के उत्पादन में 91 प्रतिशत, कच्चे लोहे के उत्पादन में 41 प्रतिशत, तैयार इस्पात के उत्पादन में 54 प्रतिशत, डीजल ट्रकों के उत्पादन में 71 प्रतिशत, मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में क्रमशः 34 और 44 प्रतिशत, बाइसिकल के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में क्रमशः 22 और 45 प्रतिशत, कास्टिक सोडे के उत्पादन में में 75 प्रतिशत, सोडा एश के उत्पादन में 47 प्रतिशत, रेजर ब्लेडों के उत्पादन में 129 प्रतिशत, एयर कंडीशनरों के उत्पादन में 104 प्रतिशत, रेफ्रीजरेटरों के उत्पादन में 208 प्रतिशत कमी हो गई है। प्रश्न यह उठता है कि इन उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? एक ओर तो सरकार चाहती है कि मजूरी, वेतन और लाभ में कोई वृद्धि न हो परन्तु दूसरी ओर 100 करोड़ रुपये के और कर लगाये जा रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से करों में वृद्धि की जाती रही है। जूतों पर शुल्क हटादिया गया था। परन्तु अब इसे पुनः लागू किया जा रहा है : व्यय कर को पुनः लागू किया जा रहा है। करों को कम करने की बजाय करों में वृद्धि की जा रही है।

सरकार को इस वर्ष से पूर्व लगाए गए करों से हुई आय से, जो हर वर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक कर लगाकर अर्जित करती रही है, लाभ उठाना चाहिए। दूसरे एड इण्डिया के देशों ने ब्याज की रकम बाद में ले लेने की बात स्वीकार कर ली है और इसके फलस्वरूप सरकार को 100 करोड़ रुपये और मिल गये हैं। तीसरे यदि सरकारी खर्च में केवल तीन प्रतिशत ही बचत की जाये तो इससे सरकार को 90 करोड़ रुपये से अधिक रकम की बचत हो सकती है। इस प्रकार लोगों को करों के भार से मुक्त किया जा सकता है। चाय और काफी पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। करों का इतना बोझा उठाकर हमारे लोग कोई उन्नति नहीं कर सकेंगे। देश में स्फीति के लिए सरकार ही जिम्मेदार हैं। इसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों का कोई हाथ नहीं है।

पिछले 16 वर्षों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे गरीब लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बिल्कुल हटा देना चाहिए जिससे लोगों को इससे राहत मिले। उपभोक्ताओं को इस मामले में संगठित किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी मांगें रख सकें और केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क में रियायत ले सकें। यदि वित्त मन्त्री मिट्टी के तेल, डीजल तेल, पान, जूतों, कपड़ा तथा डालडा पर से उत्पादन–शुल्क को समाप्त कर देते तो कितना ही अच्छा होता।

यह एक अच्छी बात है कि वित्त मन्त्री ने रेलवे बोर्ड से हल्के इन्जीनियरी उत्पादों के लिये क्रय-आदेश देने हेतु योजनायें बनाने के लिए कहा है। यह एक और अच्छी बात होती यदि वह मेरे सुझाव को भी मान लेते इस विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

Dr. Govind Das (Jabalpur): First of all I would like to congratulate the Finance Minister for the efforts he has made to improve the economic condition of the country. It is true that he has proposed to levy certain taxes, but keeping in view the present economic condition of the country, I think levy of certain taxes was undesirable and he had no other option. It is all the more appreciated that while putting forth taxation proposals, he has tried to ensure that minimum possible burden is put on the poor people.

The prime need of the hour is to carry the country forward economically as well as intellectually. In order to achive this objective it is essential that our production is increased. I think the Finance Minister can play a vital role in this regard, because he has dual Capacity-he is the Finance Minister as well as the Deputy Prime Minister and as such he is in a position to impress upon other Ministries also to boost up production. At the moment through him I would like to impress upon other Ministries also to make an all out effort to increase production.

The first pre-requisite of our economy is that our agricultural production should be increased. I had been listening speeches of hon. Members with keen interest, when we were discussing the working of the Ministry of Food and Agriculture. But I was surprised to note that very little mention has been made in their speeches for the protection of cow, upon which our agricultural production depends to a great extent. Our output depends to a great extent upon protection of cows. The Government is well aware of the public opinion in favour of cow protection. The Govt. have also appointed a Committee in this connection, which has amongsts others three Members of the "Goraksha Maha Abhiyan Samiti". In the first meeting of this Committee, the Chairman of the Committee observed that they were to consider the question of partial ban on cow slaughter. This was most surprising and distressing to the Members of the Committee, particularly to those belonging to the Goraksha Maha Abhiyan Samiti. The Food Minister in his letter to the Secretary to the Goraksha Maha Abhiyan Samiti had stated categorically that the Committee would be empowered to consider the question of total ban on cow slaughter. Hence I demand that the Finance Minister in his postion as the Deputy Prime Minister should ask the Food Minister or the Home Minister to clarify the position regarding the rights and powers of that Committee, as to whether it was empowered to consider question of partial ban or total ban on cow slaughter, I want to make it clear that if this point is not clarified, the representative of the samiti would not remain in that Committee.

{ श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Srhi C. K. Bhattacharya *in the Chair* }

I would also like to say something about intellectual development. In these days intellectual development depends to a great extent on the eduction of science. In this regard I would like to quote, one of the most eminent scientists, Dr. D. S. Kothari, who had observed that the immense practical advantage of acquiring knowledge was in one's own mother tounge i. e. regional language. Is is difficult to guess and remember technical terms, if these are in foreign language. It would result in parrot-like learning, mental strain and stifling of intelligence. Scientists in our country receive their education through a foreign language and as a result thereof they are not able to put in their best for the benefit and advancement of the country.

I welcome the recent statement of our present Education Minister that education upto University level would be imparted through the media of regional languages. But I want to point out that there is nothing new in what he had said. The same thing was said six years ago by the then Education Minister Dr. Shrimali. In the year 1961, while answering questions, he had stated that the tendency of regional languages to become the media for University education, though desirable in many ways, might lead to the isolation of such Universities from the rest of India, unless there was a link language in the shape of an all India language. Therefore while underlining the need and desirability of regional languages, he had emphasized the importance of Hindi as link language and had told that efforts should be made to develop it. But during the last six years very little has been done in this regard. That being the position how one can

believe whatever has been stated by the present Education Minister would be implemented. I want to know the nature of steps taken by Government for the development of India languages. In this regar I want to repeat my old suggestion that Government should formulate definite scheme for the production of much needed literature and sum of Rs. 5 crores should be allocated for the purpose. If steps are taken in right direction, I am sure that the necessary literature could be brought within five years.

So far as the madia of instruction is concerned, I am of the opinion that it should through regional languages. At the same time is essential that Hindi should be developed as a link language because it is absolutely necessary for the unity of nation. If you want to make Hindi make Hindi as link language, there should be atleast one cottage or one University in every State for the teaching of Hindi. If that is not done the very object of making Hindi as link language would be defeated and it would be dangerous for the unity of the country.

So far as the teaching of English is concerned, I do not subscribe to the view that it should not be taught in our country. But at the same time I strongly feel that the teaching of English should be made optional and it should not be made compulsory for any one to learn English. A majority of our students fail, as they are being taught through English medium. To keep English as compulsory subject is not in the interest of the students.

Apart from his a bill is proposed to be brought before this House to provide for the continuance of English for indefinite period. It is being argued that the bill in question is proposed tope brought before this House to implement the assurances given by our late Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru to non-Hindi speaking people. But as far as I know Late Pt. Jawahar Lal Nehru was a great democratic and he did not want that English should be continued for indefinite period. If only few lakh of people of Nagaland wanted that English so continue against the wishes of 50 crores of people of the rest of the country, then the late P. M. would have never tried to have English as a official language. I think it is not a wise step for the Government to bring forward such a bill. The Government should give up the idea of introducing such a bill, If the Government brings forward such a bill, which will be against our Constitution, it should be opposed by all hon. Members of the House irrespective of their party affiliations.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : माननीय वित्त मंत्री ने कुछ करों की छूट देने की घोषणा की है। हम आशा करते थे कि माननीय मंत्री ऐसे करों की छूट की घोषणा करेंगे, जिससे सर्व साधारण को राहत मिले परन्तु उनके भाषण से हमारी सब आशाओं पर पानी फिर गया है। माननीय मंत्री ने करों की जो छूट देने की घोषणा की है, उससे सर्वसाधारण का कर भार हल्का नहीं होता।

यह बात सर्वमान्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में है। अवमूल्यन के बाद, जो कि अमरीकी साम्राज्यवादियों के दबाव के कारण किया गया था, हमारी भुगतान स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि यह और अधिक खराब हो गई है। जहां तक औद्योगिक मंदी का सम्बन्ध है, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे उद्योग, विशेषतया कपड़ा और इंजीनियरी उद्योग बहुत बुरी स्थिति में हैं।

यह सर्व विदित है कि दिन प्रति दिन मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। वास्तविकता यह है कि सरकार की कोई मूल्य नीति ही नहीं है। मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिये

सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है। इस सभा में न केवल विपक्षी सदस्यों द्वारा अपितु कांग्रेसी सदस्यों द्वारा भी बार बार यह कहा गया है कि एक ओर तो सर्वसाधारण की कठिनाइयों उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं और दूसरी ओर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। यह सब कुछ गत 15 अथवा 16 वर्षों से हो रहा है।

हमारी तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनायें पूर्णतया असफल रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने जिस अर्थ नीति का पालन किया है, वह गलत है।

हमारी कर व्यवस्था दोषपूर्ण है और उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान कर व्यवस्था से समाज के केवल एक वर्ग को लाभ हुआ है और यह वर्ग है बड़े व्यापारियों का वर्ग "कर" छुट्टी का एक अद्भूत सिद्धान्त लागू किया गया है। प्रतिवर्ष किसी न किसी उद्योग को करों से मुक्ति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों को करों से राहत दी जाती है और कर सीमा को अधिक कर दिया जाता है। इन सब बातों का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। सर्वसाधारण का कोई ख्याल नहीं किया जाता।

वित्त मंत्री प्रति वर्ष कुछ वस्तुओं पर या तो नये कर लगाते हैं या पुराने करों में वृद्धि करते हैं और हर बार कर लगाते समय अथवा वर्तमान करों में वृद्धि करते समय यह अश्वासन देते हैं कि मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। परन्तु वास्तव में होता यह है कि ज्यूंही वह अपना भाषण समाप्त करते हैं, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। व्यापारी वर्ग इतना चालाक है कि वह किसी न किसी तरीके से मूल्यों में वृद्धि कर ही देता है। जब किसी वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, तो व्यापारियो द्वारा उसका भार भी उपभोक्ताओं पर थोप दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि निर्यात की जाने वाली चाय की कुछ किस्मों पर कर लगाया जा रहा है। परन्तु हुआ क्या ? यह सब जानते हैं कि उनके भाषण को दो, तीन दिन बाद ही सब नगरों एवं गांवों में चाय के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। काफी तथा सिग्रेट के मूल्यों का भी यही हाल हुआ है। अतः सर्वसाधारण के काम आने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं, चाहे सरकार कुछ भी क्यों नहीं कहे।

यदि सरकार वास्तव में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहती है, तो उसे अपनी विचारधारा में आमूल परिवर्तन करना होगा। करारोपण की वर्तमान पद्धति को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिये। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा, इसका सुधार होना असंभव है। यदि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकना चाहती है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहती है और उद्योगों तथा कृषि का विकास करना चाहती है तो मेरा पहला सुझाव यह है कि हर व्यक्ति की एक लाख प्रति वर्ष से अधिक आयको ऐसी निधि में जमा कर दिया जाये जिसका उपयोग कृषि, उद्योग, अर्थ व्यवस्था के सुधार एवं भारतीय जनता के कल्याण के लिये किया जाए। जब तक यह नहीं किया जाता, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता।

दूसरे राजस्व की जो चोरी हो रही है, उसे पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये। लगभग दस वर्ष पूर्व भारत सरकार के अनुरोध पर प्रो० कालडोर ने एक जांच की थी और

उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया जाता है। परन्तु भारत सरकार ने उनके प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह प्रतिवेदन सरकार के अपने हितों के विरुद्ध था। सरकार बड़े व्यापारियों को खुश रखने की नीति अपनाये हुए हैं। यदि सरकार वास्तव में करों की चोरी को रोकना चाहती है तो बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि मुख्यतः वही करों की चोरी करते हैं।

जहां तक बीजक में अधिक राशि एवं कम दिखाने का प्रश्न है, यह सर्वविदित है कि आयात तथा निर्यात करने वाली कुछ फर्में यह अवांछनीय कार्य कर रही है। सरकार को सारा विदेशी व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये। परन्तु सरकार इस सम्बन्ध में इस तरीके से काम कर रही है जिससे यह अवांछनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह बात किसी से छुपी हुई नही है कि विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन करने के लिये बर्ड एण्ड कम्पनी पर एक करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माना किया गया था, परन्तु सरकार ने इसे घटा कर केवल 48 लाख रुपये कर दिया। इसी प्रकार मैक्लोड एण्ड कम्पनी पर 27 लाख रुपये जुर्माना किया गया था, परन्तु सरकार ने उसे घटा कर केवल 7 लाख रुपया कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसा करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त उस ईमानदार अधिकारी का जिसने इन चोरियों का पता लगाया था तबादला कर दिया गया दूसरे शब्दों में उसे उसकी ईमानदारी की सज़ा दी गई। इन सब बातों से किसको प्रोत्साहन मिलता है ? मैं समझता हूँ केवल बड़े व्यापारियों को।

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण बेद में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु मैं समझता हूँ कि वे सब बातें केवल शब्दाडंबर भाग है। सरकार को इस सम्बन्ध में हिम्मत से काम लेना चाहिये और सब बैंकों तथा तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। जब तक सरकार हमारी अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं करती, तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता।

अन्त में मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री ने कहा था कि सरकार मजूरी की वृद्धि पर रोक लगाने के विरुद्ध है। परन्तु आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि वित्त मंत्री एक वर्ष के लिये मंहगाई भत्ते तथा वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी कार्यवाही की गई तो कर्मचारी वर्ग तथा वेतन भोगी लोग इसे सहन नहीं करेंगे।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): The Finance Bill presented by the Finance Minister deserves our appreciation because an attempt has been made in it to improve the general economic conditions of the country. During the last ten or fifteen years, inflationary tendency and the prices have been continuously going up, because we have been resorting to deficite financing. There has been more money in the market and our production has not increased correspondingly. I think that the main reason for all this is that we had to spend huge amount of money on big project which will become remunerative after a period of ten or twelve years. In the present budget an attempt has

been made to erase all the mistakes committed in the past budgets. In it emphasis has made to increase the agricultural production which is absolutely essential in the present context of our econonomy. More money has been provided for irrigation, rural electrification and fertilizers so that we may increase our production. This budget gives us the hope that it would be poss ble to check the rising prices during one or two years.

The articles which have been taxed are mostly those which are used by rich people. I appreciate this. Because I am of the opinion that luxury goods should be heavily taxed. But there are some articles which have been taxed and which are used by poor people. For instance cheap quality shoes have been taxed. Although the Minister of of Finance has announced some relief in that regard, but that is not enough. I request the Finance Minister that he should give some more relief.

A sum of Rs. 150 crores has been allocated for food subsidy. My submission is that instead of spending that amount on food imports Government should give it to the cultivators, so that they could produce more. We are going through most critical times and there is alround price. rise The common man is under great distress. I think the main reason for this rise in prices is the last drought. The Finance Ministers is well aware about the difficulties of the common man and that is why he has introduced this change in tax structure. I congratulate him on this account. Even then I want to say that recently the prices have gone very high. The prices of pulses in Maharashtra have doubled or trebled in some cases. The people in Maharashtra are in difficulty. The Central Government should do some thing in this regard without delay.

Next I want to point out that Maharashtra is trying its utmost to be self suffieient in food grains. The Chief Minister of Maharashtra has declared that his State would be self sufficient in food grains during next two or three years. We are trying to increase our agriculture production. The people of Maharashtra hard working. But at present they are in difficulty because there is food shortage due to drought. The Central Government had promised to supply 14 lakhs tonees of food grains during the last year but so far only 62 lakhs of tonnes had been supplied. It is necessary that the remaining quanttity of 72 lakhs of tonnes of foodgrains be supplied to Maharashtra. I request the Central Government to supply the remaining quantity immediately.

So far as the question of irrigation is concerned I want to point out that injustice has been done to Maharahstra in the distribution of waters of Krishna and Godavari had rivers The dispute is regard to the water of kishna than and Godavri been handing fire since long. I appeal to the Government to see to it that it is soon resolved so that the people of Maharashtra are satisfied.

Now I would like to say a few words about sugar industry. The sugar industry is facing crisis and most of the sugar mills in Maharashtra are closed as they are not getting sugar cane. The agriculturists prefer to make gur instead of giving their sugarcane to the Mills. Gur is giving them more money. Therefore there is need to increase the price of sugar so that the closed mills could be started.

In regard to cotton also, there is need to pay more to the cotton growers so that they are encouraged to produce more cotton. This is disgraceful on our part to import food, cotton and sugar. So my submission is that in order to get rid of cotton import, we should give encouragement to our farmers.

So far as power looms are concerned, certain facilities have been given to them. But these are not sufficient. The increase in the excise duty on power looms had adversely affected the industry and it should be reduced.

There is recession in the market these days. I request that some concrete steps should be taken to check recession in the country, other wise there is danger of more unemploy ment.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : वित मन्त्री महोदय ने बहुत ही खतरनाक बजट पेश किया है क्योंकि इस में कुछ ऐसी बात हैं जो हमारे समाजवाद तथा लोकतन्त्र के लिये घातक हैं।

यह कहा गया है कि हमारी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दो मुख्य कारण विदेशी आक्रमण तथा सूखे की स्थिति हैं। परन्तु हमें इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा कि सूखे की स्थिति के कारण हमारे उत्पादन को कितना आघात पहुंचा है। वित्त मन्त्री महोदय का कहना है कि हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। परन्तु यह हम गम्भीरता से विचार करें तो ज्ञात होगा कि यह कथन सत्य नहीं है। कृषि उत्पादन के न बढ़ने का कारण सूखे की स्थिति नहीं है। वास्तव में कृषि का उत्पादन न बढ़ने का कारण यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने कृषि क्षेत्र में जो कुछ किया है वह केवल आंकड़ों का हेर फेर है एवं ऊपरी रूप से किया गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये वास्तविक कार्य वहुत कम हुआ है। यह सच है कि जमींदारी को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, परन्तु भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तविक खेतिहारों को भूमि नहीं दी गई है। वास्तव में कृषि उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब खेतीहर को यह विश्वास हो जाय कि जिस भूमि पर वह खेती कर रहा है, वह उसी की भूमि है। खेतीहर को यह विश्वास तभी दिलाया जा सकता है जब कि सारे गांव की भूमि का स्वामित्व उस गांव के नाम किया जाय। ऐसा करने के बाद ही उसे यह विश्वास हो सकता है कि यह भूमि उसकी है। इसके अतिरिक्त कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है। कि हमारे साधन आधुनिक हों और हमें वैज्ञानिक जानकारी हो। आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती की जानी चाहिये। इसके साथ साथ पंचायत पद्धति का विकास भी आवश्यक है। अतः इन तीन बातों से अर्थात खेतीहर को यह विश्वास दिलाने से कि वह अपनी भूमि का स्वामी है. वैज्ञानिक एवं आधुनिक ढग से खेती करने से तथा पंचायत पद्धति का विकास करने से हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

गत तीन वर्षो में मूल्यों में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मूल्यों में हुई इस वृद्धि की जिम्मेदारी सरकार पर है, क्योंकि वह हमेशा घाटे के बजट का सहारा लेती रही है तथा कागजी नोट छापती रही है। इस सम्बन्ध में हमें अपनी औद्योगिक कार्यवाही में अमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़े तो यह आवश्यक है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिसमें औद्योगिक मजदूर यह समझे कि जिस उद्योग में वह काम कर रहा है वह उसी का है। अतः औद्योगिक उत्पादन में अधिक से अधिक भाग लेने के लिये श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। परन्तु यह खेद की बात है कि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

रुपये का अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि अवमूल्यन के बाद भी हमारा निर्यात

नहीं बढ़ा है। अब भी हमारे सामने वही समस्या है कि निर्यात को कैसे बढ़ाया जाये। मैं समझता हूँ कि निर्यात न बढ़ने का कारण यह है कि अवमूल्यन के बाद अग्रेतर कार्यवाही उचित ढंग से नहीं की गई है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये हमें कुछ छूट देनी होगी।

हमारी अर्थ व्यवस्था कि वर्तमान कठिनाई का मुख्य कारण यह हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित है। भारतीय पूंजीवाद भी विश्व पूंजीवाद का एक अंग है। कहा गया है कि हमारे सरकारी क्षेत्र का विकास हुआ है और साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। वास्तविकता यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर चलाई जा रही है। निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों का साथ साथ विस्तार करने की बात कही जा रही है। परन्तु यह नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मूलत: परस्पर विरोधी हैं। यदि हमें अपने सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना है, तो निजी क्षेत्र को समाप्त करना होगा। न केवल भारत बल्कि विश्व का जनमत आज इस पक्ष में है कि निजी क्षेत्र समाप्त होना चाहिये। सरकारी क्षेत्र को समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक करों का सम्बन्ध है, गत दस वर्षों में अप्रत्यक्ष कर 550 गुना हो गये हैं माननीय उप प्रधान मन्त्री ने जूतों, चुरुटों तथा सिगरेटों आदि पर अप्रत्यक्ष करों में कुछ कमी। करने की घोषणा की है। परन्तु इस के बाद भी इन करों का मध्यम वर्ग के व्यक्तियों एवं सर्वसाधारण पर कुप्रभाव पड़ेगा। करों के सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री को बताना चाहता हूँ कि जो देश समाजवाद एवं सामाजिक समता के सिद्धान्तों का पालन करता हैं उस देश में कर इस आधार पर नहीं लगाये जाते कि किस के पास कितना पैसा है, बल्कि इस आधार पर लगाये जाते कि उसे वह कैसे प्राप्त हुआ। अत: चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी करने वालों पर अधिक कर लगाये जाने चाहिये।

देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि योजनाओं तथा परियोजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाये तथा आवश्यक संसाधनों को कैसे जुटाया जाये। हमारे देश में संसाधन हैं परन्तु समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है, कि सरकार द्वारा उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमारी आय का अनुपात एक अनुपात दस होना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति की आय एक है तो देश में किसी को भी आय दस से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि आप यह सीमा निर्धारित करते हैं तो आप को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। प्रो० पाल के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये अनुत्पादी कार्य पर खर्च किये जा रहे हैं। इस प्रकार इनको मिला कर हमें 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त भूतपूर्व राजाओं तथा नवाबों की निजी थैलियों को भी समाप्त किया जा सकता है इससे हमें 2000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इस सारे धन को योजना के कार्यन्वियन पर खर्च किया जाना चाहिये।

इस आय व्यक की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कम्पनियों के विलय पर छूट देने की व्यवस्था की गई जिसके परिणाम स्वरूप एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी के

साथ फिर उन बैंकों के साथ और फिर उनका राज्य के साथ विलय होगा, जिस से तानाशाही प्रवृति को प्रोत्साहन मिलेगा। शायद माननीय वित्त मन्त्री यह न समझते हो कि वह क्या कर रहे हैं, परन्तु इस उपलब्ध के द्वारा वह तानाशाही प्रवृति को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ) : माननीय वित्त मन्त्री ने जो आय व्ययक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है, इससे अच्छा बजट और हो नहीं सकता था। परन्तु इस आय व्ययक में एक बात ऐसी है, जिस के बारे में मैं वित्त मन्त्री से सहमत नहीं हूं और वह है पटसन के निर्यात पर दी गई छूट। पटसन के निर्यातकों को बहुत अधिक छूट दी गई है, जिससे प्रति बर्ष 15 करोड़ रुपये अधिक रुपये से अधिक रुपये की हानि होगी। अतः इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि यदि पटसन के निर्यातक उचित अवधि के अन्दर अपने निर्यात को नहीं बढ़ाते, तो इस छूट को वापस लेने के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में विशेषतया औद्योगिक क्षेत्र में सुधार न होने के क्या कारण है। मैं समझता हूं इस का मुख्य कारण है हमारे रुपये का अवमूल्यन। माननीय सदस्य जानते हैं कि उद्योगों के विकास के लिये हमारे लिये मशीनों का आयात आवश्यक है और अवमूल्यन के कारण हमें पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरे सरकार वस्तुओं के उपभोग पर भी प्रतिबंध लगा रही हैं, जिस से लोग कम वस्तुएं खरीदें और मूल्यों में वृद्धि न हो। परन्तु वह मूल्य वृद्धि को भी नहीं रोक सकी है। मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है, हालांकि पूंजी विनियोजन में वृद्धि नहीं हुई है। इसके साथ साथ उद्योगों के समक्ष विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की कठिनाई है। उद्योगपति अपनी इच्छानुसार अपने उद्योगों का विस्तार नहीं कर सकते। कुछ उद्योगों को निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है, कुछ पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, कुछ को प्राथमिकतायें दे दी जाती है तथा कुछ को कोई प्राथमिकतायें नहीं दी जाती। अतः औद्योगिक क्षेत्र में लोग अपनी इच्छानुसार आगे नहीं बढ़ सकते और यही कारण है कि हमारे उद्योगों का विस्तार नहीं हो रहा है।

लाभांशों पर जो कर वसूल किया जाता है, उसके बारे में मेरा सुझाव है कि कर स्रोत से नहीं, अपितु उन लोगों से वसूल किया जाना चाहिये जिनके 'शेयर' होते हैं। ऐसी स्थिति में शेयर वाले लोगों को लाभांश का फायदा उठाने में कम कठिनाई होगी।

"घेराव" से उद्योगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उद्योगपति इस उलझन में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये।

सरकार को ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जिस से उद्योगों का विस्तार हो सके तथा रोजगारों की पूरी पूरी व्यवस्था की जा सके इस प्रकार लगाये जाने चाहिये कि उनका जनता के सब वर्गों पर पड़े। सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक खरीदार को एक या दो वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक न देनी पड़े, अपितु सभी वस्तुओं पर कुछ कर के रूप में देना पड़े।

अब मैं आसाम के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आसाम कुछ समय से आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है। आसाम सरकार ने योजना के पास 500 करोड़

रुपये की योजना का प्रारूप तैयार करके भेजा है परन्तु इस में बहुत ज्यादा कटौती कर दी गई है तथा इस राशि को घटा कर केवल 190 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गत वर्ष अर्थात् वर्ष 1966-67 में केन्द्रीय सरकार ने आसाम के लिये केवल 27 करोड़ रूपये ही धन राशि मंजूर की थी, जो कि बहुत कम थी। अतः आसाम की आर्थिक कठिनाइयों के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ताकि इस सीमावर्ती राज्य को आर्थिक कठिनाई न उठानी पड़े।

आसाम राज्य को मिजो विद्रोहियों से लड़ने के लिये प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च करना पड़ता है, और सीमावर्ती सुरक्षा पुलिस के रख रखाव पर भी प्रतिवर्ष 200 लाख रुपये से अधिक रुपये खर्च होते हैं। आसाम राज्य यह सारा धन अपने संसाधनों में से खर्च करता है आसाम राज्य ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि उसे यह धन दिया जाये, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। मैं वित्त मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह आसाम की आर्थिक कठिनाइयों के बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार करें।

इसके अतिरिक्त राज्य वित्त निगम, खनिज विकास निगम आदि के लिये उपयुक्त धन राशि का उपबन्ध किया जाना चाहिये ताकि उन के सहयोग और सहायता से उद्योगों की प्रगति हो सके। साथ साथ मैं चाहता हूँ सरकारी क्षेत्र में सीमेंट और कागज जैसे कुछ उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें तथा चीनी एवं पटसन के कारखाने सहकारी क्षेत्र में लगाये जाने चाहियें। आसाम में केन्द्रीय सहायता से यथा शीघ्र सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें, ताकि आसाम राज्य की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

सहकारी क्षेत्र में आसाम में केवल चीनी का एक मिल है और पटसन का एक कारखाना है। इन कारखानों को हाल ही में आरम्भ किया गया है। ये कारखाने बड़ी नाजुक स्थिति में हैं, इस लिये इन्हें सहायता की आवश्यकता है। परन्तु आसाम सरकार के पास इन कारखानों की सहायता के लिये धन नहीं है। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि इन कारखानों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाये।

कच्चे तेल के स्वामित्व के बारे में भारत सरकार और आसाम सरकार के बीच काफी लम्बे समय से विवाद चलता आ रहा है। स्वतन्त्रा प्राप्ति से पहले आसाम सरकार को प्रति टन अशोधित तेल पर 10 रुपये मिलते थे। परन्तु हाल ही में भारत सरकार ने इसे घटा कर 7½ रुपये प्रति टन कर दिया है। आसाम सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है कि उसे कम से 15 रुपये प्रति टन मिलने चाहियें। इस विषय में कुछ समझौता होना चाहिये। वित्त मन्त्री को इस और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि स्वामित्व के रूप में प्रति टन कच्चे तेल के लिये आसाम सरकार को 12½ रुपये मिलने चाहियें, क्यों यही एक मध्य मार्ग है।

केन्द्रीय सरकार को रेलवे के मामले में भी आसाम की विशेष रुपसे सहायता करनी चाहिये। मैं वित मन्त्री तथा उपप्रधान मंत्री से अनुरीध करता हूँ कि बड़ी रेलवे लाइन को गोहाटी तक बढ़ाया जाये तथा बरौनी और कछार के बीच बड़ी लाइन की व्यवस्था की जाये, ताति दिल्ली से यात्री और सामान सीधे गोहाटी तक पहुँच सकें।

आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में उसे कुछ रियायतें दी जायें । मेरा यह निवेदन है कि अल्पावधि सहायता से राज्य को कोई लाभ नहीं पहुंचता अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इन अल्पकालिक ऋणों की दीर्घकालीन ऋणों के रूप में बदल दिया जाये ।

श्री चक्रपाणि (पोन्नाणि) : वर्ष 1962 से जितने बजट पेश किये गये हैं, प्रत्येक बजट के पेश करते समय हर वित्त मन्त्री ने यही कहा है कि उसका बजट उत्पादन प्रधान है तथा इस लिये उसे अधिक कर लगाने पड़े हैं । करों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि भारत में संसार के सब देशों से अधिक कर लगाये गये हैं । संसार के किसी भी देश की जनता पर इतने करों का बोझ नहीं लादा गया है, जितना भारत की जनता पर है । हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि भारत की अर्थ व्यवस्था दयनीय स्थिति में है । सरकार हमारे वर्तमान आर्थिक संकट का दोष वर्षा तथा अवमूल्यन पर डालती है । परन्तु यह स्पष्ट है कि मूल्यों में वृद्धि करने, उत्पादन के विस्तार को रोकने, जनता की बचत में कमी करने तथा पूंजी बाजार को निर्जीव बना देने के लिये मुख्य रूप से सरकार की कर नीति जिम्मेदार है । मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इतने करों के बावजूद भी हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ ?

सरकार ने करों में जो राहत दी है, वह केवल उद्योगपतियों तथा बड़ी बड़ी कम्पनियों को दी गई है । सारी समस्या की जड़ यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा बड़ी बड़ी कम्पनियों को खुश करने की नीति पर चल रही है । यह बड़े खेद की बात है । करों का बोझ जनसाधारण पर पड़ रहा है । भारी करों के कारण उनकी क्रय-शक्ति कम हो गई है । मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और सरकार कोई ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकी है जिससे मूल्य वृद्धि को रोका जा सके । मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि जन साधारण की आय का 60 से 70 प्रतिशत धन केवल खाद्यान्न पर खर्च हो जाता है । वे अन्य उपभोक्ता वस्तुयें कैसे खरीद सकते हैं ?

जहां तक राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध है, हमारी योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है । राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में सरकार बड़े गर्व से कहती है कि 25 वर्षों की अवधि में हमारी राष्ट्रीय आय दुगनी हो जायेगी तीन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है, परन्तु हमारी राष्ट्रीय आय में केवल 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सरकार जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रही है, उसे प्राप्त करने के लिये आगामी 9 वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय में 82 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये, परन्तु ऐसा होना असंभव है ।

सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है, परन्तु फिर भी वह यह दावा कर रही है कि वह लोकतंत्रात्मक समाजवाद स्थापित करने के लिये वचन बद्ध है । वास्तविकता इसके विपरीत है । गरीब और अधिक धनी हो गये हैं तथा धनी और अधिक धनी हो गये हैं । क्या सरकार यही लोकतंत्रात्मक समाजवादि लाना चाहती है ? यदि सरकार चाहती है कि वर्तमान आर्थिक संकट से निकला जाये, तो उसे बैंक और विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये ।

अब में केरल राज्य की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। सभी योजनाओं में केरल की अवहेलना की गई है। केरल के लोग लगभग 120 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष अर्जित करते हैं, परन्तु इस के बावजूद भी वे भूखे मर रहे हैं। हमारी समस्या बहुत गम्भीर है। राशन व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न हो गई है। लोगों ने लूट मार आरम्भ कर दी है। छात्रों ने अपने स्कूलों तथा कालिजों को छोड़ दिया है। कन्ननूर जिले में 13,000 बीड़ी श्रमिक हड़ताल पर है और क्विलोन जिले में एक लाख से अधिक काजू श्रमिक बेरोजगार हो गये है। यह स्थिति इस लिये हुई है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न के बारे में अपना वचन पूरा नहीं किया है। खाद्य मन्त्री अपना वचन पूरा करने में असफल रहे है। अतः इस स्थिति की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। यदि केन्द्रीय सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देती तो इस बात का खतरा है कि सामाजिक अराजकता फैल जायेगी। हम चाहते है कि हम जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उसका कुछ भाग हमें दिया जाये, ताकि हम संसार के किसी भी देश से चावल का आयात कर सकें।

बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी केरल की उपेक्षा की गई है। कोचीन में जहाज़ निर्माण कारखाना अब तक नहीं बना हैं, हालांकि हम पिछले 11 वर्षों से इस के लिये जोर देते रहे हैं। रेलवे के सम्बन्ध में भी केरल की उपेक्षा की गई है। तीसरी तथा चौथी योजनाओं में रेलवे लाइन बनाने के लिये कोई मंजूरी नहीं दी गई है मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री इन मामलों पर विचार करें।

श्री यामानी (शोलापुर) : सर्व प्रथम मैं उप प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कई वस्तुओं पर छूट देने की घोषणा की है, जिस से करों में $12\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये और पूरे वर्ष में 15 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। हसरे स्त्रोत पर कर की कठौती करने के बारे में भी कुछ संशोधन पेश किये गये हैं, जिनका विस्तार पूर्वक उल्लेख मैं बाद में करूंगा। औद्योगिक मन्दी को दूर करनेके लिये भी कुछ उपाय किये गये हैं। ये ये सब महत्वपूर्ण बाते हैं तथा माननीय उपप्रधान मंत्री ने इन बातों पर बहुत गम्भीरता से विचार किया है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक किसी भी वित्त मन्त्री को बजट बनाने में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, जितना वर्तमान वित्त मन्त्री को इस बार करना पड़ा है। घाटे की अर्थ व्यवस्था से बचने के लिये उन्होंने बहुत सी बातों को ध्यान में रखा है। खर्च में कमी करने के लिये, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये और उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा देने के लिये भी मूल्यों में वृद्धि को रोकना आवश्यक है। बहुत से मामलों में वित्त मंत्री को सफलता प्राप्त हुई है। यदि इस बजट की जांच करें तो हम ज्ञात होगा कि करों में वृद्धि नहीं हुई है तथा खर्च में कमी की गई है। इस से सिद्ध होता है कि वित्त मंत्री अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कर वसूली से सम्बन्धीत। हम लगभग 2400 करोड़ रुपये के कर प्रति वर्ष वसूल करते हैं, जब कर वसूली करने वाले कर्मचारियों पर व्यय की जाने वाली धन राशि केवल 34 करोड़ रुपये हैं। कर वसूली करने वाले विभाग का काम बहुत बढ़ गया है, परन्तु कर्मचारियों में उस अनुपात से वृद्धि नहीं की गई है। करों में जो कमी गई है इस से भी कर वसूली करने वाले विभाग का काम बढ़ेगा। कर वसूली करने वाले अधिकारियों

की संख्या में वृद्धि न होने के कारण कर की बकाया धन राशि बढ़ती जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि कर वसूली विभाग में अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाय। कर वसूली के लिये पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण करों की बकाया धन राशि में बहुत वृद्धि हो गई है। इस बकाया को निपटाने के लिये अधिकारियों की संख्या 25 प्रतिशत तत्काल बढ़ा देनी चाहिये। उनकी संख्या में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिये, जिससे वे बढ़ते हुए काम को निपटा सकें।

स्रोत पर कर की कटौती के बारे में नवीन उपबन्धों में संशोधन किया जाना चाहिये। जब एक व्यक्ति कर दे रहा है और वह आयकर देता है तो उस मामले में स्रोत पर कटौती नहीं की जानी चाहिये। जो व्यक्ति कर नहीं दे रहे हैं उनके मामलों में करों की स्रोत पर कटौती की जानी चाहिये। वे व्यक्ति जो कर दे रहे हैं उनकी कटौती स्रोत पर नहीं की जानी चाहिये। इस से काम में कमी होगी।

आय कर में किये गये सरलीकरण का मैं स्वागत करता हूं। कई नये कर प्रस्ताव सामने आयेंगे, जिन से पुराने तरीके भूत लक्षी प्रभाव से समाप्त हो जायेंगे। यह बहुत अच्छी बात है क्यों कि इस से करदाता के मन में कर दायित्व के बारे में अनिश्चितता की स्थिति दूर हो जायेगी।

यद्यपि इस वर्ष पटसन तथा चाय पर शुल्क में कमी की गई है, जिससे कर में लगभग 19 करोड़ रुपये की कमी हुई है, तथापि हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। हमारे निर्यात में कमी हो रही है। अतः हमारे निर्यात की स्थिति को सुधारने, के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

अब हमें निर्यात बाज़ार में हांगकांग, चीन और पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती हैं। इसलिये इस मामले की ठीक ढग से जांच की जानी चाहिये। यह देखना चाहिये कि निर्यात की क्या कठिनाइयाँ हैं, निर्यातकर्ताओं के लिये लाभप्रद मूल्य क्या होंगे और उसके लिए क्या किया जाना चाहिये। मेरे विचार में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में निर्यात के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। इस लिये इस मामले की ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिये।

हमारे निर्यात में कमी हो रही है और आयात में वृद्धि हो रही है। आयात की अधिक धन राशि खाद्यान्न के आयात पर खर्च की जाती है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। परन्तु खाद्यान्न के अतिरिक्त, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के लिये कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि हो रही है। इस बात पर विचार करना चाहिये।

हमें अपने देश में ही पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल तथा मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे इन्जीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग की पूरी क्षमता का प्रयोग अभी नहीं हो रहा। यह उद्योग ऐसी बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कर सकता है जिसका अभी आयात हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह

है कि देश में बनाये जाने वाले संयंत्र और मशीनों पर कुछ अधिक मूल्यह्रास तथा विकास छुट दी जाये जिससे उद्योगपति यह महसूस करने लगें कि यदि वे देश में मशीनें लगायें तो उन्हें लाभ होगा और इससे हमारी पूंजीगत वस्तुओं के लिये मांग में वृद्धि हो सकेगी ।

इस समय असंतुलन की स्थिति है । एक ओर हमारे कपड़ा, पटसन तथा अन्य उद्योगों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है । ये मशीनें हमारे देश में भी बन सकती हैं । परन्तु धन के अभाव के कारण उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार इन वस्तुओं के उत्पादन के लिये और अस्थगित अदायगी के आधार पर बेचने के लिये उन उद्योगों को धन देने की व्यवस्था करे जिन्हें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तो इससे एक तो हमारे इन्जीनियरिंग उद्योग को मिलेगा और दूसरे हमारे उपभोक्ता उद्योगों का आधुनिकीकरण हो जायगा । मुझे आशा है कि माननीय उप-प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

कपड़ा उद्योग संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है । 52 मिलें बन्द हो चुकी हैं और बहुत सी मिलें भी बन्द होने ही वाली हैं । कपड़ा निगम की स्थापना से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी चुकती पूंजी बहुत कम है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि कपड़ा उद्योग को मूलभूत उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे इस उद्योग को धन भी मिल सके और प्राथमिकता भी मिल सके और इसका आधुनिकीकरण भी हो सके ।

अमरीका में जब मंदी थी तो जो कार्यवाही उन्होंने की थी, हमें भी वही कार्यवाही करनी चाहिये । अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में भी मन्दी रही है । जिस प्रकार से उक्त देशों में इस समस्या का समाधान किया यह उसी प्रकार से हमें करना चाहिये ।

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम (विशाखापटनम) : सरकार सदा यह करती रही है कि वह समाजवाद की दिशा से चल रही है परन्तु वस्तुस्थिति उससे भिन्न है । इसका कारण यह है कि सरकार जो कहती है यह करती नहीं है । इसीलिये आज सारे देश में तथा सारे समाज में असन्तोष है ।

स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान यह आशाएं जागृत हुई थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हो जायेंगी । जनता सदा उपलब्धियों की मांग नहीं करती परन्तु जनता यह तो जानना चाहती है कि लक्ष्यको प्राप्त करनेकी घोषणा की गई है क्या उस दिशा में चलने के लिये कोई सही प्रयत्न किये गये हैं । तीन पंचवर्षीय योजनाओं की कालावधि के पश्चात जनता ने यह महसूस किया है कि सरकार उन्हें उस दिशा की ओर नहीं ले जा रही जिसका उन्हें वचन दिया गया था ।

इसके साथ जनता को अच्छी खुराक उपलब्ध नहीं हो रही और इसके फलस्वरूप लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है । आज हमारा विश्वास उत्पादन की अपेक्षा आयात पर अधिक हो गया है । सरकार खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने में बिल्कुल असफल रही है । विभिन्न

राज्यों में छोटी छोटी योजनाएं इसलिये नहीं चालू की गई कि उनसे 4 प्रतिशत लाभ नही होता। बड़ी योजनाओं में एक नागार्जुनसागर परियोजना है। इस परियोजना के सम्बन्ध में वर्ष 1951 में एक समझौता हुआ था। योजना आयोग ने एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन बुलाया था जिसमें विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा इंजीनियरों ने भाग लिया था। फिर मध्यप्रदेश, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मद्रास के इंजीनियरों ने एक ज्ञापन तैयार किया और बाद में उसका सबने अनुसमर्थन कर दिया। इसके बाद वर्ष 1960 में राज्यों की सीमाओं का पुनः समायोजन हुआ और योजना आयोग ने सुझाव दिया कि पानी का फिर से बटवारा कर लिया जाये। यह बात इसलिये नहीं की गई थी कि वर्ष 1951 में देश से उस भाग को कोई अधिक पानी दिया गया था जिसे अब आन्ध्र प्रदेश कहा जाता है। पहले केवल 47 प्रतिशत पानी दिया गया था और 1960 से उसे भी कम करनेके लिये कहा गया। योजना आयोग को विभिन्न राज्यों को यह कहना चाहिये था कि हम खाद्यान्न के अधिक उत्पादन के लिये चिन्तित हैं, व्यवस्था में गड़बड़ न की जाये, 25 वर्ष के बाद हम समझौते पर पुनर्विचार कर सकते हैं, परन्तु ऐसा करने के स्थान पर योजना आयोग ने इस आधार पर एक तकनीकी समिति नियुक्ति कर दी कि मैसूर और महाराष्ट्र सहमत नहीं हैं। क्या इस तरीके से देश की खाद्य स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकार को विवाद में न पड़कर खेती की ओर ध्यान देना चाहिये। परन्तु सरकार पानी भी नहीं देना चाहती। यदि सरकार ने पानी दिया होता और वित्तीय सहायता नियमित रूप से दी होती तो 22 लाख एकड़ भूमि में खेती हो सकती थी। हमें विवाद व बढ़ा कर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। अब यह परियोजना पूरी होने वाली हैं यदि हमें अपेक्षित सहायता उपलब्ध की जायें तो दो वर्ष के भीतर 22 लाख एकड़ भूमि पर खेती हो सकती है और अन्य प्रकार के अनाजों के अतिरिक्त 6-7 लाख टन चावल पैदा हो सकता है। हमें केवल 17 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि हमें यह धन राशि उपलब्ध हो जाये तो आयात की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परन्तु कठिनाई यह है कि सरकार उसके लिये तैयार नहीं है। प्रत्येक वर्ष राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि हो रही है परन्तु किसी भी कार्य के लिये धन मांगो तो कहा जाता है कि धन नहीं है। असैनिक लेखा परीक्षा से पता चलता है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में 740-800 करोड़ रुपये की बचत हुई है। परन्तु सिंचाई की किसी योजना के लिये धन उपलब्ध नहीं किया जाता। जब तक वित्त मंत्री अपने विभाग की अपेक्षा कुछ अधिक कल्पना से काम नही लेंते, भारत की रक्षा नहीं हो सकती।

अच्छी खुराक उपलब्ध न होने से जनता में असंतोष तो अवश्य पैदा होगा। जब हम भूखे होते हैं, हमें क्रोध आता है। वर्ष 1953 में पंडित नेहरू ने कहा था कि दो या तीन वर्षों में खाद्यान्न के मामले में भारत आतम निर्भर हो जायेगा। अब सरकार कहती है कि देश 1971 में आत्म निर्भर हो जायेगा। परन्तु जब तक सिंचाई की योजनाएं पूरी नहीं की जाती तब तक इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सरकार को विवादों में न पड़ कर पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। वास्तव में यह योजना ही गलत है। जहाँ कृषि उत्पादन हो सकता है वहां हमें अवश्य करना चाहिये। वास्तव में हम जो धन खर्च करते है, उसके उचित परिणाम नहीं निकलते।

———

*अशोक होटल के उप भवन के निर्माण (एवं रिवालविंग टावर रेस्तरां आदि सहित)

*CONSTRUCTION OF ANNEXE TO ASHOKA HOTELS (ENCLUDING A REVOLVING TOWER RESTAURANT ETC)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There was a tender of Rs. 2 crores and 29 lakhs for construction of an Annexe and a Revolving Tower Restaurant in Ashok a Hotel. I have an objection to the procedure followed in this matter. First of all I would like to say that the tenders had been invited on a selective basis and not though an advertisement in the newespapers which is highly irregular. The second thing is that Government has not given the contract to the party who gave the lowest tender. It was given to the second lowest tender. It has been said that that was an incomplete tender as rates in respect of 36 items had not been quoted by the firm which had quoted lowest tender. That firm had also mentioned certain conditions in their forwarding letter which the Minister has stated that later on they were not agreed to. In the original tender it was stated that if some body imposes any condition, the tender will be rejected and if it is incomplete it will be considered. In my opinion this contract has wrongly been given to M/S. Tirath Ram Ahuja and company. It has further been stated that there was a difference of Rs. 1.20 lakh between lowest tender and the second lowest tender. Such a change would take out all the sanctity of the procedure of tenders. It has also been said that the contract was not given on the lowest tender because the performance of the party was not upto the mark. But if is performance was not upto the mark why had the Government issue the tender to them. If Government can give them other contracts and issue tender notices then this contract could not be given to them. The firm which had been given the contract was called and asked to reduce the value of the tender, Other firms should have also been, provided with this opportunity, I take this ueal as a conspiracy in which officials of the Ministry, Architect, Chairman of Ashoka Hotel and the contractor are involved, The house of the chairman, Ashoka Hotel was constructed in Lajpat Nagar under the supervision of this very contractor, Another thing is that the contract for site clearance and site leave was given to this contractor without inviting any tender from any other policy. May I know the reason thereof ? In my opinion this is a fit case which should be sent to C. B. I. for necessary investigations, If this is agreed to, it will remove all the doubts and suspicious, I hope that hon'ble Minister will not make it is personal perstige issue. The report of C. B. I. will reveal all the facts and it should be placed before the House.

श्री समर गुह (कन्टाई) : ऐसे समय में, जबकि हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जबकि हमारा देश समस्त संसार में अनाज मांगने के लिये जा रहा है, रिवाल्विंग टावर बनाना और विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिल्ली का शानदार दृश्य दिखाना शर्म की बात है ।

जहां तक ठेके का सम्बन्ध है, यह सारा कार्य अनुचित ढंग से किया गया है । इस ठेके से सम्बन्धित टेन्डर कुछ चुने हुए ठेकेदारों से आमन्त्रित किये गये हैं । जब तीर्थ राम आहूजा एण्ड कम्पनी को ठेका दिया गया था उस समय टेण्डर अपूर्ण था । ऐसा प्रतीत होता है कि

* आधे घन्टे की चर्चा

* Half on hour discussion

इस सौदे में इस कम्पनी और अशोक होटल के अध्यक्ष का स्वार्थ निहित है । इसलिये इस सौदे में सन्देह होने का काफी औचित्य है । इसलिये इस सारे मामले की जांच के लिये एक संसदीय समिति नियुक्ति की जानी चाहिये ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सरकार की ऐसी योजनाओं के लिये धन नहीं देना चाहिये जो अच्छी प्रकार से सुविचारित न हों । विदेशों से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिये इसे शीघ्रता से करने वाला कार्य बताया गया है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकारी खर्च पर बनाये जाने वाली इस मुख्य निर्माण परियोजना के मामले में सभी प्रकार के नियमों का उल्लंघन केवल इसलिये क्यों किया गया कि यह कार्य तुरन्त किये जाने वाला था ? क्या 'पेंकिंग गैस्ट' के रूप में आने वाले अतिथियों के लिये आवास की व्यवस्था जनता के सहयोग से नहीं हो सकती थी ?

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्डलूर) : मंत्री महोदय ने जिस रूप में तथ्यों को पेश किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी परोक्ष रूप में इस मामले में हाथ है । साधारणतया जब कोई निर्णय कार्य निष्पादित करने होते हैं तो उनसे सम्बन्धित विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है । परन्तु इस दो करोड़ रुपये के मामले में किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया । इस मामले की जांच करने के लिये इसे अवश्य ही सी० बी० आई० को भेजना चाहिये ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : टेन्डर स्वीकार करने के बारे में नियत प्रक्रिया का कड़ाई के साथ अनुसरण करना चाहिये जिससे सभी मामलों में न्याय हो सके । इस सौदे पर संदेह होने के कारण क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त करने के बारे में विचार करेंगे ? यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में प्रक्रिया का कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाये, मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : I want to know whether it is a fact that the architect had recommended that this contract should be given to this very contractor ? If that is so, it is nothing but a fishy matter. Would the hon'ble Minister make a thorough enquiry into this matter ?

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बड़ा नाजुक मामला है । इस मामले में भ्रष्टाचारी अधिकारियों तथा सरकारी क्षेत्र के होटल के मालिक का हाथ है । इस मामले की जांच करने पर हमें पता चला है कि इस ठेके में से ठेकेदार को 20 लाख रुपये का लाभ हो रहा है जिसमें से पांच लाख रुपया उन लोगों को बख्शीश के रूप में दिया गया है जिनसे उसे यह काम मिला है । इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहियें ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : There is corruption in all the Government Projects throughout the country. This case must go to C. B. I. for inquiry.

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : अब कार्य हो रहा है और इससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । तथा मन्त्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यदि ठीक तरह काम

निष्पन्न नहीं हुआ तो एक शान्ति खण्ड लागू किया जायेगा जिसके अन्तर्गत यदि कोई भूल हुई तो ठेकेदार को उसे अपनी लागत पर सुधारना पड़ेगा ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस मन्त्रालय ने जो निदेश जारी किये हैं उनमें यह कहा गया है कि यदि टेन्डर में सभी मदें ठीक ढंग से नहीं भरी गई तो टेन्डर अस्वीकार कर दिया जायेगा । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जब यह बात नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है तो सरकार ने इस मामले में वह काम स्वयं क्यों किया जो ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिये था ? क्या मैं जान सकता हूँ कि यह विशेष कृपा इस फर्म पर क्यों की गई ?

Shri Rabi Ray (Puri): First of all I would say that India is a poor country and it need not have costly project like Ashoka Hotel. As various doubts have been expressed during tae discussions in the House, will the hon'ble Minister refer this matter to Parliamentary Committee ? I would also suggest that the contract system should be abolished as this system encourages corruption. I want to know whether hon'ble Minister will take necessary action to abolish this system.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा पूर्व दृष्टान्त है जिससे यह पता चले कि चाहे ठेकेदार सभी शर्तें पूरी न करता हो और चाहे वह अधूरा ही टेन्डर भरे फिर भी अन्य टेन्डरों को छोड़ कर उसी के टेन्डर को स्वीकार कर लिया जाये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री अथवा सरकार ने उस फर्म के पूर्ववृतान्त का पता लगाया है जिसको ठेका दिया गया है ? क्या किसी ने यह पता लगाया है कि ठेकेदारों और अशोक होटल के अध्यक्ष के परस्पर क्या सम्बन्ध हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह मामला इस प्रकार है कि 29 दिसम्बर, 1966 को पर्यटन विभाग ने अशोक होटल के प्रबन्धकों को लिखा था कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और आशा है कि 1970-71 तक इनकी संख्या दुगनी हो जायेगी और वर्तमान आवास व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । इसके बाद वाणिज्य मन्त्रालय ने इस होटल के प्रबन्धको को पुनः लिखा कि फरवरी से मार्च, 1958 तक यू० एन० सी० टी० ए० डी० का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें भाग लेने के लिये 2500 प्रतिनिधियों के दिल्ली आने की आशा है । दिल्ली के होटलों में आवास व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । इसलिये होटलों में आवास व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है । अशोक होटल ने होटल का विस्तार करने के लिये सरकार की अनुमति मांगी । भारत सरकार ने जनवरी, 1967 में यह अनुमति दे दी । इस परियोजना के विस्तार का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा किया जाना है । इसलिए 25 मार्च को निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय की सलाह पर एक सीमित टेंडर नोटिस जारी किया गया था । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में भवन निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ठेकेदारों को 24 नोटिस जारी किये गये, परन्तु उनमें से केवल पांच ने उत्तर दिया है । इनमें से भी केवल चार फर्मों ने टेंडर भेजे । 10 अप्रैल को टैंडर खोले गये । इसके जांच के लिये वे वास्तुविदों के पास भेजे गये । वास्तुविदों की राय यह थी कि यह एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसे केवल मैसर्स तीर्थ राम आहूजा एण्ड कम्पनी ही कर सकती है क्योंकि उन्होंने ही

अशोक होटल के भवन का निर्माण किया था। उनके कार्य और अनुभव के ऊंचे स्तर का ध्यान रखते हुए और अशोक होटल की इस परियोजना का ध्यान रखते हुए प्रबन्धकों ने दूसरा निम्नतम टेंडर स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने निम्नतम टेंडर को उपयुक्त नहीं समझा। इसके बाद यह मामला मेरे पास आया। मैंने यह सोचा कि अशोक होटल एक सरकारी उपक्रम होने के कारण इसका एक अपना ठेकेदार होना चाहिये। निम्नतम टेन्डर और जो टेन्डर स्वीकार किया गया उन दोनों की धनदाशि में 2,12,000 रुपये का अन्तर था। मैंने वित्त मन्त्री से परामर्श करना चाहा। वित्त मन्त्री भी मेरे साथ सहमत थे। उनके परामर्श पर मैंने अशोक होटल के प्रबन्धकों को निदेश दिया कि यदि वे द्वितीय निम्नतम टेण्डर को स्वीकार करना चाहते हैं तो उन्हें उस ठेकेदार को 2,20,000 रुपये कम करने के लिये कहना चाहिये। ऐसा ही हुआ और तीर्थ राम आहूजा एण्ड कम्पनी को टेन्डर दे दिया गया।

जहां तक निम्नतम टेन्डर के स्वीकार किया जाने का प्रश्न है, जहां टेन्डर अधूरा हो, वह अस्वीकृत किया जाना है। टेन्डर नोटिस की शर्त 14 के अन्तर्गत प्रबन्धक निदेशक निम्नतम टेन्डर को बिना किसी कारण के अस्वीकार कर सकता हैं। प्रत्येक टेन्डर नोटिस में यह शर्तें होती है। किसी टेन्डर को पूरे या आंशिक रूप में स्वीकार करने की शक्ति प्रबन्धक निदेशक के पास है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि मैंने वित्त मन्त्री के साथ परामर्श क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिये किया क्योंकि यह बहुत बड़ी धन-राशि का मामला था। इस मन्त्रालय के सचिव इस मामले के साथ किसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं। जब यह कागजात मेरे पास आये तो मैं बिना सचिव को बताये सीधे वित्त मन्त्री के पास चला गया।

टेन्डरों के खोले जाने और वास्तुविदों की जांच के पश्चात 20 अप्रैल को निदेशकों के बोर्ड ने इन टेंडरों पर विचार विमर्श किया और यह निश्चय किया कि वह कार्य दूसरे निम्नतम टेन्डर देने वाले को दिया जाये।

एक यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हमें वर्तमान आर्थिक संकट के बावजूद इस प्रकार की परियोजना को शुरू करना चाहिये था। होटल उद्योग में परस्पर बहुत स्पर्धा है। पिछले 10 वर्ष से यह होटल बन रहा है। आज इस होटल को गैर सरकारी क्षेत्र में अन्य होटलों के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है। अशोक होटल को अच्छा लाभ हुआ है और इसने विदेशी मुद्रा भी अर्जित की है। इसीलिये इसका विस्तार किया गया है। इसका विस्तार या तो इसके ऊपर मन्जिलें बना कर या अतिरिक्त मूल्य पर अन्य भवन बना कर किया जा सकता है। अतिरिक्त भवन में वे आरामदेह कमरों वाले 9 सेट और एक घूमने वाला रेस्तरां बना रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इस होटल में रात्रि क्लब या इसी प्रकार के अन्य आकर्षक केन्द्र बनाने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इस होटल में भी कुछ पर्यटकों को आकृष्ट करने के

लिये कुछ नवीनता होनी चाहिये। रिवालविंग टावर पर लगभग 5 लाख रुपया लगेगा मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 25 जुलाई, 1967/3 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 25th July, 1967/ 3 Sravana 1889 (Saka)